ईसीजीसी लिमिटेड

ECGC Limited

64 वीं वार्षिक रिपोर्ट
TH ANNUAL REPORT
2021 - 2022

ईसीजीसी लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या.
	भाग अ	
1	निदेशक मण्डल	1-2
2	वरिष्ठ प्रबंधन	3-4
3	निष्पादन विशेषताए – पिछला दशक	5-6
4	अध्यक्ष का सम्बोधन (बैठक में प्रसारित किया जाएगा)	
5	निदेशकों की रिपोर्ट	7-80
6	प्रबंधन परिचर्चा एवं संचालन की समीक्षा	81-189
7	व्यापार प्रदर्शन रेखांकन	190-202
	भाग आ	
8	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण	
	वित्तीय विवरणों के लिए प्रमाण पत्र	204
	तुलन पत्र, राजस्व खाता एवं लाभ और हानी खाता	205-208
	वित्तीय विवरण की अनुसूचीया (अनुसूची 1 से 15 तक)	209—219
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16)	220-235
	लेखागत पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17)	236-267
	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात	264-265
	अर्जन एवं भुगतान खाता	268
9	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट	269-273
10	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	274
11	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	276-302

भाग अ

निदेशक मंडल

1. श्री एम सेंथिलनाथन,
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड
   (दि 29 अप्रैल, 2020 से अध्यक्ष)
2. श्री विपुल बंसल,
   संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग,
   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (दि 16 नवंबर, 2021 से नियुक्त)
3. श्रीमती अपर्णा भाटिया,
   आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग,
   वित्त मंत्रालय
   (दि 16 नवंबर, 2021 से नियुक्त)
4. श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू,
   कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
5. सुश्री हर्षा बंगारी,
   प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया
   (दि 23 सितंबर, 2021 से नियुक्त)
6. श्री देवेश श्रीवास्तव,
   अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जी आई सी
7. डॉ. ए. शक्तिवेल,
   अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
   (दि 09 अगस्त, 2021 से नियुक्त)
8. श्री सुनील जोशी,
   कार्यपालक निदेशक (नीतिगत मामले), ईसीजीसी लिमिटेड
   (दि 09 जुलाई, 2020 से नियुक्त)
9. श्री अमित कुमार अग्रवाल (दि 03 नवंबर, 2021 से नियुक्त)
10. श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा (दि 11 नवंबर, 2021 से नियुक्त)
11. श्री के. राजारमन, आई ए एस (दि 18 अक्टूबर, 2021 से समाप्त)
12. श्री अमिताभ कुमार, आई आर एस (दि 16 नवंबर, 2021 से समाप्त)
13. श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (28 जून, 2021 से समाप्त)
14. श्री डेविड पॉल रस्किना
    प्रबंध निदेशक, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (दि 31 मई, 2021 से समाप्त)

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता वी. पंडित
बैंकर्स	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक)
	आई डी बी आई बैंक
नियुक्त बीमांकिक	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

1. मैसर्स ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
   सनदी लेखाकार,
   फर्म पंजीकरण संख्या 105016डब्ल्यू / डब्ल्यू -100015

2. मैसर्स एस एन के एंड कंपनी
   सनदी लेखाकार,
   फर्म पंजीकरण संख्या 109176 डब्ल्यू

पंजीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस टावर्स, 10वां फ्लोर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

वरिष्ठ प्रबंधन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री एम सेंथिलनाथन

कार्यपालक निदेशक

श्री सुनील जोशी

श्री सी. एन. ए. अन्बरसन

महाप्रबंधक

1. श्री परमदीप लाल ठाकुर
2. श्री ईशनाथ झा
3. श्री सृष्टिराज अंबष्ट
4. श्री सुबीर कुमार दास
5. श्री निर्दोष चोपड़ा
6. श्रीमति स्मिता वी. पंडित
7. श्री आनंद सिंह
8. श्रीमति प्रिसील्ला सिन्हा

उपमहाप्रबंधक	
1. श्री बलबीर सिंह मान	10. श्री सुभाष चंद्र चाहर
2. श्री एन सुब्रमणियन	11. श्री नीरज गुप्ता

3. श्री अभिषेक कुमार जैन	12. श्री आर. महालिंगम
4. श्री आर. के. पांडियन	13. श्री राजेश जमनानी
5. श्री कुमार अंशुमन	14. श्री राहुल
6. श्री गौरव अंशुमन	15. श्री रंगराव तु. हांडे
7. श्री यशवंत बी. ब्रीद	16. श्री सचिन खन्ना
8. श्रीमति अर्पिता सेन	17. श्री शशांक बाजपेयी (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी)
9. श्री वाय. सुधीर	

निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(Rs. In Crores)

वर्ष / YEAR	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावांधे पॉलोसियॉ / Short Term Policies	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	1,77,349.00	1,72,788.00	135871.97	1,33,983.00	131344.00	126100.00
अल्पावांधे इ सो आइ बो / Short Term ECIB	345672.00	354200.12	341826.72	455267.00	4,56,684.00	4,48,604.00	127534.8	1,38,555.00	138150.00	133251.00
मध्यम व दोघोवांधे रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7,415.57	6,027.26	5979.06	7,652.00	9762.80	10160.00
कुल / Total	**618840.97**	**602801.54**	**561605.86**	**659926.00**	**641448.57**	**627419.26**	**269385.83**	**280190.00**	**279256.00**	**269512.00**
प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME										
अल्पावांधे पॉलोसियां / Short Term Policies	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68
अल्पावांधे इ सो आइ बो / Short Term ECIB	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72
मध्यम व दोघोवांधे रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85
कुल / Total	**1106.62**	**1062.28**	**1075.47**	**1,247.54**	**1,240.41**	**1,267.62**	**1320.73**	**1362.40**	**1303.73**	**1157.25**
प्रदत्त दावें / CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियां / Short Term Policies	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69
अल्पावांधे इ सो आइ बो / Short Term ECIB	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61
मध्यम व दीघोवधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-	148.65	38.20
कुल / Total	**687.20**	**1046.74**	**408.41**	**1,013.31**	**1,283.16**	**885.34**	**1122.84**	**589.83**	**897.49**	**548.50**
वित्तीय शुल्क, कों / RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियां / Short Term Policies	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40
अल्पावधि ई सी आई बी / Short Term ECIB	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं / Medium & Long Term Covers	0	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42
कुल / Total	**109.97**	**117.47**	**166.44**	**150.83**	**185.61**	**138.67**	**114.04**	**160.15**	**158.31**	**120.53**

नोट / Note:

* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संक्षारित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के ल;ईईए निर्धारित औसत हानी सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानी सीमा(ए एल एल) का बीआईएस गुना लिया गया हैं क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त अनुपात 5% तक होता हैं जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता हैं। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01/04/2017 से प्रभावी हैं। विवरण कों तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई हैं।

*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कों दर्शाता हैं।

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात रिन एवं चार के कारक से गुणन किया गया हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

मानननीय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशकगण, सहर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम के साथ, कंपनी की 64 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिलब्धियाँ

आपके कंपनी की वित्तीय परिलब्धियाँ, समीक्षाधीन वर्ष के लिये निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	1106.62	1062.28
वित्तीय शुल्कों, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन से पूर्व लाभ (पी बी टी डी ए)	1167.56	594.75
घटाएं: वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास / परिशोधन से पूर्व लाभ (पी बी टी डी ए)	1167.56	594.75
घटाएं: मूल्यह्रास	6.70	6.65
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पी बी टी)	1160.86	588.10
कराधान हेतु प्रावधान	285.70	127.79
कराधान के पश्चात लाभ/हानी (पी ए टी)	875.16	460.31

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹687.20 करोड़ की तुलना में कंपनी द्वारा कुल ₹1046.74 करोड़ के दावों की अदायगी की गई है। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों एवं प्रावधानों के समयोजन के उपरांत वहन किये गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹884.52 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में घटकर ₹546.19 करोड़ हो गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निवेश एवं अन्य आय पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1019.22 करोड़ के मुक़ाबले 7.97% की वृद्धि सहित ₹1100.46 करोड़ हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित सकल प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹1062.28 करोड़ के मुकाबले 4.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1106.62 करोड़ थी। पुनर्बीमा रियायत का समायोजन एवं असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु शुद्ध अर्जित प्रीमियम बढ़कर ₹882.16 करोड़ हो गया, जबकि ₹827.31 करोड़ में 6.63% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

लाभ एवं विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, परिचालन से कुल आय ₹1484.98 करोड़ थी, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹1405.51 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹159.10 करोड़ के मुकाबले ₹684.88 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कर पूर्व लाभ (पी बी टी) ₹1160.86 करोड़ था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹588.10 करोड़ था। आयकर एवं पूर्व अवधि समायोजन के लिए ₹285.70 करोड़ प्रदान करने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनियोग के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पी ए टी) पिछले वित्तीय वर्ष में ₹460.31 करोड़ के मुकाबले ₹875.16 करोड़ था।

लाभांश

निदेशक मंडल सहर्ष, ₹276.50 करोड़ की राशि के, ₹100 प्रत्येक के 39,50,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹7 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश की अनुशंसा करते हैं। कुल लाभांश ₹276.50 करोड़ है जो ₹875.16 करोड़ के पी ए टी के 31.59% के अदायगी अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रारक्षित निधियाँ

बोर्ड द्वारा, दिनांक 25 मई 2022 को सम्पन्न अपनी 436 वीं बैठक के दौरान ₹598.66 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित करना प्रस्तावित किया है।

अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अंतरण

पिछले वर्ष के दौरान कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित एवं भुगतान न किए जाने की कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की कुल संपत्ति ₹7840.88 करोड़ (दिनांक 31 मार्च 2021 तक ₹6365.22 करोड़) थी जिसमें ₹3950 करोड़ पेड-अप शेयर पूंजी (वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नए सिरे से पूंजी के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त ₹760 करोड़ सहित) की चुकता शेयर पूंजी शामिल है एवं ₹3890.88 करोड़ का प्रारक्षित एवं अधिशेष हैं।

क. प्रतिभूतियों की वापस खरीद

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी कोई भी प्रतिभूति वापस नहीं खरीदी गई है।

ख. उद्यम इक्विटी

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई उद्यम इक्विटी शेयर जारी नहीं किया गए।

ग. बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए।

घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

शोधन-क्षमता मार्जिन

दिनांक 31 मार्च, 2022 को शोधन-क्षमता अनुपात 30.05 है, जो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के 1.5 के मानदंड के खिलाफ है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	**2021-22**	**2020-21**
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन (आर एस एम) (₹ करोड़ में)	238.91	298.41
उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन (ए एस एम) (₹ करोड़ में)	7178.75	5745.67
शोधन-क्षमता अनुपात (कुल ए एस एम/आर एस एम)	30.05	19.25

अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत, बीमांकन किया जा सकता है, इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. के-11015/2/2021-ई एंड एम डी ए-डी ओ सी के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी की अधिकतम देयता ₹ 1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,50,000 करोड़ कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक एम एल ₹1,01,238.01 करोड़ थी।

नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा कोई नया उत्पाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबंधन व्यय

संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 29.19% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 27.74% (पिछले वर्ष 27.60%) रहा।

विविध समूह / कॉर्पोरेट			
			(₹ करोड़ में)
भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा बीमांकित कुल सकल प्रीमियम का भाग	**प्रीमियम**	**प्रीमियम का प्रतिशत**	**स्वीकृत व्यय**
प्रथम	200.00	35.00%	70.00
अगला	150.00	30.00%	45.00
शेष	756.62	27.50%	208.07
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	**1106.62**		**323.07**
स्वीकृत व्यय का %			**29.19**

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आ ईए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट के पास ₹4,155.08 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध रही। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹ 80,000 है जिसके 25% अर्थात ₹20,000 करोड़ की राशि कंपनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित की गयी है। 52 देशों में कुल मूल्य 43,444 करोड़ सहित 213 परियोजनाओं का समर्थन करने वाले 329 रक्षाओं के संबंध में 14,063 करोड़ रुपये के जोखिम को एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ का शेष 75% राशि ₹60,000 करोड़ एन ई आई ए ट्रस्ट (बी सी-एन ई आई ए) की खरीदार साख योजना के लिए निर्धारित किया गया है। दिनांक 31मार्च 2022 तक ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, युगांडा एवं मॉरिटानिया देशों में ₹17,756 करोड़ मूल्य की 27 परियोजनाओं के लिए ₹24,721 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 27 खरीदार साख रक्षा जारी किए हैं। भारत सरकार, ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है एवं ईसीजीसी प्रबंध एजेंसी है।

निदेशक मंडल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, चार अंशकालिक निदेशक अर्थात श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री के. राजारमन, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री डेविड रसकिन्हा, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक; एवं श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ ई आई ओ), वर्तमान कंपनी के निदेशक नहीं हैं। श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में; तथा सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक; डॉ. ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो; श्री अमित कुमार अग्रवाल; एवं श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया था।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, बोर्ड में अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से पांच पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ की जा रही है समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी निदेशक को पुनर्निर्वाचित/पुनर्नियुक्त नहीं किया गया था।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबंधित कंपनी की नीति

कंपनी के सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति / निष्कासन, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) एवं (4) के प्रावधान तथा निदेशकों की स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने एवं पारिश्रमिक एवं आय परिलब्धियों पर नीति की संस्तुति करने से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी का मसौदा कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) के कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की घोषणा

केवल दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर लागू स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक (ओं) की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गई।

लेखा परीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	**निदेशकों का नाम**
1.	श्री देवेश श्रीवास्तव (दिनांक 21/01/2020 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 15/07/2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2.	श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)

4.	शिरीष चंद्र मुर्मू (दिनांक 10/01/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5.	सुश्री हर्षा बंगारी (दिनांक 23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6.	डॉ. ए. सक्तिवेल (दिनांक 09/08/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7.	श्री अमिताभ कुमार (दिनांक 20/11/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
8.	श्री के. राजारमन (दिनांक 08/08/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 18/10/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
9.	श्री शरद कुमार सराफ़ (दिनांक 22/07/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 28/06/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
10.	श्री डेविड पॉल रस्किन्हा (दिनांक 07/08/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 31/05/2021 से अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली लेखा परीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री देवेश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी, शामिल हैं, जो बहुमत बनाते हैं।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है। शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सहकर्मियों तथा कंपनी के हितों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया गया है।

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सतर्कता मामलों का विवरण:</u>

दिनांक 01/04/2021 के	दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक	निपटान किया गया	शेष

अनुसार प्रारंभिक शेष	सतर्कता संबन्धित मामले प्राप्त हुए		
01	07	08	कोई नहीं

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी,संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

भारत सरकार (भा.स.) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर वर्ष वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय मापदंडों के आकलन के आधार पर, कंपनी के प्रदर्शन को वित्तीय वर्ष 2019-20 में "अच्छा" एवं वित्त वर्ष 2020-21 में "बहुत अच्छा" के रूप में दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को "उत्कृष्ट" के रूप में मूल्यांकन किए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एम ओ यू मापदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदर्शन				
क्र.सं	**मापदंड का नाम**	**इकाई**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
1	परिचालन से राजस्व	रु.करोड़ में	1450	1484.98
2	संपत्ति कारोबार अनुपात	%	16.78	11.71
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ई बी आई टी डी ए	%	32.21	58.89
4	निवल मालियत पर प्रतिफल	%	8.81	12.32
5	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	9.24	14.81
6	प्रति शेयर आय	रु.	17.58	25.59
7	जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या	संख्या	16389	17616

इसके अलावा, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित सभी 'अनुपालन मानकों' का भी पालन किया गया है।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षत लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में 11 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई थी।

कर्मियों का विवरण

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्नलिखित है:

क.

क्र.सं.	विवरण	कर्मी का नाम
1.	नाम कर्मचारी का पदनाम:	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा नियुक्त बीमांकिक (म प्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धियाँ;	वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹90,19,049/-
3.	रोजगार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा;	संविदा पर, निश्चित अवधि आधार पर नियुक्त
4.	कर्मचारी की योग्यता एवं अनुभव;	सांख्यकी में बी एस सी एवं सांख्यकी में एम एस सी फेलो, इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरीस इन इंडिया सिस्टम मैनेजमेंट में डिप्लोमा, एन आई आई टी एक्च्युरियल तकनीक में डिप्लोमा, इन्सट्यूट ऑफ एक्च्युरीज़, यूके
5.	रोजगार के आरंभ की तिथि;	दि.18.04.2019 को संविदा आधार पर रोजगार का आरंभ
6.	कर्मी की आयु;	55

7.	कंपनी में नियुक्ति से पूर्व इस प्रकार के कर्मी का अंतिम रोजगार;	जी आई सी
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ की सीमा में इस प्रकार के करमीन द्वारा धारित इक्विटी शेयर ; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी, कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबन्धक का संबंधी है एवं यदि हाँ तो ऐसे निदेशक अथवा प्रबन्धक का नाम दर्शाएँ:	नहीं

ख.

क्र.सं.	**विवरण**	**कर्मी का नाम**
1.	नाम कर्मचारी का पदनाम;	श्री शशांक बाजपेयी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी- सीसो (उ म प्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धियाँ;	वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ₹48,00,000
3.	रोजगार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि आधार पर नियुक्त
4.	कर्मचारी की योग्यता एवं अनुभव;	आई एस बी हैदराबाद से साइबर गवर्नेंस में एग्जेक्युटिव मास्टर्स सर्टिफिकेट (वर्ष 2019) सीडैक हैदराबाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वर्ष 2012) पुणे विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) (वर्ष 2011) प्रमाणन:

		ई सी - काउंसिल से प्रमाणित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सी सी आई एस ओ)(2018) जी सी एच क्यू, यू के से प्रमाणित इंसिडेंट प्लानिंग एंड रिसपोंस (2018) आई एस ए सी ए से प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सी आई एस एम) (2013)
5.	रोजगार के आरंभ की तिथि;	दि. 01.08.2019 को संविदा आधार पर रोजगार का आरंभ
6.	कर्मी की आयु;	35
7.	कंपनी में नियुक्ति से पूर्व इस प्रकार के कर्मी का अंतिम रोजगार;	ए आई के ओ साधारण बीमा लिमिटेड
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ की सीमा में इस प्रकार के करमीन द्वारा धारित इक्विटी शेयर ; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी, कंपनी के किसी निदेशक अथवा प्रबन्धक का संबंधी है एवं यदि हाँ तो ऐसे निदेशक अथवा प्रबन्धक का नाम दर्शाएँ:	नहीं

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में, एक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीति के अनुसार, किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा एक उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी, यदि पहले के निर्णय को दोहराया जाना है। शिकायत को विभिन्न अधिकारियों / समितियों द्वारा चार बार निपटाया जा सकता है। एक शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी), जिसमें प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, कंपनी के खिलाफ

किसी भी ग्राहक शिकायत के लिए सर्वोच्च आंतरिक अपीलीय प्राधिकारी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान समिति ने 14 बार बैठक की एवं 22 मामलों का निपटारा किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई आ रसी) का भी पुनर्गठन किया गया, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार एवं ऋण बीमा के क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे, जो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एक बार मिले एवं 6 मामलों का निपटारा किया। कंपनी इरडा के केंद्रीकृत एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर सकते हैं एवं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब अपनी संबंधित शिकायतों को या तो सी आई जी एम एस पर अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करने का विकल्प है। इसके अलावा, कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई है।

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन ₹56.03 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹39.09 करोड़) रहे जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹2.30 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष ₹1.95 करोड़) रहा।

नियुक्त बीमांकक

कंपनी ने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से दिनांक 18.04.2021 से पूर्ण-कालिक नियुक्त बीमांकिक (ए ए) अनुबंधित किया है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एक अलग बीमांकिक विभाग की स्थापना की गयी, जो कि बीमांकिक कार्यों में ए ए की सहायता करता है जैसे "उपगत पर रिपोर्ट न किया गया "(आई बी एन आर)/ "उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट न किया गया (आई बी एन ई आर) दावा अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अनुमानित दावा लागत वित्तीय स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट, आर्थिक पूँजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि कार्य ।

ए ए के रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण कंपनी के समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं। नियुक्त बीमांकिक एवं परामर्शदाता बीमांकिक अपने कार्य आई आर डी ए आई (ए ए) अधिनियम 2017 एवं आई आर डी ए आई (ए ए) अधिनियम 2017 के अधीन जारी अस्थायी प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ही कार्य करते हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 29 सितम्बर 2021 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 18 नवंबर 2021 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए संस्तुति के अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 18 नवम्बर 2021 को सम्पन्न 63 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप एवं इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय अथवा कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। मेसर्स ए बी एम एंड एसोशिएट एल एल पी, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 105016W/W-100015 तथा मेमर्स एस एन के एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुम्बई, फर्म पंजीकरण संख्या 109176W भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट के रूप में भाग एवं संलग्नक बनेगी।

कंपनी शासन

कंपनी का कंपनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करना तथा उचित कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। आर एस पाडिया एंड एसोशिएट्स, कंपनी सचिव पेशेवर (एफ सी एस 6804, सी ओ पी 7488) से प्राप्त सर्टिफिकेट, कंपनी शासन की रिपोर्ट के साथ विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है **(अनुलग्नक I)**

सचिवीय लेखा परीक्षा

मेसर्स ए. लखोटिया एंड कंपनी (पूर्व में अभिषेक लखोटिया एंड कंपनी के नाम संचालित), सेक्रेटेरियल लेखा परीक्षक (एफ सी एस 9082, सीओपी 10547) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एम आर-3) (**अनुलग्नक II**) दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति के संबंध में गैर-अनुपालन और आई आर डी ए आई के साथ विवरणी दाखिल करने में दो देरी की सूचना दी। इस पर प्रबंधन का प्रति उत्तर निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पर्यवेक्षण	प्रबंधकीय प्रतिक्रिया
1.	आई आर डी ए आई को अर्धवार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने में उनतीस दिनों का विलम्ब;	अप्रैल-सितंबर 2021 की अवधि के लिए तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 18 नवंबर, 2021 को सम्पन्न हुई बैठक में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत कर बाद में आई आर डी ए आई के साथ दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप 29 दिनों की देरी हुई। मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत अंतराल के भीतर बोर्ड की बैठक दिनांक 18 नवंबर 2021 को देरी से बुलानी पड़ी।

2.	आई आर डी ए आई बी ए पी मॉड्यूल के अंतर्गत लेखा डेटा के तिमाही अपलोडिंग में अठारह दिनों का विलंब	आई आर डी ए आई के बी ए पी मॉड्यूल पर छमाही खातों के लिए डेटा को अपलोड करने की नियत तिथि 14 नवंबर 2021 थी (आई आर डी ए आई द्वारा कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण अर्धवार्षिक खातों के विवरण वाले अन्य अनुपालन की तिथि को 14 नवंबर 2021 से बढ़ाकर दिनांक 29 नवंबर 2021 तक कर दिया गया था)। मौजूदा कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत अंतराल के भीतर बोर्ड की बैठक दिनांक 18 नवंबर 2021 को देरी से बुलानी पड़ी। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2021 को सम्पन्न बैठक में निदेशक मण्डल के उचित अनुमोदन के
		साथ आई आर डी ए आई के बी ए पी मॉड्यूल पर खातों का डेटा अपलोड किया गया था।
3.	दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (1) का साथ गैर-अनुपालन	कंपनी द्वारा जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक महिला निदेशक की नियुक्ति की गई थी, जो दिनांक 23 सितंबर, 2021से प्रभावी हैं। उसके बाद बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप है।

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

I. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ई आर एम)

देश में जून 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चरम पर थी। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान प्रतिबंधों को लागू किया था एवं मार्च 2022 तक इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे वापस ले लिया गया था।
कड़े संधि शर्तों के बावजूद, पुनर्बीमाकर्ता कारोबारी माहौल में बढ़ते जोखिम की स्थिति में भी जोखिम को कम करने के लिए तैयार हैं। इन घटनाक्रमों के प्रभाव का आकलन किया जाना अभी बाकी है एवं कंपनी किसी भी प्रतिकूल स्थिति को प्रबंधित करने एवं उस पर काबू पाने के लिए आश्वस्त है।

II. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन
कार्यालय परिसर

1. निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398 वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सी पी डबल्यू डी से दिनांक 26.05.2015 के पत्र में वर्णित ₹111,24,12,901/- के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डबल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06/06/2016 को हमारे अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (स झा) पर हस्ताक्षर किए गए।

2. समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 7 के अनुसार, सी पी डब्ल्यू डी ने जमा की किश्तों की मांग की थी एवं तदनुसार, कंपनी ने अब तक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत जमा राशि के रूप में ₹111,24,12,901 का कुल भुगतान किया है।

3. ठेकेदार, सैम इंडिया बिल्टवेल प्रा लिमिटेड, ने दिनांक 30 मार्च, 2017 से कार्यालय भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू किया। पूर्ण किए गए कार्य का प्रतिशत 98% (सिविल) एवं 95% (ई एंड एम कार्य) है। कंपनी ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम सी जी एम) से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओ सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

4. निदेशक मंडल ने 07 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 422 वीं बैठक में, अंधेरी साइट पर नए कार्यालय भवन के लिए कारखाने से बने नॉक-डाउन कार्यालय मॉड्यूलर फर्नीचर की खरीद एवं स्थापना के लिए ₹926.62 लाख के प्रारंभिक लागत

अनुमान को मंजूरी दी। यह सी पी डब्ल्यूडी को सूचित किया गया था एवं इसके लिए कंपनी तथा सी पी डब्ल्यू डी द्वारा 26 सितंबर, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के खंड बी (3) एवं सी पी डब्ल्यू डी से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, कंपनी ने स्वीकृत अनुमान के 100% अग्रिम जमा के रूप में ₹926.62 लाख जमा किए हैं।

<u>आवासीय परिसर</u>

1. निदेशक मंडल द्वारा 07 नवंबर, 2016 को सम्पन्न अपनी 405 वीं बैठक में ₹73,95,80,728 के प्रारंभिक अनुमान पर एक आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई।

2. ईसीजीसी एवं सी पी डब्ल्यू डी ने कंपनी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3. कंपनी ने 30 जनवरी, 2017 को ₹73,95,80,728 की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा राशि के रूप में सी पी डब्ल्यू डी को ₹7,39,58,073 का भुगतान किया।

4. सी पी डब्ल्यू डी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए निविदा जारी की थी। निविदा 28 दिसंबर, 2017 को खोली गई।

5. कंपनी को मुंबई महानगर निगम (एम सी जी एम) से दिनांक 02 दिसंबर, 2017 का पत्र सं. CHE/116/BP/(Spl.Cell)LOKE/- 337 प्राप्त हुआ, जिसमें आर डी डी पी-2034 (मई 2016) में 9.15 मीटर डी पी रोड (विकास योजना) को प्लॉट के भीतर बनाए रखते हुए व आर एच .2.1 (अस्पताल), आर ओ एस 1.1 (सार्वजनिक खुली जगह) का आरक्षण रद्द करने की सूचना दी गई थी।

6. उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व में ले-आउट के लिए दिया गया अनुमोदन अमान्य हो गया। नतीजतन, पांच आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ठेका देने के लिए चयनित बोली को सी पी डब्ल्यू डी द्वारा वापस ले लिया गया एवं हमारे अनुरोध पर सी पी डब्ल्यू डी ने जमा भुगतान वापस कर दिया।

7. डी पी रोड के लिए आरक्षण अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थान के सामान्य उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। चूंकि अस्पताल एवं सार्वजनिक खुली जगह के लिए आरक्षण खाली कर दिया गया था, डी पी रोड के लिए आरक्षण का कोई उद्देश्य नहीं था एवं इस हिस्से के लिए भी आरक्षण को सही तरीके से लागू किया

जाना चाहिए था। कंपनी ने उपरोक्त डी पी रोड को आरक्षित करने के लिए 14 दिसंबर, 2017 के पत्र संख्या ईसीजीसी/एपीडीसी/245/2017 के माध्यम से शहरी विकास विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

8. शहरी विकास विभाग के साथ जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या टीपीबी-432/सीआर-20/2021/यूडी-11 के तहत प्लॉट से डीपी रोड 9.15 मीटर को हटाने की मंजूरी दी।

9. आर्किटेक्ट्स ने पहले सूचित किया था कि एम सी जी एम द्वारा लागू फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफ एस आई) को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया था कि कंपनी आवासीय भवनों की योजना की समीक्षा कर सकती है एवं एम सी जी एम द्वारा अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने से पहले फ्लैटों की संख्या / क्षेत्र में वृद्धि सहित आवश्यक संशोधनों को समायोजित किया जा सकता है। तदनुसार, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स ने हमारी आवश्यकताओं के आधार पर तीन संशोधित ले आउट प्रस्तुत किए। सी पी डब्ल्यू डी के परामर्श से, कंपनी ने विकास के लिए पांच भवनों में 154 फ्लैटों के लिए ले आउट के साथ योजना को अंतिम रूप दिया। आगे की प्रगति को सक्षम करने के लिए आर्किटेक्ट्स को अतिरिक्त विनिर्देशों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

<u>यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड</u>

1. कंपनी द्वारा अंधेरी संपत्ति में कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के अनुबंध को समाप्त किए जाने के बाद कंपनी यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल रही है। जबकि यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनी पर ₹23,02,81,857 का दावा प्रस्तुत किया है, 30 जून 2015 को, कंपनी ने ₹31,63,42,930 के मुआवजे का दावा किया है।
2. यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने जून 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन सी एल टी) के समक्ष दिवाला के लिए दायर किया था एवं एन सी एल टी ने 'मोराटोरियम' का आदेश पारित किया था। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स एवं कंपनी के बीच मध्यस्थता में पिछली सुनवाई 20 दिसंबर, 2017 को हुई थी। यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर लगाए गए स्थगन को देखते हुए, मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी एवं 'स्टे' अभी भी जारी है। एन सी एल टी में पिछली सुनवाई 05 अप्रैल 2022 को हुई थी एवं यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स के

दिवालिया होने पर आदेश सुरक्षित है। मध्यस्थता कार्यवाही में आदेश एन सी एल टी के आदेश के बाद पारित किया जाएगा।

<u>एचसीएल से संबंधित लंबित मध्यस्थता मामले का अद्यतन:</u>

1. कंपनी द्वारा मध्यस्थता के अंतर्गत ₹25,52,48,342.96 एवं ब्याज का दावा प्रस्तुत किया है एवं एच सी एल द्वारा ₹ 146,98,02,403 एवं ब्याज का एक प्रति दावा प्रस्तुत किया गया है।
2. इस मामले में साक्ष्य दाखिल करने, गवाहों की परीक्षा एवं जिरह, मौखिक दलीलें एवं दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें पूरी कर ली गई हैं। वर्तमान में मध्यस्थता निर्णय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से प्रतीक्षित है।
3. मध्यस्थता निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हो, कंपनी उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें निर्णय आया है, हेतु उचित लेखांकन समायोजन करेगी।

<u>सूचना प्रौधोगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन</u>

कंपनी एवं एच सी एल के बीच मध्यस्थता कार्यवाही का तर्क चरण मार्च 2021 में पूरा हो गया था, एवं अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मध्यस्थता निर्णय प्रतीक्षित है।
मध्यस्थता निर्णय के आधार पर,यदि आवश्यक हो, कंपनी उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें निर्णय आया है, हेतु उचित लेखांकन समायोजन करेगी।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित एवं कार्यान्वित करने से संबंधित विवरण

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा कारोबार में है एवं यह आई आर डी ए आई के साथ गैर जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समूहन कारोबार की प्रकृति में ही निहित है। कंपनी ने, उपक्रम व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित कर अपने आतंरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के ज़रिये कंपनी के जोखिम प्रोफाईल का नियमन के लिए अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी सदैव ही अपने कारोबार के सभी पहलुओं में विवेकपूर्ण सीमा के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भारत सरकार से पर्याप्त पुनर्बीमा/सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम् सी) कंपनी के कारोबार के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमा एवं विकासों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करती है। कंपनी द्वारा एक निवेश पोर्टफोलियो बनाया गया है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों का विवरण है। निवेश जोखिमों का प्रबंधन विविध उद्योग एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार निवेश के

ज़रिये किया जाता है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश में अधिकाधिक अर्जन हो एवं नकदी जोखिम न्यूनतम हो। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति का पालन किया जाता है एवं मॉनिटर किया जाता है। ए एल एम स्थिति की सूचना तिमाही आधार पर बोर्ड की आर एम् सी को रिपोर्ट की जाती है। कंपनी ने बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से इसे एवं अधिक गतिशील बनाने के लिए इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पर वार्षिक रिपोर्ट:

कृपया **अनुलग्नक III** का संदर्भ लें।

कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य।

संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से कारोबार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण के विवरण:

एन ई आई ए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसके अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आय का हकदार है। ईसीजीसी द्वारा वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।

निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है एवं ये सुनिश्चित करते हैं कि-

(क) कंपनी ने आवश्यक तथ्यों से विचलन, यदि कोई हो तो, पर उचित स्पष्टीकरणों के साथ वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के कार्यो को सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत एवं दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ को प्रदर्शित करने के लिए निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं अनुमान किये हैं;

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमित्ताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशकों ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखांकन 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' आधार पर किया;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है एवं प्रभावी रूप से काम कर रहा है; तथा,

(च) निदेशको नें सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र की रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाह्य मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग एवं विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों एवं विकास मे विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैकों एवं पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं

जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों एवं ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफ़ आई ई ओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औधोगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों एवं समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया एवं कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी आई एन 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक : मई 25, 2022

अनुलग्नक I

कंपनी शासन

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक अथवा नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सावधिक रूप से कंपनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो एवं वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /कार्यपालक निदेशक (परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, बोर्ड में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों का ईष्टतम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आर पी टी) नीति यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं/अथवा बोर्ड के ध्यानार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (के एम पी) द्वारा किसी भी सम्विदा में, जिससे वह सम्बंधित हैं, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया किया गया है, का विवरण **सारणी 1** के अंतर्गत निम्नलिखित है:

तालिका **1**

क्र. सं.	**निदेशकों के नाम**	**शैक्षणिक योग्यता**	**बोर्ड में नियुक्ति की तिथि (DD/MM/YYYY)**	**श्रेणी**
1.	श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	बी एस सी, एम.बी ए.	30-12-2015 29-04-2020 से प्रभावी अ प्र नि	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
2.	श्री विपुल बंसल, आई ए एस	बी.कॉम, सी ए	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

3.	श्रीमती अपर्णा भाटिया, आईईएस	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एम. फिल.	16/11/2021	गैर-कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)
*4.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, आर बी आई	एम एस सी, सी ए आई आई बी	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*5.	सुश्री हर्षा बंगारी, एमडी, एक्ज़िम बैंक	बीकॉम, सी ए	23/09/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*6.	श्री देवेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जी आई सी	एम एस सी (भौतिकी), पी जी डी बी एम	21/01/2020	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*7.	डॉ. ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	09/08/2021	पदेन गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*8.	श्री अमित कुमार अग्रवाल	वाणिज्य में स्नातकोत्तर	03/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
*9.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	मानविकी में स्नातकोत्तर	11/11/2021	गैर-कार्यपालक गैर-सरकारी निदेशक
10.	श्री सुनील जोशी, कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड	एम एस सी (भौतिक विज्ञान)	09/07/2020	क्रियाशील निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)

11.	श्री अमिताभ कुमार, आई आर एस	एम बी ए, एल एल बी,	20/11/2020 (दिनांक 16/11/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
12.	श्री के. राजारमन, आई ए एस	बी.टेक, एम बी ए (फिन एम जी टी।), एम ए (अर्थशास्त्र)	08/08/2018 (दिनांक 18/10/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
*13.	श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, फियो	आई आई टी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	22/07/2019 28/06/2021) (दिनांक 28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती)	पदेन गैर-कार्यकारी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
14.	श्री डेविड पॉल रसकिन्हा, एम डी, एक्जिम बैंक	प्रबंधन में स्नातकोत्तर	22/07/2019 (दिनांक 31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती)	पदेन गैर-कार्यकारी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय:-

1. श्री विपुल बंसल

श्री विपुल बंसल 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। दिनांक 01 नवंबर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने वित्त एवं रक्षा सहित भारत सरकार के कई मंत्रालयों में कार्य किया है। वह वर्तमान में निर्यात संवर्धन (रत्न एवं आभूषण, सेवाएं), विदेश व्यापार

(एल ए सी, एस टी, एस ए / सार्क / ईरान), एस ई जेड, समझौता ज्ञापन, व्यापार वित्त एवं परियोजना विकास देख रहे हैं।

श्री बंसल ने 2001 में अपनी चार्टर्ड एकाउंटेंसी पूरी की है। वह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1998 में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की।

वे दिनांक 16 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

2. श्रीमती अपर्णा भाटिया

श्रीमती अपर्णा भाटिया 1996 बैच की भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय में सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग) के रूप में तैनात हैं। श्रीमती भाटिया पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1996 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं उसके बाद एम. फिल पूरा किया।

वे दिनांक 16 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुईं।

3. सुश्री हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वह इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक, मुख्य महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी थीं।

सुश्री बंगारी वर्ष 1995 में इंडिया एक्ज़िम बैंक में कार्यग्रहण किया, वह वित्तीय क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक वित्त पेशेवर हैं एवं उन्हें बैंक के सभी उत्पादों को कवर करने वाले कार्यों में बैंक की प्रक्रियाओं एवं व्यावसायिक नीतियों का गहन ज्ञान है, बॉर्डर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ-साथ रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्विसिंग एवं लायबिलिटी साइड मैनेजमेंट, जिसमें ट्रेजरी फंक्शंस एवं विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त क्षेत्रों में उनकी रुचि हैं, जहां उन्हें 14 वर्षों से अधिक का परिचालन अनुभव है।

सुश्री बंगारी वाणिज्य स्नातक एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं।

वे दिनांक 23 सितंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुईं।

4. डॉ. ए. शक्तिवेल

डॉ. ए. शक्तिवेल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष हैं एवं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ए ई पी सी) के दक्षिणी क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। साढ़े तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दूरदर्शी व्यापार एवं उद्योग नेता,

डॉ शक्तिवेल ने गाइड, मेंटर, राष्ट्रवादी, परोपकारी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में अपने नाम के साथ कई पथ-प्रदर्शक पहल की हैं। निर्यातकों के मुद्दों के कट्टर समर्थक, डॉ शक्तिवेल ने पहले भी फियो, ए ई पी सी एवं तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को शीर्ष अधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं भारत में निर्यात क्षेत्र के विकास में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से एम एस एम ई एस के लिए, एवं देश भर में एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उनकी सेवा रही है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक-अध्यक्ष के रूप में, तिरुपुर से निर्यात के विकास में उनके अपार योगदान ने तिरुपुर को क्लस्टर विकास के लिए एक संघ के रूप में मान्यता देकर वैश्विक मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डॉ. ए. शक्तिवेल के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री है एवं युवाओं को निर्यातक बनने के लिए प्रेरित करने हेतु उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वर्ष 2011 में भारथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (माननीय कारण) से सम्मानित किया गया है। डॉ. ए. शक्तिवेल को निर्यात क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में 'पद्म श्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

वे दिनांक 09 अगस्त, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

5. श्री अमित कुमार अग्रवाल

श्री अमित कुमार अग्रवाल कुमार इंटरनेशनल के प्रबंध भागीदार एवं लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह धातु हस्तशिल्प निर्यात व्यवसाय सहित समाज सेवा में भी हैं।

श्री अग्रवाल वर्ष 1993 में रोहिलखंड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं।

वे दिनांक 03 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

6. श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा

श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा कंपनी की स्वतंत्र निदेशक हैं। वह प्रतिभा समाजोत्थान विकास समिति में प्रबंधक हैं एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

श्रीमती कुशवाहा वर्ष 2010 में नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद से मानविकी में स्नातकोत्तर हैं।वे दिनांक 11 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुईं।

निदेशकों हेतु परिचायक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम/विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपलनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों , कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों /विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एन आई ए), भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई आर डी ए आई), स्टेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (स्कोप), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफैयर (आई आई सी ए), लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कंपनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कंपनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/ समिति की बैठ्कों के दौरान अवगत कराया जाता है|

समय-समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियों पर निदेशकों के पूर्व-व्यवसाय/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकी है:-

क्रम संख्या	**पद**	**निदेशक का नाम**	**दिए गए प्रशिक्षण का विवरण (विषय और तिथि)**
1.	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	श्री अमित कुमार अग्रवाल	28 जनवरी, 2022 को सीपीएसई के नवनियुक्त गैर-सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम।

		डॉ. ए. शक्तिवेली	22 दिसंबर 2021 को सीपीएसई के नवनियुक्त गैर-सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
			21 - 23 सितंबर, **2021** से सामान्य और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।
		श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	**22** दिसंबर, **2021** को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
		श्री एस सी मुर्मु	**21 - 23** सितंबर, **2021** से सामान्य और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम।
2.	गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक	श्री के रामराजन	**14-16** जून, **2021** से सामान्य और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री अमित कुमार अग्रवाल और श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा ने 07 से 09 अप्रैल, 2022 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा आयोजित "बिल्डिंग बैटर बोर्ड" पर तीन दिवसीय मास्टर क्लास में भी भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों अथवा कोविड -19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार निदेशक मंडल को प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठकें इस तरह से करने की आवश्यकता होती है कि कोई बैठकों के बीच 120 दिनों या ऐसी विस्तारित अवधि का अंतर हो जो बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच हस्तक्षेप न करे।

कंपनी सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा और नोट्स टू एजेंडा भेजती है जो भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी बोर्ड बैठक में सचिवीय मानकों के अनुपालन में प्रकृति में संपूर्ण हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चाहें तो बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पांच बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण नीचे तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका 2

क्रम संख्या	बैठक संख्या	बैठक की तिथि (दि/मा/व)	बैठक संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	431	16/07/2021	6	6
2.	432	10/08/2021	7	7
3.	433	18/11/2021	10	7
4.	434	10/02/2022	10	8
5.	435	23/03/2022	10	8

बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमशः तालिका 3 और तालिका 4 में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

तालिका 3

निदेशकों के नाम	निदेशन की प्रकृति	मण्डल में पद	बैठक तिथि 16/07/2021	बैठक तिथि 10/08/2021	बैठक तिथि 18/11/2021	बैठक तिथि 10/02/2022	बैठक तिथि 23/03/2022
श्री एम. सैंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमित कुमार अग्रवाल	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती प्रतिभा कुशवाह:	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. राजारामनी	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शरद कुमार सराफी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

तालिका 4

निदेशक का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	बोर्ड में पदनाम	18 नवंबर, 2021 को आयोजित 63वीं वार्षिक आम बैठक
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष (पूर्ण कालिक)	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित

श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्री अमित कुमार अग्रवाल	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहः	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं
श्री के. राजारामन	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं
श्री शरद कुमार सराफी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2022 तक धारित अन्य निदेशकों का विवरण नीचे तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5

निदेशकों के नाम	अन्य धारित निदेशक पद*
श्री एम. सेंथिलनाथन	0
श्री विपुल बंसल	4
श्रीमती अपर्णा भाटिया	0
श्री एस.सी. मुर्मू	0
सुश्री हर्षा बंगारी	0

श्री देवेश श्रीवास्तव	5
डॉ. ए. शक्तिवेल	6
श्री अमित कुमार अग्रवाल	0
श्रीमती प्रतिभा कुशवाह:	0
श्री सुनील जोशी	0
श्री अमिताभ कुमार (16/11/2021 तक)	1
श्री क राजारामन (18/10/2021 तक)	1
श्री शरद कुमार सराफ़ (28/06/2021 तक)	5
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा (31/05/2021 तक)	0

*निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 8 के अंतर्गत कंपनियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में निदेश

लेखापरीक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 और 16/11/2021 को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। 31/03/2022 तक, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में छह गैर-औपचारिक शामिल हैं। दिनांक 31 मई 2021 से प्रभावी श्री डेविड रस्किन्हा के कार्यकाल की समाप्ति के कारण श्री देवेश श्रीवास्तव को 15 जुलाई 2021 को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित लेखा समिति की सचिव हैं।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के सम्पूर्ण लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण करना और निर्देशन उपलब्ध करवाना है, जैसे कि कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना एवं भारत के महालेखा परीक्षक एवं सांविधिक/ बाहय लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति

के संदर्भ की शर्तों, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 177, भारत के बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई के दिशानिर्देश, एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी मामलों को कवर करती है, का अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 हुई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती की जानकारी तालिका 6 में दी गयी है:

तालिका 6

निदेशक के नाम	निदेशक पद की प्रकृति	समिति में पदनाम	बैठक तिथि 15/07/2021	बैठक तिथि 10/08/2021	बैठक तिथि 16/11/2021	बैठक तिथि 08/02/2022	बैठक तिथि 22/03/2022
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. राजारामनी	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शरद कुमार सराफी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निवेश समिति: संरचना एवं उपस्थिती

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की निवेश समिति 09/09/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को पुनर्गठित हुई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश समिति की कुल पाँच बैठकें 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को हुईं। निवेश समिति की बैठकों के सदस्यों की उपस्थिती तालिका 7 में दर्शाई गयी है:

तालिका 7

निदेशक का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**समिति में पदनाम**	**15/07/2021 को हुई बैठक**	**10/08/2021 को हुई बैठक**	**16/11/2021 को हुई बैठक**	**08/02/2022 को हुई बैठक**	**22/03/2022 को हुई बैठक**
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसा	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित

श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	एए	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री निर्दोश चोपड़ा	सीएफ़ओ एवं सीआरओ	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री यशवंत ब्रीद	सीआईओ	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्रीमती अर्पिता सेन	सीआईओ	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. राजारामनी	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीआरओ - मुख्य जोखिम अधिकारी, सीएफओ - मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीआईओ - मुख्य निवेश अधिकारी, एए - नियुक्त बीमांकक

पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति का 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को पुनर्गठन हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति की पाँच बैठकें 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को हुई। पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति की बैठक के सदस्यों की उपस्थिती की जानकारी तालिका 8 में दर्शाई गयी है।

तालिका 8

निदेशक का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**समिति में पद**	**15/07/2021 को हुई बैठक**	**10/08/2021 को हुई बैठक**	**16/11/2021 को हुई बैठक**	**08/02/2022 को हुई बैठक**	**22/03/2022 को हुई बैठक**
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित

श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री शरद कुमार सराफी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 23/09/2021 और 16/11/2021 को कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 और 22/03/2022 को जोखिम प्रबंधन समिति की पांच बार बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी तालिका 9 में दर्शाई गयी है:

तालिका 9

निदेशक का नाम	निदेशक पद की प्रकृति	समिति में पद	15/07/2021 को हुई बैठक	10/08/2021 को हुई बैठक	16/11/2021 को हुई बैठक	08/02/2022 को हुई बैठक	22/03/2022 को हुई बैठक
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित

श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के. राजारामनी	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति एवं नियुक्ति की शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि, मण्डल नें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को इसका पुनर्गठन किया गया।वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एनआरसी की कोई बैठक नहीं हुई। एनआरसी के सदस्यों की जानकारी तालिका 10 में दर्शाई गयी है।

तालिका 10

निदेशक का नाम	**निदेशक पद की प्रकृति**	**समिति में पदनाम**	**सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष)**
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष(18/11/2021 से प्रभावी)	23/09/2021
श्री विपुल बंसल	गैर-कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	16/11/2021
श्री शिरीष चंद्र मुर्मु	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	10/01/2020
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	21/01/2020
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	09/08/2021
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	09/07/2020
श्री अमिताभ कुमार	गैर-कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	20/11/2020 (16/11/2021 से सदस्यता समाप्ति)
श्री शरद कुमार सराफी	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्यता समाप्ति)
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	07/08/2019 (31/05/2021 से अध्यक्षता एवं सदस्यता समाप्ति)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (जीओआई) के स्वामित्व वाली कंपनी है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशनिर्देशों के अनुपालन के साथ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा के अनुसार की जाती है। बोर्ड आईआरडीएआई को सूचित करने सहित ऐसी सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड में लेता है और आरओसी के साथ पास आवश्यक प्रपत्र भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा (गैर-कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में) नियुक्त किया जाता है और वे किसी भी

पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। गैर-कार्यकारी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र सचिवों) को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे ((i) भारतीय रिजर्व बैंक (ii) एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (iii) सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और (iv) के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की श्रेणी के तहत नियुक्त निदेशकों को छोड़कर भारतीय सामान्य बीमा निगम) सरकार के निर्देशों/सांविधिक नियमों और विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते हैं (कंपनी ने 23 नवंबर, 2021 से प्रभावी बैठक शुल्क को प्रति बोर्ड बैठक के लिए ₹20,000 और प्रति सदस्य प्रत्येक समिति बैठक के लिए ₹10,000 में संशोधित किया है)।

कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी गैर-लेखक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी) पर बोर्ड की समिति:

कंपनी की सीएसआर और एसडी परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी के लिए कंपनी के सीएसआर और एसडी पर एक समिति का गठन किया गया है। इसे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 और 16/11/2021 को पुनर्गठित किया गया। श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 29/04/2020 से समिति के अध्यक्ष हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 और 22/03/2022 को सीएसआर और एसडी समिति की पांच बार बैठक हुई। सीएसआर और एसडी पर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे तालिका 11 में दिया गया है।

तालिका 11

निदेशकों के नाम	निदेशकपद की प्रकृति	समिति में पद	15/07/2021 को हुई बैठक	10/08/2021 को हुई बैठक	16/11/2021 को हुई बैठक	08/02/2022 को हुई बैठक	22/03/2022 को हुई बैठक
श्री एम सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री विपुल बंसल	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
डॉ. ए. शक्तिवेली	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
श्री अमिताभ कुमार	गैर - कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री शरद कुमार सराफी	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	गैर - कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड एवं बैठकों, निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05/06/2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के बोर्ड के सदस्यों का प्रदर्शन संबंधी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए बोर्ड, समिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन प्रणाली, जो कि बोर्ड रिपोर्ट में आवश्यक होती है, को छूट दी गयी है। कंपनी का मूल्यांकन वित्तीय और गैर-वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंको/महत्व के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से किया जाता है। हमारा उत्पादकता से जुड़ा एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) इस तरह के मूल्यांकन में संबंधित मंत्रालय द्वारा प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित है।

डीपीई ने दिनांक 20/06/2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक से कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा को वापस ले लिया गया।

एमसीए ने दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट दी थी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, डीपीई के दिशानिर्देशों की आवश्यकतानुसार (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20/06/2013) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 18/11/2021 को अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता

का आकलन करने के लिए, डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार 18/11/2021 को स्वतंत्र अधिवेशनों की बैठक हुई। कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है।

डीपीई के दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20/06/2013) की आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करने के लिए 18/11/2021 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई ताकि बोर्ड द्वारा प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन किया जा सके।

सामान्य बैठक

गत तीन वर्षों में सम्पन्न हुई सामान्य बैठकों की जानकारी तालिका 12 में दी गयी है:

तालिका 12

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	सामान्य बैठकों की संख्या	दिनांक एवं समय	स्थान	पारित हुए विशिष्ट संकल्पों की संख्या, (यदि कोई हो तो)
1	2018-19	ईजीएम	दिसंबर 07, 2018 1500 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	10
2	2018-19	61	अगस्त 26, 2019 1500 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	शून्य
3	2019-20	62	24 नवंबर, 2020 1500 बजे।	पंजीकृत कार्यालय, मुंबई	शून्य
4	2020-21	63	नवंबर 18, 2021 1600 बजे।	उद्योग भवन, नई दिल्ली	शून्य

व्यापार आचार संहिता और नैतिकता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिक संहिता निर्धारित की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है (www.ecgc.in)।

प्रकटीकरण

कंपनी व्यापार के सामान्य क्रम में किए गए लेनदेन को छोड़कर किसी भी निदेशक, प्रबंधन अथवा उनके रिशतेदारों अथवा कंपनी एवं फार्म इत्यादि के साथ, जिसमें वो या तो प्रत्यक्ष अथवा उनके रिश्तेदार निदेशक अथवा भागीदारों के रूप में हित प्राप्त करते हैं, किसी भी भौतिक अथवा वित्तीय लेनदेन में शामिल नहीं है। बोर्ड ने 23/03/2022 को 'संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति' शब्दावली के अंतर्गत आरपीटी पर संशोधित नीति को अपनाया। कंपनी ने संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक - 24 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के विवरण का खुलासा किया है।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए लेन-देन को छोड़कर, व्यक्तिगत फर्मों, कंपनियों और संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के निदेशक कोई हित प्राप्त करते हैं:

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और इसके न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनकी समय-समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।

बोर्ड समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है और साथ ही कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के मामलों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है।

कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है जो प्रत्येक कर्मचारी को, किसी भी स्तर पर होने वाले अस्वीकार्य/अनैतिक व्यवहार और/या कदाचार की किसी

घटना, जो उसके संज्ञान में आती है, के बारे में, बिना किसी भय अथवा चिंता के, सुरक्षित महसूस करने में सक्षम बनाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित को छोड़कर, किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा, भूमि के विभिन्न क़ानूनों से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था:

1. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के द्वारा 07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- के स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने पर ₹4,46,710/- (रुपये चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस मात्र) का जुर्माना लगाया था।

हालांकि, कंपनी ने 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को दंड से छूट के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है और इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ शीघ्र निर्णय के लिए लगातार पालन किया जा रहा है। अपील बहस की तारीख तक लंबित है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 मई, 2022 है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 - ईसीजीसी द्वारा दिनांक 09.08.2016 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जारी आदेश एवं उसके पश्चात क्षेत्रीय पीएफ़ आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई द्वारा दिनांक 18.11.2016 को जारी अदेशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) द्वारा सितंबर 2010 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए (अगस्त 2017 से शुरू हुए आकस्मिक कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ के साथ नियमित पीएफ अंशदान के साथ) ईसीजीसी के अस्थायी कर्मचारियों के पीएफ़ अंशदान को ईसीजीसी कर्मचारी भविष्यनिधी ट्रस्ट से कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन को हस्तांतरित कर दिया गया एवं पीएफ अंशदान के दोनों शेयरों अर्थात नियोक्ता और आकस्मिक श्रमिकों की ओर से सदस्य के योगदान को उनकी संबंधित स्थान पर अगस्त, 2010 को प्रेषित किया।

सहायक द्वारा कंपनी को दिनांक 10.04.2017 का एक समन जारी किया गया था। पीएफ आयुक्त, ईपीएफओ यू/एस.7क्यू के तहत ईपीएफ और एमपी एक्ट के तहत पीएफ अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹24,27,917/- और ₹43,18,042/- के लिए 01.04.2020 से अवधि के लिए नुकसान के लिए यू/एस.14बी के लिए हर्जाना। 2016 से 31.03.2017 तक। एपीएफसी, ईपीएफओ के समक्ष पिछली सुनवाई 07 जून, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया था। सुनवाई 07 जून, 2019 को संपन्न हुई और आदेश सुरक्षित हैं।

ईपीएफ़ एवं एमपी अधिनियम के अंतर्गत अनुभाग 7Q के अंतर्गत सहायक पीएफ़ आयुक्त, ईपीएफ़ओ द्वारा दिनांक 10.04.2017 को अनुभाग 14ब के अंतर्गत 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए ₹24,27,917/- एवं ₹43,18,042/- के पीएफ़ अंशदान पर ब्याज के भुगतान के लिए एक समन जारी किया गया।

07 जून 2019 को ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई हुई जिसमें विस्तृत उत्तर दिया गया। जून 07, 2019 को सुनवाई समाप्त हुई व पुराने आदेशों को वापिस ले लिया गया।

2.कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 - एपीएफसी, ईपीएफओ ने अधिनियम की धारा 14बी (और धारा 7क्यू के तहत ब्याज के भुगतान का आदेश) के अंतर्गत कंपनी को निम्नलिखित अवधि के दौरान विलम्बित प्रेषणों के लिए तीन नोटिस दिनांक 12.03.2019 (जिसमें 10.04.2017 के समन के लिए ब्याज और जुर्माना भी शामिल है) को जारी किए थे।

(i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 तक - उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानी एवं ब्याज सहित) ₹1,94,395/-

(ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 तक - उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानी एवं ब्याज सहित) ₹1,32,20,020/-

(iii) सितंबर 2010 अगस्त 2016 तक - उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानी एवं ब्याज सहित) ₹81,69,947/-

नोटिस की कुल राशि (हानी व ब्याज सहित) ₹2,15,84,362/-.

अंतिम सुनवाई सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ए पी एफ सी), ई पी एफ ओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष हुई। दिनांक जुलाई 31, 2021 के ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के आदेशानुसार कंपनी द्वारा ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ को देय हानी (₹59,67,524/-) एवं ब्याज (₹1,03,19,685/-) का कुल ₹1,62,87,209/- का समेकित भुगतान कर दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत रिपोर्ट किए गए पीएफ योगदान के लिए विलंबित प्रेषण के कारण गैर-अनुपालन को सुधारा गया है और एपीएफसी, ईपीएफओ के अंतिम आदेश का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष रखना

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित खातों को 11 फरवरी, 2022 को वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में अनुपालन के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया क्योंकि 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार की ओर से नामांकित सात अन्य व्यक्तियों के पास हैं।

शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक सामान्य बैठक: 64 वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक सितंबर 05, 2022 को समय 1800 बजे निश्चित की गयी है।

(ख) मार्च 31, 2022 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न: कंपनी पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी 39,50,00,000 शेयर ₹100 प्रत्येक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ सदस्यों सहित भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में हैं।

(ग) पत्राचार के लिए पता: श्रीमती स्मिता वि. पंडित, कंपनी सचिव, ई सी जी सी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर,10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021. Email: cs@ecgc.in.

संचार के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in में "हमारे बारे में" सेक्शन के अंतर्गत वित्तीय परिणामों के लिए भिन्न सेक्शन हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है

- वित्तीय परिणाम: कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ecgc.in पर वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और त्रैमासिक परिणाम नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं।

- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, को सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। अनुबंध IV में दी गई प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

एम. सेंथिलनाथन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07376766

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022

कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

मैं, स्मिता वी. पंडित एतद्द्वारा प्रमाणित करती हूं कि कंपनी ने समय-समय पर संशोधित बीमा कंपनी के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन किया है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्मिता वि. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022

R.S. PADIA & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y. 2021-22

To,
The Members
ECGC Limited,
10th Floor, Express Towers,
Nariman Point,
Mumbai – 400021.

1. I have examined the compliance conditions of Corporate Governance by **ECGC Limited (the "Company")** ***CIN. U74999MH1957GOI010918*** in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2021-22. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from Government of India.

2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.

3. On the basis of my examination of the records produced and the explanations and information furnished, I certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31st March 2022.

4. I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Mumbai
Date: 21.05.2022
UDIN: F006804D000360014

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
RAJSHREE SWADHIN PADIA
CS Rajshree Padia
FCS: 6804. COP: 7488

Address: B1, 601, Greenland CHSL, J B Nagar, Andheri East, Mumbai - 400059.
Email: rajshreecs@hotmail.com. (M): 9819164904

A Lakhotia & Co.
Practicing Company Secretary

412, 4th Floor, Falcon Court,
Damoji Patil Wadi, Mulund,
Mumbai, Maharashtra-81.
HP : +91 9322420337
Email: info@alandco.in,
web: www.alandco.in

Form MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
ECGC LIMITED
Express Towers, 10th Floor, Nariman point,
Mumbai 400021.

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC LIMITED** (hereinafter called "the Company") bearing CIN: U74999MH1957GOI010918. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 ('Audit Period') has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Financial Year ended on 31st March, 2022 according to the provision of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;
iii. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
iv. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder **(not applicable as the Company is unlisted)**;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(not applicable as the Company is unlisted)**;
g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted)**; and
h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 **(not applicable as the Company is unlisted)**

vi. We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliance under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

a) Insurance Act 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
b) IRDA Act, 1999 and Rules made thereunder;
c) Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
d) The Sexual Harassment of Woman at Workplace Act, 2013.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;
(ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements- entered by the Company with Stock Exchanges **(Not applicable as the Company is unlisted)**.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except the following:

1. *Delay in filing half yearly Technical Audit report to IRDA by twenty nine days;*
2. *Delay in quarterly uploading of Accounts data under IRDAI BAP module by eighteen days;*
3. *Non-Compliance with sub section (1) of Section 149 of Companies Act, 2013 with respect to appointment of Women Director from 01st October, 2020 till 22nd September, 2021.*

I further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and in certain events at shorter notice and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the Meeting and for meaningful participation at the Meeting.

Majority decision is carried through unanimous resolution while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

Based on the representation and explanation given to me I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations & guidelines.

I further report that during the reporting period, following changes took place in the Management:

1. Cessation of Shri David Rasquinha from directorship with effect from 31st May, 2021;
2. Cessation of Shri Sharad Kumar Saraf from directorship with effect from 28th June, 2021;
3. Appointment of Dr. A. Sakthivel as an Independent Director with effect from 09th August, 2021;
4. Appointment of Shri. Anand Singh as Key Managerial Person with effect from 16th August, 2021;
5. Appointment of Shri. Yashwant B. Breed as the Chief Investment Officer (CIO) and Key Managerial Person with effect from 09th September, 2021;
6. Cessation of Smt. Arpita Sen as Key Managerial Person with effect from 09th September, 2021;
7. Appointment of Smt. Harsha Bangari as an Independent Director with effect from 23rd September, 2021;
8. Cessation of Shri K. Rajaraman as Government Nominee Director with effect from 18th October, 2021;

9. Appointment of Shri. Amit Kumar Agarwal as an Independent Director with effect from 03rd November, 2021;
10. Appointment of Smt. Aparna Bhatia as Government Nominee Director with effect from 16th November, 2021;
11. Appointment of Smt. Pratibha Kushwaha as an Independent Director with effect from 11th November, 2021;
12. Appointment of Shri. Vipul Bansal as Government Nominee Director with effect from 16th November, 2021;
13. Cessation of Shri Amitabh Kumar as Government Nominee Director with effect from 16th November, 2021;

For, A Lakhotia & Co.

ABHISHEK
LAKHOTIA

Abhishek Kumar Lakhotia
M No. :9082
C.P No:10547
UC No: S2011MH170500
P.R No:594/2019
UDIN: F009082D000348071

Date: 19.05.2022
Place: Mumbai

Note: This report is to be read with my Annexure 'A' of even date which are annexed and forms an integral part of this report.

'ANNEXURE - A'

My Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter:

Management Responsibility:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

Auditors Responsibility:

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records and other legal compliances as declared by the Company. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer :

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For, A Lakhotia & Co.

ABHISHEK
LAKHOTI
A

Date: 19.05.2022
Place: Mumbai

Abhishek Kumar Lakhotia
M No. : 9082
C.P No. :10547
UC No. : S2011MH170500
P.R No: 594/2019
UDIN: F009082D000348071

अनुलग्नक III

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें पूर्ण की गई परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

कंपनी ने 2014 में सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है और बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹10,85,79,139/- की राशि खर्च की गई।

कंपनी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹300 लाख की प्रतिबद्धता की और दस प्रस्तावों को मंजूरी दी, जैसे कि प्रोजेक्ट बाला - 100 स्कूलों में लर्निंग एड (बीएएलए) पेंटिंग, 400 आंगनवाड़ी में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना। केंद्र (एडब्ल्यूसी), जिला अस्पताल के लिए अपशिष्ट संग्रह वाहन, 1200 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में शैक्षिक खेल, ग्रीन हाउस खेती, जवाहर नवोदय स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के लिए कक्ष का निर्माण, एनीमिया में कमी के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता और ग्रेड 3-5 के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में संख्या (एफएलएन), महिलाओं की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए वनरोपण और स्ट्रीट लाइट के लिए वृक्षारोपण अभियान और छात्रावासों के लिए खिड़की मच्छरदानी प्रदान करना।

कंपनी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के माध्यम से एम-वार्ड प्रोजेक्ट यानी मुंबई में एम-पावर लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर, एम-वार्ड को बदलने के लिए अपना समर्थन जारी रखा है। एम-पावर अपने छात्रों को सभी

स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की पाठ्यपुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एमपीएससी, यूपीएससी, एनईईटी, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए किताबें हैं। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि सामान्य पढ़ने और सीखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए पत्रिका और जर्नल सदस्यता, कई भाषाओं में समाचार पत्र और कथाओं का संग्रह भी शामिल है। इन कार्यक्रमों के तहत, TISS प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादी अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा आदि के लिए कोचिंग जारी रखता है।

चार परियोजनाएं जैसे स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने और रोकथाम के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग, वर्ली (मुंबई में कुपोषण रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम), अन्ना भाऊ साठे नगर (मुंबई) में कुपोषण रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, माहुल गांव में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण (मुंबई) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से किए गए थे और 2021-22 के दौरान विस्तारित किए गए हैं। कंपनी ने मुंबई में डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसवांटेज इन सोसाइटी (डीईईडीएस) द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास, आतिथ्य और खुदरा व्यापार में बधिर युवाओं के प्रशिक्षण पर परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखा।

कंपनी ने वर्ष के दौरान विवेकानंद केंद्र के माध्यम से परियोजनाओं, ओडिशा में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और उत्तर पूर्व में चिकित्सा गतिविधियों का समर्थन किया।

कंपनी ने कार्यान्वयन भागीदार आकार के साथ मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई के कलिना परिसर में "स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम प्लांट" का निर्माण किया। कंपनी श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भक्तिवेदांत अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, मीरा रोड, ठाणे जिले को दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की सहायता दे रही है। यह अस्पताल ठाणे और पालघर जिलों के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी रोजवनम ट्रस्ट, मदुरै के माध्यम से मदुरै में वृद्धों और बेघरों के लिए हेल्प-होम को अपनी सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा अनुमोदित मोखदा के आदिवासी बेल्ट में अनिरुद्ध आपदा प्रबंधन अकादमी की पुनर्वास परियोजना को 2021-22 के दौरान जारी रखा गया था। सीकेएस फाउंडेशन (सीकेएसएफ), जो उत्तराखंड में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए

समर्पित है; वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखंड में सीकेएस फाउंडेशन के शिक्षा और पुस्तकालय केंद्रों के लिए परियोजना का समर्थन किया गया है। वंचित विकलांग व्यक्तियों, अनाथों और निराश्रितों को परोपकारी सेवा प्रदान करने में लगी "वॉयस ऑफ वर्ल्ड" के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। स्नेहालय के केयरिंग फ्रेंड्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आवर्ती खर्चों के लिए स्नेहालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र को भी सहायता प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा शिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए "ब्लाइंड ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इंडिया" को "गरीब नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार" के उद्देश्य से जॉ सॉफ्टवेयर ब्रेल एम्बॉसर समर्थित 12 कम्प्यूटर सेट, "वॉक सेफली" कार्यक्रम के अंतर्गत 738 आर्थिक रूप से गरीब नेत्रहीन सदस्यों को फोल्डिंग कैन एवं आर्थिक रूप से गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को "अंधेपन से बचाने के लिए" 19 व्यक्तियों की 25 आंखों की मोतियाबिंद सर्जरी की सहायता दी गयी। कंपनी ने आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि और अत्यधिक गरीबी से भर्ती मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस)-बेंगलुरु को सहायता प्रदान की। कंपनी ने भारत के एसओएस चिल्ड्रन विलेज को दूसरे वर्ष के लिए अपना समर्थन जारी रखा जो कि एसओएस चिल्ड्रन विलेज गुवाहाटी स्थानों पर एक घर के लिए है, जो माता-पिता के बिना बच्चों को दीर्घकालिक, उच्च गुणवत्ता, परिवार-आधारित देखभाल प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। कंपनी ने परिचय फाउंडेशन, दिल्ली - संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 8 के अंतर्गत महिला बुनकर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने की एक पहल - परियोजना शीर्षक - परिणीति, स्थान मनियाबंधा गांव, अथागढ़, ओडिशा, को भी सहायता दी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर - तमिलनाडु ने सीएमसी वेल्लोर में अस्पताल मुफ्त बिस्तर योजना के लिए 30 आर्थिक रूप से वंचित कैंसर रोगियों को सहायता देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सीएमसी वेल्लोर को समर्थन दिया है। कंपनी ने शिक्षा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत - अमचा घर, उत्तान, भायंदर, जिला ठाणे को भी सहायता दी है। कंपनी ने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (सीपीएए) मुंबई के सीएसआर प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब कैंसर रोगियों को उपचार प्रदान करना है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भारतीय रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में ₹84.50 लाख का योगदान दिया गया। नमामि गंगे परियोजना के तहत 'स्वच्छ गंगा कोष' में ₹71.50 लाख का योगदान दिया गया।

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:
   i. संगठन में अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
   ii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को हाथ में लेना जो अपने विभिन्न कार्यालयों में और आसपास के समुदायों को लाभान्वित करते हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाते हैं।
   iii. समाज के कमजोर, कम विशेषाधिकार प्राप्त और हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।
   iv. अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच कंपनी के लिए सद्भावना और गौरव उत्पन्न करना और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रमांक	**निदेशक का नाम**	**पदनाम:**	**सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष)**	**उपस्थित बैठकों की संख्या/कुल संख्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या**
1.	श्री एम सेंथिलनाथन	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	29/04/2020	5/5

2.	श्री विपुल बंसल	सह सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	16/11/2021	1/3
3.	श्री शिरीष चंद्र मुर्मु	कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	10/01/2020	2/5
4.	सुश्री हर्षा बंगारी	प्रबंध संचालक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक	23/09/2021	2/3
5.	श्री देवेश श्रीवास्तव	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम	21/01/2020	5/5
6.	डॉ. ए. शक्तिवेल	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ	09/08/2021	4/4
7.	श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक (पॉलिसी मामलें), ईसीजीसी लिमिटेड	09/07/2020	5/5
8.	श्री अमिताभ कुमार	सह सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	20/11/2020 (16/11/2021 से सदस्य नहीं)	1/2
9.	श्री शरद कुमार सराफी	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य नहीं)	0/0
10.	श्री डेविड पॉल रस्किन्हा	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य नहीं)	0/0

3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट: www.ecgc.in पर किया जाता है।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं
5. कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

क्रमांक	**वित्तीय वर्ष**	**पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)**
		कुछ नहीं	कुछ नहीं

6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹434.11 करोड़
7. (अ) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹8.68 करोड़, सीएसआर के लिए आवंटित बजट ₹8.70 करोड़

   (आ) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

   (इ) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि: यदि कोई हो: शून्य

   (ई) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b+7c): ₹8.70 करोड़।
8. (अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	कोश का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
822.51 लाख	38.56 लाख	29-04-2022	स्वच्छ भारत कोष	8.93 लाख	11-05-2022

(आ) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: परिशिष्ट देखें।

(इ) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: परिशिष्ट देखें।

(ई) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि ₹1.38 लाख

(उ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य

(ऊ) वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित और वितरित कुल राशि ₹870 लाख

(ऋ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹822.51 लाख

(ए) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	विवरण	राशि ₹ में
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹8.68 करोड़ (सीएसआर ₹8.70 करोड़ के लिए आवंटित बजट)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹8.22 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	शून्य

9. (a) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

- ₹38,56,000/- वर्तमान में चल रही परियोजनाओं से संबंधित है (यूसीएसआर खाते में स्थानांतरित) और

- ₹8,93,195/- प्रशासनिक व्यय और स्वच्छता कार्य योजना गतिविधियों के लिए आवंटित बजट के तहत कम व्यय के कारण शेष राशि से संबंधित है। (स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित)

(b) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम संख्या	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	संतुलन प्रतिबद्धता	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चल रही)
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा	आकांक्षी जिला - राजगढ़	2020-21	एक वर्ष	30000000	15270000	30000000	0.00	चल रही है
2	स्वास्थ्य	15.05.2020 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता	2020-21	एक वर्ष	4703000	0	3438000	1265000	चल रही है
3	स्वास्थ्य	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट-भक्तिवेदांत अस्पताल, पालघर, महाराष्ट्र	2020-21	एक वर्ष	960000	480000	960000	0.00	पूर्ण
4	स्वास्थ्य	विवेकानंद केंद्र-एनई : चिकित्सा गतिविधियां	2020-21	एक वर्ष	2090000	0	836000	1254000	चल रही है
5	स्वास्थ्य	विवेकानंद केंद्र: ओडिशा: मोबाइल मेडिकेयर यूनिट	2020-21	एक वर्ष	1613109	0	645600	967509	चल रही है

6	स्वास्थ्य	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन: स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, वर्ली, मुंबई की शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग	2020-21	एक वर्ष	1969128	910634	1969128	0.00	पूर्ण
7	स्वास्थ्य	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन: कुपोषण निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, वर्ली, मुंबई	2020-21	एक वर्ष	1837644	837507	1837644	0.00	पूर्ण
8	स्वास्थ्य	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन: कुपोषण निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम - अन्नाभाऊ साठे नगर, मुंबई	2020-21	एक वर्ष	1041240	521470	1041240	0.00	पूर्ण
9	स्वास्थ्य	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण, माहुल, मुंबई	2020-21	एक वर्ष	2059180	959580	2059180	0.00	पूर्ण
10	पोषण	अनिरुद्ध आपदा प्रबंधन अकादमी, खार, मुंबई - मोखदा पुनर्वास	2020-21	एक वर्ष	2659000	1733800	2659000	0.00	पूर्ण
11	स्वास्थ्य	रोजवनम ट्रस्ट, मदुरै	2020-21	एक वर्ष	1760000	704000	1760000	0.00	पूर्ण

12	शिक्षा	टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट के माध्यम से शांडी सेवा निधि लिमिटेड	2020-21	एक वर्ष	3472000	0	1277500	2194500	चल रही है
		कुल			54164301	21416991	48483292	5681009	

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: देखें 9 (ए)

(निर्दोष चोपड़ा) **(एम. सेंथिलनाथन)**

मुख्य वित्तीय अधिकारी **सीएसआर समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

सी एस आर दायित्व विवरण

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति को अपनाया है एवं उसकी अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी एस आर नीति है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियां स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चित करना, पर्यावरण, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, विकलांगों के लिए सेवाओं को मजबूत करना और अनुसूचित जनजाति समुदाय के समर्थन से संबंधित हैं। सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुकरण में है।

(एम. सेंथिलनाथन)
सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष
डीआईएन 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022

अनुलग्नक III का परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर किए गए सी एस आर राशि के व्यय का विवरण:

क्र सं	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान - राज्य	राज्य	परियोजना की अवधि(महीनों में)	परियोजना के लिए आबंटित राशि	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति	नाम
1	विवेकानंद केंद्र - उत्तर पूर्व - एक्स रे मशीन एवं आपात कालीन जनरेटर की खरीद	स्वास्थ्य	नहीं	परियोजना - आसाम	गुवाहाटी	12	1600000	0	1,600,000	नहीं	CSR00005526	विवेकानंद केंद्र
2	सी के एस फाउंडेशन, उत्तराखंड - बोर्ड द्वारा अनुमोदित (शिक्षा)**	शिक्षा	नहीं	परियोजना - उत्तराखंड	देहरादून	12	3610000	2707500	902,500	नहीं	CSR00009044	सी के एस फाउंडेशन
3	स्नेहालय,	स्वास्थ्य	नहीं	परियोजना -	अहमद नगर	12	1683000	841500	841,500	नहीं	CSR00001248	स्नेहालय

	अहमदनगर			महाराष्ट्र								
4	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज ऑफ़ इंडिया - गुवाहाटी के गाँव में	शिक्षा	नहीं	परियोजना - आसाम	गुवाहाटी	12	1512000	1000000	512,000	नहीं	CSR00000692	एस ओ एस चिल्ड्रेन्स विलेज
5	आकांक्षी जिला - राजगढ़, मध्य प्रदेश - स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पतालों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना	स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सशक्तिकरण	नहीं	परियोजना - मध्य प्रदेश	राजगढ़	12	30000000	30000000	-	नहीं	लागू नहीं	
6	समाज में पिछड़ों का विकास शिक्षा अधिकारिता (डीईईडीएस), मुंबई	स्वास्थ्य	हाँ	परियोजना - महाराष्ट्र	मुंबई	12	1050000	1050000	-	नहीं	CSR00000703	डी ई ई डी एस
7	वॉयस ऑफ वर्ल्ड, कोलकाता	पोषण	नहीं	परियोजना - पश्चिम बंगाल	कोलकाता	12	1000000	1000000	-	नहीं	CSR00003390	वॉयस ऑफ वर्ल्ड

8	भारत का नेत्रहीन संगठन, मुंबई	शिक्षा एवं स्वास्थ्य	हाँ	परियोजना - महाराष्ट्र	मुंबई	12	2335343	2335343	-	नहीं	CSR00003325	भारत का नेत्रहीन संगठन
9	निमहंस, बैंगलोर	स्वास्थ्य	नहीं	परियोजना - कर्नाटक	बंगलोर	36	10000000	10000000	-	नहीं	CSR00006218	निमहंस
10	विवेकानंद केंद्र - उत्तर पूर्व - आनंदालय (शिक्षा) बोर्ड द्वारा	शिक्षा	नहीं	परियोजना -	सम्बलपुर, तिनसुकिया, वाराणसी	12	4700000	4700000	-		CSR00005526	विवेकानंद केंद्र
11	दक्षिण सुंदरम जनकल्याण संघ (एसएसजेएस) - सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में सुरक्षित पेयजल के लिए हैंडपंप की स्थापना	सुरक्षित पेय जल	नहीं	परियोजना - पश्चिम बंगाल	24 परगना	12	1600000	1600000	-		CSR00001189	दक्षिण सुंदरम जनकल्याण संघ
12	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट - भक्तिवेदांत अस्पताल एवं	स्वास्थ्य	हाँ	परियोजना - महाराष्ट्र	ठाणे	12	960000	960000	-		CSR00001017	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट

	अनुसंधान संस्थान, मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र											
13	परिचय फाउंडेशन, दिल्ली - परिणीति परियोजना - मनियाबंधा गांव, अथागढ़, ओडिशा	महिला सशक्तिकरण	नहीं	परियोजना - ओडिशा	कट्टक	12	1200000	1200000	-		CSR00002652	परिचय फाउंडेशन, दिल्ली
14	शिक्षा सहायता कार्यक्रम- अमचा घर, उत्तान, जिला। ठाणे, महाराष्ट्र	शिक्षा	हाँ	परियोजना - महाराष्ट्र	ठाणे	12	2300000	2300000	-		CSR00000102	अमचा घर
15	सी एम सी वेल्लोर एसोसिएशन - पेशेंट केयर	स्वास्थ्य	नहीं	परियोजना - तमिलनाडु	वेल्लोर	12	4500000	4500000	-		CSR00001924	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
16	कैंसर रोगी सहायता संघ मुंबई	स्वास्थ्य	हाँ	परियोजना - महाराष्ट्र	मुंबई	12	450000	450000	-		CSR00000926	कैंसर रोगी सहायता संघ
TOTAL कुल							68500343	64644343	3,856,000			

वितीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम पर किए गए सीएसआर राशि के व्यय का विवरण:

क्र सं	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान-राज्य	राज्य	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति	नाम
1	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन	मुंबई विश्वविद्यालय, कलिना- स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम परियोजना	हाँ	परियोजना: महाराष्ट्र	मुंबई	1500000	नहीं	CSR00014555	आकार
2	सेना कल्याण	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ)	नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली	8450000	नहीं	CSR00005526	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
3	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	स्वच्छ गंगा कोष (सी जी एफ)	नहीं	नई दिल्ली	नई दिल्ली	7150000	नहीं	लागू नहीं	नमामी गंगे परियोजना
8	स्वच्छता कार्य योजना	स्वच्छता कार्य योजना	नहीं	गैर-परियोजना : अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	368799	NO नहीं	लागू नहीं	ईसीजीसी के शाखा कार्यालयों के माध्यम से
						17468799			

(एम. सेंथिलनाथन)
सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष
डीआईएन 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक: मई 25, 2022

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कोविड -19 महामारी ने वर्ष 2020 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के दौर में धकेल दिया था। निरंतर टीकाकरण कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में श्रमिकों के निरंतर प्रयासों ने उसके बाद लगातार कोविड -19 लहरों के प्रभाव का सामना करने में मदद की। सरकारों ने, मंदी के जवाब में, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों में ढील दी, जिससे अधिकांश व्यावसायिक इकाइयों को इस अभूतपूर्व झटके से बचने में मदद मिली।

जबकि महामारी से उत्पन्न संकट के कारण जान माल की गंभीर हानि हुई है, अर्थव्यवस्थाओं को ऋणों में वृद्धि के कारण वित्तीय संकट , आपूर्ति शृंखलाओं के अवरोधों एवं मांग एवं निवेश में वैश्विक गिरावट का सामना करना पड़ा है। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि में पुनः गति आरंभ हो गयी है, परंतु निकट भविष्य में इसका महामारी पूर्व स्तर पर लौटने की संभावना नहीं है।

कोविड -19 महामारी, दुनिया भर में मंदी एवं वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 6.1 प्रतिशत तक संकुचित करने का कारण बनी। यह वृद्धि सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक समान थी, जिसमें उभरते बाजार एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.2 प्रतिशत की दर से नीतिगत उपायों में ढील दी गई। कोविड -19 संक्रमण की रुक-रुक कर आने वाली लहरों को अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को कम किए बिना कुशलतापूर्वक समाप्त कर दिया।

वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व व्यापार में भी 27.6 ट्रिलियन डॉलर की संख्या दिखी एवं पिछले वर्ष की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापारिक निर्यात कुल 21.7 ट्रिलियन डॉलर था एवं सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान वृद्धि दर्ज की गयी थी।

हालांकि, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए रुकी हुई मांग तथा अर्थव्यवस्था में धन के सरल प्रवाह के कारण जल्द ही कमोडिटी की कीमतों एवं मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वैश्विक मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने भी वृद्धि में योगदान दिया तथा इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां सीधा विकास, मुद्रास्फीति को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। वर्ष 2021 के अंत तक, विश्व अर्थव्यवस्था में यह महसूस किया है कि यह जल्द ही एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है एवं मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने वाले उपायों की शुरुआत की गई।

संक्रमण की बाद की लहरों की शक्ति कम होने पर दुनिया भर की सरकारों ने आर्थिक नीतियों पर अधिकतम ध्यान देने की मांग की। हालाँकि, फरवरी 2022 में उत्पन्न होने वाली भू-राजनीतिक गड़बड़ी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि स्थिति को जल्द से जल्द दूर नहीं किया जा सकता है। मुद्रास्फीति एवं स्थिर विकास यहां रहने के लिए हैं और देशों के बीच खंडित संबंधों के कारण वैश्वीकरण का टूटना भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी कि पिछली आधी सदी में किए गए अच्छे कार्यों का सफाया न हो एवं समग्र सद्भाव बनाए रखा जा सकें । विश्व व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीयकृत प्रयास ऐसा करने में एक लंबा सफर तय करेंगे।

परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार वर्ष 2022 एवं 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 3.6 प्रतिशत विस्तार होने का अनुमान है। इन अनुमानों को कुछ हद तक स्थिर रखने वाले वाले व्यापक आर्थिक कारकों के कारण है, जिसका आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में मंदी की एक और दो साल की अवधि को देख रही है, जो अज्ञात एवं उभरते हुए रूपों के कारण कोविड -19 संक्रमण की बाद की लहरों से और तेज हो सकती है।

वर्ष 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ एवं उभरती हुई एवं विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2022 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत एवं 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि संभावित है। भारत के 2022 में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 8.2 प्रतिशत की उच्चतम विकास

दर दर्ज करने की उम्मीद है एवं एशिया में विकास का नेतृत्व करेगा। वर्ष 2022 में मौजूदा कमोडिटी कीमतों से उत्साहित होकर मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया के 4.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2022 में लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि यूरोप में उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2.9 प्रतिशत तक अनुबंधित होने की उम्मीद है।

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को दर्शाते हुए, वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में पांच प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आयात 5.6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है एवं वे उभरते एवं विकासशील बाजारों के लिए एक लक्षित बाजार के रूप में उभरेंगे जिनके निर्यात में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। ईंधन निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं एवं उनसे जुड़े उद्योगों को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि वर्ष 2022 में उनके निर्यात में 8.8 प्रतिशत एवं आयात में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

वर्ष 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.7 प्रतिशत एवं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत की अपेक्षित मुद्रास्फीति दर के साथ गति रोध होने की संभवना हैं। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति को सख्त करना पहले ही शुरू हो चुका है एवं आने वाले समय में अधिक उन्नत एवं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूल होने की संभावना है। वर्ष 2021 में कोविड-19 के बाद कई देशों में वृद्धि प्रभावशाली रही है एवं वर्तमान वर्ष उन सभी के लिए एक परीक्षा होगी। पिछले दो वर्षों के दौरान जैविक और सतत विकास पर काम करने वाले देशों को इस दबाव का सामना करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दुनिया में लाने हेतु आदर्श रूप से रखा जाएगा।

भारतीय निर्यात

वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत का कुल निर्यात (व्यापार एवं सेवाएं) 669.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹49,89,696 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 34.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल आयात 756.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹56,38,174.02 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.80 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का व्यापारिक निर्यात 419.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹31,29,096.2 करोड़) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 291.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹21,59,043.22 करोड़) था, जिसमें प्रति वर्ष 43.8 डॉलर के संदर्भ में प्रतिशत एवं रुपये के संदर्भ में 44.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

वर्ष 2021-22 में अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए व्यापारिक आयात का कुल मूल्य 611.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹45,63,803.96 करोड़) था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 394.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹29,15,957.7 करोड़) था, जो डॉलर एवं रुपये के लिहाज से क्रमश: 55.13 फीसदी एवं 56.51 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई हैं।

वर्ष 2021-22 के अप्रैल-मार्च अवधि के लिए कुल व्यापार घाटा 87.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹6,48,477.9 करोड़) था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि में 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,04,326.6 करोड़) का घाटा हुआ था।

कंपनी के परिचालनों की समीक्षा
अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसीयां

निर्यात प्राप्य अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसीयां - एस टी-पॉलिसी) के लिए कंपनी के रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2022 तक 6711 थी, जबकि दिनांक 31 मार्च 2021 को 7372 थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जारी किए गए 12391 की तुलना में जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 10940 थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लागू एस टी-पॉलिसीयों की संख्या 10292 थी, जिसमें कुल अधिकतम देयता (एम एल) ₹47,465.60 करोड़ थी, जबकि 11280 पॉलिसीयां लागू की गई थीं एवं कुल एम एल ₹46,073.08 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च 2021 तक लागू पॉलिसीयों की संख्या में 8.76% की गिरावट एवं कुल एम एल में 3.02% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसीयों की कुल संख्या 3390 थी, जिनमें से 960 सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) पॉलिसीयां थीं।

'छोटे निर्यातक' से संबंधित विशिष्ट निर्यातकों (अर्थात पॉलिसी रक्षा के साथ निर्यातक, जिन्हें ₹40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर एम एल के साथ रक्षा प्राप्त है) का हिस्सा, कंपनी के पॉलिसी उत्पादों को अलग-अलग निर्यातक ग्राहकों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2021 को 97.06% के मुकाबले 31 मार्च 2022 को 97.95% हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) (एस सी आर) पॉलिसियां, निर्यात पण्यावर्त पॉलिसियां (ई टी पी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसियां, परेषण पॉलिसियां आदि 52.37% पर एक बड़ा हिस्सा साबित हुई। दिनांक 31 मार्च, 2022 को लागू घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की कुल संख्या 29400 करोड़ के कुल एम एल के साथ 5390 थी, जबकि 5911 के मुकाबले 31 मार्च, 2021 को 29100 करोड़ रुपये के कुल एम एल के साथ, जबकि घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की संख्या में 8.81% की गिरावट आई साथ ही कुल एम एल में 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई। 60 दिनों की औसत ऋण अवधि के साथ 391720 पोतलदानों की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में , जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे बहू खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (बहू खरीदार), सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक), का 47.63% की हिस्सेदारी रही। 31 मार्च 2022 के दौरान प्रभावी पॉलिसियों जैसे एम पी ई बी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि 31 मार्च 2021 तक ₹18066 करोड़ रु की अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 4902 पॉलिसियों की तुलना में ₹16,973 करोड़ रु के 5369 पॉलिसियाँ प्रभावी रहीं जो कि संख्या में 8.70% ककी गिरावट एवं औसत अधिकतम देयता में 6.43% की वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एस टी-पॉलिसीयों के अंतर्गत रक्षित किया गया कुल कारोबार पिछले वर्ष के 2,41,934.18 करोड़ रुपये की तुलना में 2,69,272.90 करोड़ रुपये था, जिससे 11.30% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एस टी-पॉलिसीयों के अन्तरगत प्रीमियम आय ₹485.63 करोड़ थी, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹427.45 करोड़ थी, जिसमें 13.61% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एस टी-पॉलिसीयों के अंतर्गत भुगतान

किए गए दावों की कुल संख्या 537 थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹284.87 करोड़ के 573 दावों के मुकाबले ₹237.91 करोड़ थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एस टी - पॉलिसी के अंतर्गत वसूली ₹16.54 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹9.78 करोड़ थी, जो 69.12% की वृद्धि को दर्शाती है।

ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन कि जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹10,072.60 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 426 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹10,072.60 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 367 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की गईं। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2021 के ₹6,090.83 करोड़ रु अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 176 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹6440.50 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 183 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹116.21 करोड़ की तुलना में 124.30 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹28.84 करोड़ की तुलना में कुल ₹48.11 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वर्ष के दौरान भी कोविड -19 के कारण बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव जारी रहा। तथापि, कंपनी को हुई कारोबार हानि के कारण हुई आय में कमी को कुछ हद तक पूरा किया गया एवं प्रीमियम आय पिछले वर्ष के स्तर तक पहुंची। वित्त वर्ष 2021-22 के

दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 0.49% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹604.84 करोड़ (₹603.77 करोड़) की कुल प्रीमियम आय रही। यह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 54.29% है । वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकों को अदा किये गए दावों की संख्या 143 एवं दावों के मूल्य 443.42 करोड़ रु रहे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गयी औसत अवधि 73.99 दिन रही। वर्ष के दौरान वसूलियां ₹93.44 करोड़ रु रहीं।

जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, औसतन ₹86,419 करोड़ (₹88,550 करोड़ र) रहा। वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खातों की संख्या पिछले वर्ष 31 मार्च 2021 के 15520 की तुलना में 13568 रही। इस रक्षा के अंतर्गत कुल 9051 विभिन्न निर्यातकों (पिछले वर्ष 9535) को रक्षा प्रदान की गई जिसमें से 96.66% छोटे निर्यातक (यथा-ऐसे निर्यातक खाते जिन पर मंजूर सीमा 80 करोड़ रु या उससे कम थी) थे। यह अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹3,54,200 करोड़ रु की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹3,45,676 करोड़ मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गयी। यह अनुमान आर्थिक मामले विभाग , वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किये गए। ये अनुमान भा रि बैं तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसारम जोखिम मूल्य की गणना के लिए चार के घटक को कंपनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण से गुणित कर की गयी है। संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को तीन वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को छह वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

मध्यम और दीर्घावधि व्यापार समीक्षा

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मध्यम और दीर्घावधि (एमएलटी) कारोबार से प्रीमियम आय पिछले वर्ष के 28.51 करोड़ रुपये की तुलना में 20.32 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक को ₹5.87 के एक दावे का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शीर्ष पांच देशों इथियोपिया, मंगोलिया, बुर्किना फासो, नाइजर और माली में कंपनी ने प्रमुख व्यवसाय का जोखिम अंकन किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एमएलटी परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में जारी 39 ऋण बीमा पॉलिसी के मुकाबले 19 ऋण बीमा पॉलिसी जारी की गईं, जिसमें उनके द्वारा प्रारम्भ किए गए विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक और व्यापक जोखिमों को रक्षित किया गया था। रक्षा प्रदान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, विद्युत पारेषण और वितरण, जल विद्युत उपकरण और पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल थे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी की गई रक्षा की संख्या पिछले वर्ष के 65 के मुकाबले 39 थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना और क्रेता ऋण योजना के अंतर्गत कोई रक्षा जारी नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (जीओआई) द्वारा मध्यम और लंबी अवधि के निर्यात (एमएलटी) / परियोजना निर्यात के लिए क्रेडिट जोखिम कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय हैं। 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट के पास ₹4,155.08 करोड़ का हामीदारी कोष है। ट्रस्ट की हामीदारी क्षमता ₹80,000 करोड़ है जिसमें से 25% राशि ₹20,000करोड़ को जोखिम साझा करने के आधार पर कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षाओं को सहायता देने के लिए निर्धारित किया गया है। 52 देशों में ₹43,444 करोड़ के कुल 213 परियोजनाओं को सहायता करने के लिए 329 रक्षाओं पर कुल ₹14,063 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000करोड़ का शेष 75% राशि अर्थात ₹60,000करोड़ एनईआईए ट्रस्ट (बीसी-एनईआईए) की खरीदार ऋण योजना के लिए निर्धारित

किया गया है। मार्च 31,2022 तक, ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, युगांडा और मॉरिटानिया में ₹17,756 करोड़ मूल्य की 27 परियोजनाओं के लिए ₹24,721 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 27 खरीदार ऋण रक्षा जारी किए हैं। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापनकर्ता है और ईसीजीसी इसकी प्रबंधन एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी करती है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है और वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट से अपने प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹3.27 करोड़ प्राप्त किए।

फैक्टरिंग

<u>फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस)</u>

निदेशक मंडल ने 13 मई 2014 को हुई अपनी बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए फुल फ्लेज्ड फैक्टरिंग योजना (एफएफएफएस) को मंजूरी दी थी। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने चार निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹5.02 करोड़ की राशि के 21 बिलों के मुकाबले 24 बिलों को ₹6.61 करोड़ की राशि के रूप में फैक्टर किया गया है, जो व्यापार मूल्य में 32% की वृद्धि दर्शाता है।

<u>फेक्टर्स को रक्षा</u>

फैक्टरिंग कंपनियों को उनके द्वारा फैक्टर किए गए निर्यात प्राप्तियों के संबंध में गैर-भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है, इस कारण से कि आयात फेक्टर कभी-कभी उपलब्ध नहीं होता है या महंगा होता है।

निदेशक मंडल और आईआरडीएआई के उचित अनुमोदन के साथ, कंपनी ने अपने एमएसएमई निर्यातक-ग्राहकों से संबंधित निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों को जारी किए जाने वाले एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स (फैक्टर रिस्क) इंश्योरेंस एग्रीमेंट कवर की शुरुआत की है।

“निर्यात प्राप्य (कारक का जोखिम) बीमा समझौता” यह उत्पाद फेक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए है, जिसमें उनके द्वारा निर्यातकों को 'फैक्टरिंग' के माध्यम से दिया गया वित्त खरीदार के जोखिमों और राजनीतिक जोखिमों के कारण अप्राप्त रहता है। कंपनी ने अभी तक इस उत्पाद के अंतर्गत कारोबार शुरू नहीं किया है।

निवेश

31 मार्च, 2022 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि में निवेश शामिल निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2021 को ₹13,332.03 करोड़ के मुकाबले ₹14,804.59 करोड़ था, जो ₹1,472.56 करोड़ यानी 11.05% की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह और निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई थी।

कंपनी ने निवेश के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% के मुकाबले अनिवार्य श्रेणी के तहत निवेश 70.20 फीसदी रहा। 31 मार्च, 2022 तक, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित अधिकतम 15% की नियामक सीमा के मुकाबले कंपनी के पास "स्वीकृत निवेश के अलावा" के रूप में वर्गीकृत उपकरणों में केवल 1.81% का जोखिम है। इसके अलावा, कंपनी के कुल ऋण पोर्टफोलियो में से 93.95 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में हैं, जबकि आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 65% की नियामक सीमा है।

निवेश संचालन से उत्पन्न आय (निवेश की बिक्री पर लाभ सहित) वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,090.80 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 1,012.45 करोड़ थी, जिसमें 7.74% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊपर बताए गए निवेश पोर्टफोलियो के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में वृद्धि के कारण हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवेश पर प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.52% के मुकाबले 8.12% थी। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने और जोखिम और प्राप्ति के बीच समझौताकारी समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है।

खरीदार हामीदारी

प्रधान कार्यालय में खरीदार हामीदारी विभाग (बीयूडी) की भूमिका विभिन्न मापदंडों के आधार पर समग्र ऋण सीमा तय करके और व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों पर ठोस हामीदारी निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग विभिन्न क्रेडिट सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है।

सिस्टम-जनरेटेड डेटा और स्कोरकार्ड रेटिंग के आधार पर खरीदारों के लेन-देन के व्यवहार की रिपोर्ट और समीक्षा के आधार पर, एक मार्गदर्शक पोस्ट के रूप में सेवारत स्कोर कार्ड आधारित सुझाई गई सीमाओं के साथ विदेशी खरीदारों पर समग्र ऋण सीमा तय की जाती है।

विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्ट, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि, को हामीदारी करने के उद्देश्य से डिजिटलाइज़ किया गया है ताकि सिस्टम में अधिकारियों को जानकारी प्राप्त हो सके।

महामारी की स्थिति के दौरान, लॉकडाउन के बाद के चरण में निर्यातकों को समय पर पर्याप्त ऋण सीमा अनुमोदन प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए थे, जिससे खरीदारों के स्कोरकार्ड जल्दी और समय पर तैयार करने में मदद मिली और साथ ही क्रेडिट सीमा के त्वरित निर्णयों के लिए खरीदार हामीदारी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कार्मिकों को तैनात किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी की स्थिति के दौरान एक राहत उपाय के रूप में, निर्यातकों से क्रेडिट सीमा के आवेदनों के लिए स्थिति पूछताछ शुल्क नहीं लिया गया था और क्रेडिट सीमा आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवेदन स्वीकार किए गए थे। इन दिशानिर्देशों को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भी जारी रखा गया था, जो COVID-19 की पुनरावृत्ति से प्रभावित था।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्राप्त क्रेडिट सीमा आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष के 31,286 की तुलना में 27,582 थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, विदेशी खरीदारों के लिए निर्धारित कुल समग्र सीमा पिछले वर्ष के ₹53,706 करोड़ की तुलना में ₹52,769 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या 12259 खरीदारों की पिछले वर्षों की उपलब्धि की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 17,616 थी।

लघु अवधि पॉलिसी व्यापार प्रीमियम में नए खरीदारों की संख्या में मजबूत वृद्धि से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

देश बीमा हामीदारी

देश बीमा हामीदारी में राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अधिकता का निर्धारन किया जाता है। यह गंतव्य देशों में व्यापार जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देशों के जोखिमों का आकलन और मूल्यांकन देश बीमा हामीदारी विभाग द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास एक इन-हाउस उद्देश्य स्कोरिंग प्रणाली है जो 'ए 1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए 2' (कम जोखिम), 'बी 1' (मध्यम रूप से कम जोखिम) , 'बी2' (मध्यम जोखिम), 'सी1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी2' (उच्च जोखिम) और 'डी' (बहुत अधिक जोखिम) के सात गुना वर्गीकरण पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा और मानचित्रण करती है। स्कोरिंग प्रणाली राजनीतिक, आर्थिक और व्यापार जोखिमों सहित कई मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार प्राप्त काउंटी रेटिंग का प्रीमियम दर, प्रकार के निर्धारण और कवर की शर्तों, और निर्यात गंतव्यों पर लेनदेन को हामीदारी करने की क्षमता के माप पर प्रभाव पड़ता है। लघु अवधि (ST) और मध्यम एवं दीर्घ अवधि (MLT) के अंतर्गत देशों की रेटिंग के लिए, विशिष्ट फेक्टर और उनसे संबन्धित सभी आवश्यक जानकारियों सहित , अलग स्कोरिंग मॉडल मौजूद हैं।

देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध-वार्षिक और, यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर की जाती है।

देश जोखिम वर्गीकरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान :

a) कंपनी द्वारा समीक्षा किए गए देशों की कुल संख्या 239 थी।
b) 31.03.2022 तक देश के जोखिम वर्गीकरण का सारांश इस प्रकार है:

	ए1	ए 2	बी1	बी2	सी1	सी2	डी	कुल
लघु अवधि	63	52	44	39	17	14	10	239
माध्यम एवं दीर्घ अवधि*	62	57	46	34	19	11	9	238

पाकिस्तान एमएलटी के तहत 09.08.2019 से रक्षित क्षेत्रों में नहीं है

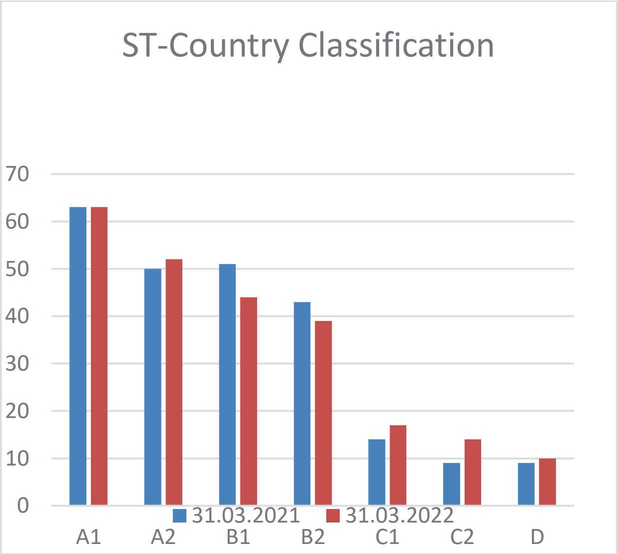

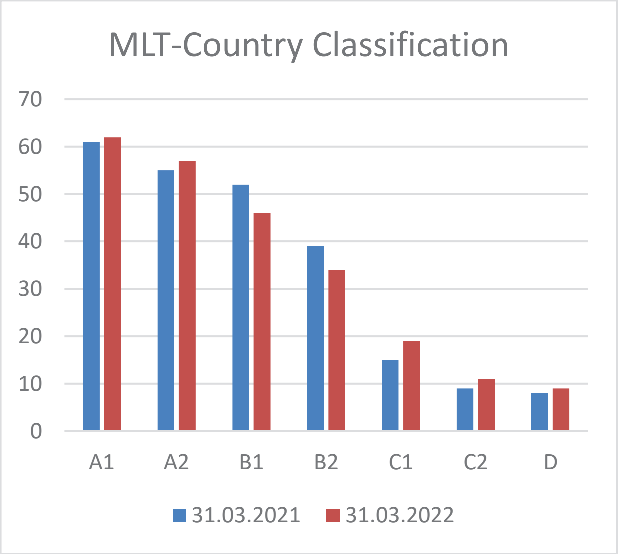

देश रक्षा

इसके अतिरिक्त, 239 देशों को खुला रक्षा श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- I (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य हैं) और प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- II (जहां मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन देशों में जोखिम की प्रभावी निगरानी की जा सके। 31.03.2022 तक, 206 देशों को ओपन कवर में, 23 को प्रतिबंधित कवर श्रेणी- I में और 10 को प्रतिबंधित कवर श्रेणी- II में रखा गया है।

देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सीईएल) वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय किए गए निर्यात के लिए किसी देश पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली कुल देयता निर्धारित करती है। कंपनी ने नवंबर 2020 में लघु अवधि पॉलिसी व्यवसाय के अंतर्गत सीईएल के निर्धारण के लिए अपने मानदंडों की समीक्षा की। सीईएल में संशोधन कंपनी की जोखिम क्षमता और सभी 239 देशों के लिए देश के जोखिम वर्गीकरण में परिवर्तन के कारकों को निर्धारित करता है। सीईएल की वार्षिक और साथ ही जरूरत के आधार पर, जब अचानक पारिस्थितिक-राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किसी देश की जोखिम रेटिंग में बदलाव होता है, समीक्षा की जाती है।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी ने मध्यम एवं दीर्घ अवधि रक्षाओं सहित सम्पूर्ण व्यवसार के लिए जीआईसी री से अनिवार्य 5% पुनर्बीमा (क्यूएस) रक्षा सहित भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं (एफ़आरबी) एवं क्रॉस बार्डर पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) से लघु अवधि पॉलिसी को 19.24% (स्कोर 6%, जीआईसी 6%, हनोवर 4% और सीसीआर 3.24%) तक बढ़ाने एवं लघु अवधि ईसीआईबी को 8.85% (एससीओआर 3%, जीआईसी रु 1.5%, हनोवर रु 3% और सीसीआर रु 1.35%) तक बढ़ाने के लिए आनुपातिक (कोटा शेयर-क्यूएस) संधि की थी। इसके अतिरिक्त लघु अवधि के अंतर्गत बड़े जोखिमों के अंतर्गत अतिरिक्त हानी की रक्षा की व्यवस्था भी इन्ही पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा की गई थी।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन की सीमा में कंपनी द्वारा किए गए जोखिम अंकन के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और हस्तांतरण शामिल है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां कंपनी को अपनी हामीदारी नीति और इसके रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, नियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं।

मौजूदा संगठन संरचना और प्रथाएं जो छह दशकों से अधिक समय में विकसित हुए हैं मौलिक संरचनाओं को शामिल करते हैं जो कि जोखिम कार्यों में बनाए जा सकते हैं। कंपनी ने 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड पेश किए और एक निर्यातक, एक निर्यातक समूह, एक खरीदार, एक उद्योग और एक देश के लिए निश्चित जोखिम सीमा तय की। एक पोर्टफोलियो के जोखिम का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण कारोबार रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र के लिए ताजा निर्यात ऋण सीमाओं पर अस्थायी निलंबन की शुरुआत करके और देश जोखिम सीमा तय करने के लिए मानदंड पेश करके जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया था। कंपनी की बैंकों के लिए सम्पूर्ण कारोबार निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत जेम, ज्वैलरी और डायमंड (जीजेडी) खातों को रक्षित करने के लिए हामीदारी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और इसे अप्रैल 2022 से प्रारम्भ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने लघु अवधि पॉलिसियों एवं और मध्यम और दीर्घकालिक निर्यात लेनदेन के अंतर्गत खरीदारों/एलसी खोलने वाले बैंकों पर जोखिम सीमा के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को और संशोधित किया। इसने लघु अवधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत निर्यातक/समूह निर्यातक के अंतर्गत जोखिम सीमाओं और उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों की भी समीक्षा की। कंपनी अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे के माध्यम से जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए एक उद्यम-व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित कर रही है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है।

कंपनी सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर केंद्रित है। कंपनी ने मजबूत सुरक्षा नियंत्रण लागू किए हैं और एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा स्थापित किया है। कंपनी ने एक सुपरिभाषित व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) ढांचा भी स्थापित किया है।

वसूली

लघु अवधि ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए दावों एवं लंबित दावों पर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की ₹107.53 करोड़ तुलना में ₹93.44 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

लघु अवधि पॉलिसी: पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹9.77 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लघु अवधि पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों से ₹16.54 करोड़ की वसूली की गई।

माध्यम एवं दीर्घ अवधि पॉलिसी: पिछले वर्ष की ₹16.87 लाख की वसूली की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए और वसूली के लिए लंबित दावों के अंतर्गत "शून्य" वसूली हुई।

<u>पॉलिसी और ईसीआईबी के तहत वसूली में सुधार के लिए की गई पहल:</u>

<u>पॉलिसी</u>

नई ऋण वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है और पॉलिसीधारक जो चूक की रिपोर्ट करते हैं उन्हें डीसीए के साथ मामलों को डिफ़ॉल्ट चरण में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे वसूली में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

<u>ईसीआईबी</u>

प्र का द्वारा सभी मामलों की निगरानी की जा रही है एवं ऐसे मामलें जहां बैंकों द्वारा वसूली की जानकारी साझा नही की जा रही हैं अथवा मांगी गयी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है उन मामलों का हमारे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके निपटान किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

कंपनी ने अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के सुधार परियोजना के साथ विकास और एकीकरण चरण में प्रगति की है। जारी की गई सेवाओं का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) शुरू हो गया है। संशोधित योजना के अनुसार, स्माइल परियोजना की 99 सेवाओं को जून 2022 तक एकीकृत परीक्षण के लिए जारी किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी के मोबाइल एप्लिकेशन को बुनियादी सुविधाओं के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जिससे ग्राहक पॉलिसी कवर विवरण, देश वर्गीकरण, बीएसएएल-खरीदार जानकारी, बीएसएएल-इंटरनेशनल बैंक विवरण, क्रेता पर सक्रिय सीमाएं, लंबित क्रेडिट सीमा आवेदन, लंबित दावों की स्थिति, और शिपमेंट घोषणा की जानकारी, तय किए गए दावों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इस एप्लिकेशन में उन्नत विशेषताओं का कार्य प्रक्रिया में हैं।

विपणन एवं जनसंपर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की ज़िम्मेदारी शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण करना है। यह विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करता है। प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों /विभागों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अप्रनि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए ,कई निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा है ।

विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कौशल विकास कार्यक्रम, कॉर्पोरेट

ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों सहित मुख्य अनुपालनों पर शिक्षित करने के उद्देश्य से 260 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। सेवा तंत्र के जरिए 6000 से अधिक ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से निजी रूप से भेंट की गई । विभिन्न व्यपार संगठनों जैसे फियो, सी आई आई, आई सी सी, आई एम सी इत्यादि के साथ 80 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।

प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इकोनोमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड इत्यादि की वैबसाइट पर कंपनी के विज्ञापन प्रदर्शन के जरिए सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग भी की गई । कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल एप जारी की गई जो कि माइगोव, एंडरोइड एवं एपल स्टोर पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों- वित्तीय, जनशक्ति और प्रबंधकीय को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्देशित करना है । कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इसमें योजना में कंपनी का स्वाट विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल हैं। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान और कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली और तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल हैं। कंपनी ने योजना अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

क्रेडिट बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को मजबूत करने और भारत में क्रेडिट बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2022 तक 170 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है।इस चैनल को मजबूत करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। एन एम डी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों

के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है. ये कार्यशालाएं हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिये कुल ₹140.86 करोड़ का प्रीमियम अर्जन किया गया जो कि ₹485.46 करोड़ के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 29.01% है।

कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सीएसआर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कंपनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन, पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यान्गों के लिए सेवाओं की उपलबद्धता तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग करोड़ रु व्यय किये गए। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, पहले ही आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए ₹0.38 करोड़ रु का यू एस एस आर खाते में आबंटन किया गया तथा स्वच्छ भारत कोष में 0.09 करोड़ रु का योगदान दिया गया।
सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में जिलाधीश कार्यालय, राजगढ़, मध्यप्रदेश (महत्वकांक्षी जिला), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस); विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पोवेरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज इन सोसाइटी (डीड्स), कंसर्न इंडिया फाउंडेशन, शांति सेवा निधि, रोजावनम ट्रस्ट, श्री चेतन्य सेवा ट्रस्ट, आकार-मुंबई विश्वविद्यालय, अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सुयधा (सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन), सी एस के फाउंडेशन, निम्हान्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, परिचय फ़ाउंडेशन एंड केन्सर पैशेंट ऐड एसोसिएशन शामिल हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगो को सहायता, सशस्त्र सेना फ्लैग दिवस निधि में योगदान, स्वच्छ गंगा निधि एवं स्वच्छ भारत कोष में कई सी एस आर पहल की गई । वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिये एम वार्ड, वाशी नाका, मुंबई छात्रवृत्ति प्रदान सामुदायिक शिक्षा केंद्र हेतु निधि का योगदान करना जारी रखा। आनंदालय को चलाने के लिए आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र को भी अपना समर्थन प्रदान कर रही है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त किये हैं। कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास - उपक्रम) द्वारा कंपनी के प्रधान कार्यालय को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पानीपत शाखा, सूरत शाखा एवं चेन्नई शाखा का माननीय संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया गया।

कंपनी द्वारा सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2021 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए वर्चुअल “अखिल भारत कवि सम्मेलन” का आयोजन किया गया जिसमें कंपनी के शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा स्वरचित एवं अन्य कवियों द्वारा रचित कविताओं का पठन किया गया।

हिन्दी माह के समापन के उपलक्ष्य में "हिन्दी माह समापन समारोह" का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारत वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 113 अधिकारियों ने भाग लिया।

कंपनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें लागू हैं। कंपनी के अधिकारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। कंपनी की गृह पत्रिका में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए कंपनी के अधिकारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए एवं इसमें लेख प्रदान कर योगदान देने वाले अधिकारियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए गए ।

कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले "अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार "योजना में उनके संबन्धित कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले हिन्दी पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं। कंपनी का वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि सभी द्विभाषी थे। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था ।

कंपनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा उसमें विस्तृत रूप से सम्बंधित शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की

जाती है। जहाँ भी कमियां पायी गयी जाती हैं उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देने हेतु कंपनी के प्रधान कार्यालय के अधिकारियों (राजभाषा अधिकारियों) द्वारा निरीक्षण किया जाता है एवं प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

प्रधान कार्यालय एवं कंपनी की विभिन्न शाखा कार्यालयों जैसे ठाणे, लुधियाना, पानीपत, जालंधर, इंदौर, विशाखापट्टनम, कोची, सेलम, बंगलूरु शाखा कार्यालय एवं द क्षे - II को गृह मंत्रालय एवं संबन्धित न रा का स द्वारा पुरस्कृत किया गया है

अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से, ईसीजीसी बर्न यूनियन (ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतर राष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतर राष्ट्रीय संध ,का एक सक्रिय सदस्य रहा है। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋण बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने और उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार में बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि विश्व व्यापार का लगभग 13% है को भुगतान जोखिम से सुरक्षा प्रदान की गई। ईसीजीसी द्वारा बी यू की अल्पावधि समिति की प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व किया गया।

कंपनी, बर्न यूनियन के अल्पावधि, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ई सी ए) समिति की सदस्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्षेत्रीय सहायता समूह (आर सी जी), एशिया-पेसिफिक क्षेत्र से सदस्यों की विशेष परिषद, की भी सदस्य है। श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक बर्न यूनियन की अल्पावधि समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं।

कोविड -19 आपदा के कारण बी यू द्वारा आभाषी माध्यम से अपनी बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी द्वारा एम एल टी समिति की अप्रैल 2021 में आयोजित बैठक, मई 2021 में आयोजित स्प्रिंग बैठक एवं जुलाई 2021 में आयोजित प्रबन्धन समिति की बैठक में भाग लिया गया है।

72वीं आर सी जी बैठक सितंबर 2021 में आयोजित की गई एवं कंपनी का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया। बैठक के दौरान कोविड 19 से प्रभावित व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई।

ईसीजीसी वैश्विक स्तर पर ईसीए के साथ निकटता से कार्य करता है। दिनांक 20 & 21 अक्टूबर 2021 के दौरान जी -12 की आभाषी बैठक आयोजित की गई जिसमें कंपनी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इस बैठक में ईसीए के प्रमुखों को कारोबार परिचलन, आपदा के बाद जी 12 ईसीए के बीच आपसी सहयोग, कोविड 19 का वैश्विक असर एवं आपदा से निपटने के लिए नई पॉलिसियों जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा के अवसर प्रदान किए।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात क्रेडिट ऋण एजेंसी फॉरम जिसमें ए बी जी फ (ब्राज़ील), एक्सियार (रशिया), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्युर (चीन) एवं ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं। कंपनी 2012 में गठित निर्यात ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यसमूह का भी सदस्य है।

दिनांक 8 जून 2021 को, कंपनी एवं उज़्बेकइन्वेस्ट, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट इन्शुरेंस कंपनी जे एस सी, उज्बेकिस्तान संघ की आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसी के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर अप्रनि, ईसीजीसी एवं श्री आर खालिकोव, फ़र्स्ट डेप्युटी डाइरेक्टर जनरल, उज़्बेकइन्वेस्ट एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट इन्शुरेंस कंपनी जे एस सी, उज्बेकिस्तान संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य निर्यात ऋण बीमा और अन्य संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में साझेदारी और सहयोग स्थापित करना और निर्यातकों और वित्तीय संस्थानों, जो एक-दूसरे देशों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करते है, को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करके संयुक्त सहयोग को मजबूत करना है।

दिनांक 27 जुलाई 2021 को, कंपनी ने मोज़ाम्बिक सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनी, एम्प्रेसा मोकैम्बिकाना डी सेगुरोस (ईमोसे), मोज़ाम्बिक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एम ओ यू पर अप्रनि, ईसीजीसी और श्री जोआकिम माक्वेटो लांगा, अध्यक्ष एवं सी ई ओ, ईमोसे, मोजाम्बिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कंपनी और ईमोसे के बीच संबंधों के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करना और भारत और मोजाम्बिक के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग बढ़ाना है और किसी तीसरे देश के लिए परियोजना के रूप में, जहां उपयुक्त हो, अपने संबंधित देशों से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना है।

दिनांक 30 दिसंबर 2021 को, कंपनी ने निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी "एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी" (पी जे एस सी ई सी ए), यूक्रेन जो कि यूक्रेन की आधिकारिक निर्यात क्रेडिट एजेंसी है के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर अप्रनि, ईसीजीसी और श्री रुस्लान हाशेव, प्रबंधन बोर्ड, पीजेएससी ईसीए, यूक्रेन के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच संबंधों के लिए एक ढांचा तैयार करना और भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग बढ़ाना है।

श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अप्रनि), ईसीजीसी, वर्तमान में अफ्रीकी व्यापार बीमा (ए टी आई) एजेंसी के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से ए टी आई की इक्विटी में लगभग 12 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है। यह निवेश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने में भारत सरकार के रणनीतिक हितों को सुगम बनाता है।

व्यापार को बढ़ावा देने और समग्र कारोबारी वातावरण तैयार करने के लिए, कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्रेडिट बीमा डोमेन से संबंधित विषयों पर बीयू द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लिया गया। इसमें अप्रैल 2021 में अमेरिका में दावों और वसूली पर वेबिनार, जून 2021 में कैपेसिटी शेयरिंग मार्केटप्लेस वर्कशॉप, जुलाई 2021 में आयोजित एम एल टी टेक्निकल

पैनल वेबिनार, सितंबर 2021 में आयोजित एसएमई स्पेशलिस्ट वेबिनार और अक्टूबर 2021 में आयोजित एसटी कमेटी वेबिनार शामिल थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निर्यात ऋण बीमा से संबंधित मुद्दों पर निर्यात विकास कनाडा (मुंबई कार्यालय) के अधिकारियों के साथ एक आभासी मंच के माध्यम से द्विपक्षीय चर्चा की गई।

मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध

दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी में कुल 569 कार्मिक कार्यरत थे जिनमें 544 कार्यपालक तथा 25 गैर कार्यपालक शामिल हैं। इसमें 152 महिला कर्मचारी शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 27% हिस्सा हैं।

बदलते कारोबारी माहौल एवं बेहतर लागत और परिचालन तालमेल के साथ एक शीर्ण सेवा नेटवर्क बनाने के लिए, चेन्नई और बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र के कार्यालयों को समेकित कर एकल क्षेत्रीय कार्यालय बनाने के लिए विलय कर दिया गया जो बेंगलुरु में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों के इस विलय से दक्षिणी क्षेत्र में हितधारकों और ग्राहकों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पेश कर कंपनी के समग्र प्रदर्शन के और बेहतर होने की आशा है।

वर्ष के दौरान, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा अप्रेंटिशिप योजना का अनुपालन किया गया जहां स्नातक अप्रेंटीज को औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय परिचालन कार्यपालक (बैक ऑफिस) के स्तर पर कार्य पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई तथा वर्ष के दौरान समूह ख के अंतर्गत 59 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कार्यग्रहण किया। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी द्वारा पुनः भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। कंपनी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत कंपनी में समूह ग के छह उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून संबंधी सभी सांविधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया। कंपनी में वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बने रहे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थय, आर्थिक उन्नति सम्बन्धी व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ जारी राखी गईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 एवं कंपनी की कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पॉलिसी के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियाँ (आई सी सी सी) उन सभी शाखाओं / कार्यालयों में जहां 10 से अधिक कार्यरत हैं कार्य कर रही हैं । एक आई सी सी का गठन प्रका में किया गया है जिसमें प्रका के सभी विभाग, मुंबई स्थिति वे शाखाएँ शामिल हैं जहाँ कर्मचारी की संख्या 10 से कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, इस अधिनियम के तहत दायर मामलों की संख्या शून्य है।

प्रशिक्षण

इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रशिक्षण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कारोबार आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों को प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता प्राप्त हो। ये बेहतर निष्पादन के लिए नए कौशल की प्राप्ति तथा वर्त्तमान क्षमता में विकास में सहायतक साबित होती है। वित्त वर्ष 2021 - 22 के दौरान , सभी स्तरों के कर्मचारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नामित किया गया। समूह क व ख के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान पॉलिसी एवं ई सी आई बी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग दावा एवं हामीदारी कार्यशालाओं का अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान शाखा प्रबन्धकों एवं क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। गया। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पोंसरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मियों के लिए मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के रोल्स में 18 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। दिव्यांगजन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भीगीदारी) (अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण **अनुलग्नक V** में है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अनु .जा./अजजा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद-आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गयी है। सीधी भर्ती द्वाराअजा, अजजा, अपिजा एवं ई डब्ल्यू एस कोटे के अंतर्गत भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक VI में उल्लिखित है। अजा, अजजा, अपिजा एवं ई डब्ल्यू एस के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक VII में उल्लिखित है।

सामान्य प्रशासन

1. कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित हुआ है.

2. सभी शाखा कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) एमएसएमई (से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल,2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी कहती है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के25 % की खरीद सूक्ष्म और लघु उद्योगों)एमएसई से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों तथा 4% अ.जा. और अजजा के स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2021-22, के दौरान, कंपनी द्वारा मार्च 2022 के अंत तक कुल 14.11 करोड़ रु की खरीद की गई जिसमें से 6.02 करोड़ रु (42.66%) की खरीद एम एस एम ई की गई जिसमें से 24.09 लाख रु (4%) की खरीद अजा/अजजा उद्यमियों एवं 54.01 लाख रु (8.97%) की खरीद महिला उद्यमियों के जरिए की गई।

3. कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची बनाई तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला नहीं है।

4. कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए जेम (GeM) पोर्टल के साथ पंजीकरण किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से ₹5.04 करोड़ की खरीद की गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा ₹14.11 करोड़ की कुल खरीद का 35.72% है। निर्देशानुसार, मार्च, 2022 तक मासिक खरीद डेटा एमएसएमई संबंध पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 21जनवरी 2020 के परिपत्र सं IRDAI/F&A/CIR/ACTS/023/01/2020 द्वारा सूचित किया गया है कि इंड ए एस 109 जो कि भारत में आई एफ़ आर एस 17 का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्र पर अन्य इंड ए एस के साथ लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा आई एफ आर एस 17 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अनुपालन की इसके प्रभावी तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार, कंपनी इस विषय पर आई आर डी ए आई के अगले निर्देशों हेतु प्रतीक्षारत है।

कृत निदेशक मंडल की ओर से

एम सेंथिलनाथन
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन - 07376766

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25, मई 2022

लंबित सी ए जी पैरा एवं प्रबंधन के प्रत्युतर

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
1.	भाग – IIख, वर्ष 2016-17 के पैरा 1 का उपपैरा (2)	नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए 9.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करना।। (2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा अनुपालन)	लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कंपनी ने एनबीसीसी को ₹55.17 करोड़ का भुगतान किया है। चूंकि वाणिज्यिक आबंटित भवन स्थान कम था तदनुसार वास्तव में देय राशि को कम किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा ₹9.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। कंपनी ने उत्तर दिया कि दिनांक 02/15/2017 की एनबीसीसी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, इसके पूर्ण होने की अनुमानित अनुबंध तिथि 30/11/2019 थी। निर्धारित भुगतान अनुसूचित के अनुसार अगस्त 2016 से पहले सभी किश्तों का भुगतान किया गया था और एन बी सी सी द्वारा सितंबर 2016 में, स्थान की कमी के बारे में सूचित किया और अंतिम किस्त में समायोजन करने का अनुरोध किया गया। सीएजी द्वारा धन वापसी की स्थिति के बारे में पूछताछ करने पर, कंपनी द्वारा सीएजी को सूचित किया कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ने उनके खाते का मिलान कर लिया है और कंपनी को विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹26,74,436/- की कटौती के बाद ₹46,85,803/- वापस कर दिए हैं। कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुख्य

			महाप्रबंधक, एनबीसीसी से कई बार मुलाकात की गई और इस मुद्दे पर चर्चा की गई। कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी से वसूल की गई ब्याज राशि की वापसी की मांग की वास्तविकता के बारे में बताया। एनबीसीसी ने तब मामला आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को विचार के लिए प्रस्तुत किया। हालाँकि, एन बी सी सी ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि एमओएचयूए अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ है। चूंकि एमओएचयूए ने अनुरोध पर विचार नहीं किया है, कंपनी द्वारा सीएजी से पैरा रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस पैरा पर सी ए जी का उत्तर दिनांक 31-03-2022 तक प्रतीक्षित था।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
2.	भाग – II ख, वर्ष 2016-17 के पैरा 1	खाता विवरण (एस ओ ए) भेजने में देरी और पुनर्बीमा शेष प्राप्त करने में देरी और विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज नहीं वसूलना। (2016-17 की अवधि के लिए लेनदेन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं को एसओए एक महीने की देरी से भेजा गया था और इस प्रकार निधियों का अवरोधन हुआ और परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। इसके अलावा, कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा राशि के भुगतान में देरी के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं से ब्याज नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की और हानि हुई। कंपनी ने उत्तर दिया कि कंपनी की व्यावसायिक इकाइयों और पुनर्बीमा विभाग द्वारा उपयोग

			किए जा रहे वर्तमान एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर को 2002 में विकसित किया गया था और प्रौद्योगिकी के मामले में पुराना और अप्रचलित है। जब सिस्टम 2001 में डिजाइन किया गया था, तब पुनर्बीमा लेखांकन और पुनर्बीमा से संबंधित रिपोर्टों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कंपनी ने "प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) के साथ पुनर्बीमा सॉफ्टवेयर सहित "मुख्य बीमा सॉफ्टवेयर के सुधार" की प्रक्रिया शुरू की है और ऐसी सभी विस्तारित कार्यक्षमताओं को सी-डैक द्वारा संशोधित कोर बीमा सॉफ्टवेयर में प्रदान किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा इसके बाद अपने पत्रों के जरिए कंपनी से नए सॉफ्टवेयर के विकास की स्थिति के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया। कंपनी ने अपने पत्रों के माध्यम से सीएजी को अपडेट किया है कि नया सॉफ्टवेयर विकास उन्नत चरणों में है और सॉफ्टवेयर के चरण -1 के दिसंबर 2022 तक लाइव होने की उम्मीद है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
3.	भाग – II ख, वर्ष 2017-18 का पैरा 2	पुनर्बीमाकर्ता से ₹171.79 करोड़ का पुनर्बीमा हिस्सा प्राप्त करने में विलम्ब।	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ईसीआईबी के तहत विभिन्न बैंकों को एक खाते पर ₹275.22 करोड़ के दावे का भुगतान किया। कंपनी ने उस वित्तीय वर्ष के दौरान ₹40 करोड़ से अधिक के

		(2016-17 की अवधि के लिए लेनदेन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	नुकसान को कवर करने के लिए एक पुनर्बीमाकर्ता के साथ अतिरिक्त हानि संधि की थी। कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ता से ईओएल संधि के तहत ₹171.48 करोड़ का भुगतान करने की मांग की। कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ता के साथ कई दौर की चर्चा और कई पत्राचार किए और सभी दस्तावेज और स्पष्टीकरण उन्हें प्रस्तुत किए । लेकिन, राशि नहीं मिली । कंपनी ने भुगतान में देरी के लिए न तो कोई जुर्माना लगाया और न ही राशि की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की । कंपनी ने उत्तर दिया कि पुनर्बीमाकृत ने हमेशा पुनर्बीमाकर्ता के साथ सहयोग किया है और दावे के निपटान के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज और स्पष्टीकरण दिए हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने पुनर्बीमाकर्ता के अध्यक्ष से मुलाकात की और मामले पर विचार किया। बाद में मामले की सूचना अध्यक्ष, आईआरडीएआई को दी गई और कंपनी पुनर्बीमाकर्ता के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग से एमओसी पत्र की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। कंपनी पुनर्बीमाकर्ता के साथ दावे के निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है और सीएजी को सूचित किया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। कानूनी सहारा के विकल्प पर विचार नहीं किया गया है, जो कि कंपनी का अंतिम उपाय होगा और सीएजी से पैरा को रद्द का अनुरोध किया गया है।

			इस पैरा पर सी ए जी का उत्तर दिनांक 31-03-2022 तक प्रतीक्षित था।

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
4.	भाग – II ख, वर्ष 2018-19 का पैरा 5	बैंक कारोबार शाखा (बैंकाशा) और निर्यातक कारोबार शाखा (ईबीबी) की वसूली के लंबित बकाया दावों का भुगतान। (2017-18 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	कैग ने पाया कि बैंकों और निर्यातकों को बैंकों को निर्यात ऋण बीमा/पॉलिसी कवर के तहत दावों के निपटान के बाद, कंपनी को निर्यातकों के बैंकों/बैंकों से उस अनुपात के अनुसार निपटान किए गए दावों की वसूली करनी होगी जिसमें कंपनी और बैंक / निर्यातक के बीच हानि का वहन किया गया था। । लेखापरीक्षा ने पाया कि दावा आंकड़ों की तुलना में वसूली के आंकड़े बीबीबी द्वारा 8.79% और ईबीबी द्वारा 3.20% थे। इसके अलावा, बीबीबी के तहत 80% मामले और ईबीबी के तहत 65% मामले 10 वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने कंपनी से 10 से अधिक वर्षों से लंबित दावों को बट्टे खाते में डालने, जहां कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है/कोई संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं हैं और लंबित दावों की वसूली के लिए आगे कदम उठाए गए हैं, के लिए की गई कार्रवाई को साझा करने का अनुरोध किया । कंपनी ने उत्तर दिया कि बीबीबी से संबंधित मामलों के लिए, प्रत्येक वसूली मामले में तिमाही अनुस्मारक पत्रों और व्यक्तिगत बैठको के रूप में वसूली के लिए बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली है। वर्तमान में, कंपनी किसी भी दावे को तभी बट्टे खाते में डाल

			सकती है, जब संबंधित बैंक का प्रधान कार्यालय बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लेता है। इसी तरह, ईबीबी से संबंधित मामलों के लिए, किसी निर्यातक को दावे का भुगतान करने के बाद मामले को वसूली के लिए लिया जाता है। पुनर्विक्रय/पुन: आयात के कारण भुगतान किए गए दावे को तुरंत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जबकि दिवाला या चूक के मामले में शाखा मामले में प्रगति की प्रतीक्षा करती है और प्रभावी वसूली कार्रवाई के लिए सभी निर्यातकों को समय पर अनुस्मारक पत्र भेजकर निगरानी करती है। कंपनी ने सीएजी को यह भी सूचित किया कि सीएजी द्वारा दावों (10 वर्ष या अधिक) को बट्टे खाते में डालने के लिए दिया गया सुझाव जहां कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है/कोई संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं हैं, आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय में दिशानिर्देश तैयार करने हेतु विचारधीन है। इसके बाद कंपनी ने सीएजी से प्राप्त पत्रों के जवाब में वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को अद्यतन किया और उनसे पैरा को रद्द का अनुरोध भी किया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
5.	भाग – II ख, वर्ष 2019-20 का भाग 1	पुनर्बीमाकर्ताओं से नकद मांग करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹11.67 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (2017-18 की अवधि के लिए संव्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने कई पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ स्वैच्छिक कोटा शेयर संधियां कीं। जैसा कि अनुबंधों में निर्धारित है, कोटा संधियों के तहत संबंधित पुनर्बीमाधारक के प्रीमियम, कमीशन और तिमाही के दावे सहित खातों का विवरण (एसओए) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्बीमाकर्ताओं को भेजा जाना है। कैश कॉल पर आर्टिक्ल (संख्या 24) में आगे कहा गया है कि यदि बीमा दावे की राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पुनर्बीमाकर्ता दस कार्य दिवसों के भीतर पुनर्बीमाकर्ता से भुगतान के लिए अनुरोध कर सकता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाए गए दावों के लिए कोटा शेयर संधि के तहत कैश कॉल नहीं की, हालांकि तिमाही एसओए में भुगतान किए गए दावों के पुनर्बीमा हिस्से को शामिल किया। पुनर्बीमाकर्ताओं पर कैश कॉल के लिए अनुच्छेद 24 को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप देय राशि की प्राप्ति में देरी हुई और ₹11.67 करोड़ के ब्याज की और हानि हुई। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सॉफ्टवेयर सहायता के बिना एसओए मैन्युअल रूप से तैयार किए जाते हैं और यदि निगम कैश कॉल का विकल्प चुनता है, तो उस विशेष खाते को कोटा शेयर से निकालना पड़ेगा और लेखांकन उद्देश्य के लिए अलग से बनाए रखा जाना होगा। स्वचालित

			कंप्यूटर सिस्टम/सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में प्रत्येक खाते को अलग से बनाए रखना और फिर कोटा शेयर की गणना करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आगे यह उत्तर दिया गया कि पुनर्बीमा व्यवसाय प्रक्रिया और लेखांकन को नई ईआरपी प्रणाली में शामिल किया गया है जो कि सी-डैक द्वारा विकसित किया जा रहा है। ईआरपी सिस्टम के लागू होने पर एसओए समय पर तैयार हो जाएंगे। . इसके अलावा, जैसा कि सीएजी ऑडिट टीम द्वारा सलाह दी गई है, कंपनी ने 2018-19 से 10 करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्बीमा दावों के लिए कैश कॉल लागू करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपने पत्रों के माध्यम से सीएजी को आगे अद्यतन किया कि आज की तारीख में पुनर्बीमाकर्ताओं से कैश कॉल करने में कोई देरी नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों और पुनर्बीमा टीम को नियमित आधार पर स्थिति की निगरानी करने के लिए संवेदनशील बनाया है। इसलिए कंपनी ने सीएजी से पैरा को हटाने का अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।.

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
6.	वर्ष 2019-20 के लिए भाग II ख का पैरा 2	निर्यातक द्वारा ऋणदाता बैंक की जानकारी के बिना तीसरे पक्ष को	कंपनी द्वारा एक लीड बैंक के साथ 14 बैंकों के एक संघ के लिए पीसी और पीएस सहित कुल 813.85 करोड़ रुपये की सीमा को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद कंसोर्टियम बैंकों

		संपार्श्विक प्रतिभूति के हस्तांतरण के कारण ₹ 294.72 करोड़ की राशि के निर्यातक पर दावा भुगतान में ₹47.25 करोड़ की वसूली की हानि। (वर्ष 2015-18 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण अनुपालन रिपोर्ट)	ने एनपीए और आरओडी की रिपोर्ट पहले एनपीए के साथ एक बैंक द्वारा रिपोर्ट की थी, पहला आरओडी एक अलग बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया था और पहला दावा दूसरे बैंक द्वारा दर्ज किया गया था। कंपनी की प्रधान कार्यालय दावा समिति द्वारा कंसोर्टियम बैंकों द्वारा ₹852.15 करोड़ के कुल दावे मे से ₹294.72 करोड़ के दावे को मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि : 1. कंसोर्टियम नद्वारा ₹ 225.96 करोड़ के लिए कुल संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की , जिसमें निर्यातक के स्वामित्व वाली दो पवन चक्कियां शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹ 63 करोड़ है। हालांकि, निर्यातक ने बैंकों के साथ पवन चक्कियों को कंसोर्टियम बैंकों की जानकारी के बिना एक अलग कंपनी में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि निर्यातक द्वारा संपार्श्विक परिसम्पत्तियों को लीड बैंक की जानकारी के बिना स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹47.25 करोड़ की वसूली की संभावना समाप्त हो गई। 2. उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य जुलाई 2016 में ही प्रकाश में आया; हालांकि, कंपनी ने दावे का अनुमोदन करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

			3. उपरोक्त तथ्य इंगित करता है कि बैंकों ने उक्त आस्तियों पर साम्यिक बंधक प्रभारों का सृजन नहीं किया। इसके अलावा, ₹395.82 करोड़ की कुल निवल संपत्ति वाले 15 व्यक्तियों की व्यक्तिगत गारंटी और 31.03.2012 को ₹28.51 करोड़ की कुल निवल संपत्ति वाली चार कंपनियों की कॉर्पोरेट गारंटियों को निष्पादित नहीं किया गया था। इस प्रकार, बैंकों की ओर से चूक के कारण, वसूली की संभावना धूमिल है। 4. पेशेवर मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन प्रमाण पत्र के अभाव के कारण जीजेडी के निर्यात की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। बैंकों ने निर्यातक को सरफेसी नोटिस जारी किया जिसके परिणाम प्रतीक्षित था। वही लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना है। कंपनी का उत्तर निम्नानुसार है : 1. सभी साम्यिक बंधक के मूल स्वत्व विलेख और संबंधित दस्तावेज लीड बैंक के पास उपलब्ध थे। प्रतिभूर्ती पर दावा लागू करने योग्य था। यह भी बताया गया कि लीड बैंक ने निर्यातक के खिलाफ बैंकों के पास गिरवी रखी संपत्ति बेचकर धोखाधड़ी करने के लिए आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की थी।

			2. दावों को मार्च 2016 में कंपनी की प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। सितंबर 2016 को दावे के प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी जो एक सतत प्रक्रिया है। यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि सीबीआई को लीड बैंक की शिकायत के अनुसार, उधारकर्ता (निर्यातक) ने धोखाधड़ी से संपत्ति बेच दी। उपरोक्त उदाहरण में न तो बैंक और न ही कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 3. यह नोट किया जा सकता है कि बैंकों के पास अभी भी समान गिरवी रखी गई प्रतिभूति पर उनके प्रभार हैं और बकाया की वसूली के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। 4. बैंकों द्वारा स्टॉक ऑडिट किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेखा परीक्षकों द्वारा कोई बड़ी विसंगतियां नहीं पाईं गईं। कंपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं करती है; हालांकि, बैंक मंजूरी के समय मूल्यांकन रिपोर्ट लेते हैं। इसके अलावा, निर्यात की प्रामाणिकता का पता शिपिंग बिल, आरबीआई के एक्सओएस / ईडीपीएमएस स्टेटमेंट और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी प्रमाणों से लगाया गया था।

			कंपनी द्वारा आगे सीएजी को सूचित किया गया कि उसने लीड बैंक के साथ पुष्टि की है। लीड बैंक ने पवन चक्की परियोजनाओं के संबंध में सेबी के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है और इसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डीएफएस के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी द्वारा सीएजी से पैरा रद्द करने का अनुरोध किया गया । दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।.

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
7.	वर्ष 2019-20 के लिए भाग II ख का पैरा 2	कुल वसूली और कंपनी को वसूली के आनुपातिक हिस्से की जानकारी के बिना बैंकों से प्रेषण। (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा निरीक्षण अनुपालन रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बीमित ऋण के संबंध में वसूली की कोई भी राशि, चाहे वह निर्यातक से हो या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी वसूली या तो निर्यातक द्वारा या उसकी ओर से की गई हो, को बीमित बैंक के बीच और कंपनी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में उनके बीच हानि साझा की गई हो साझा की जानी है । तथापि, निम्नलिखित मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया गया : 1. एक बैंक ने अपने दो खातों में ओटीएस की सूचना दी। बैंक ने वसूली राशि साझा की है लेकिन वसूली राशि पर पहुंचने के

			लिए गणना की गई विवरण साझा नहीं किया है। 2. इसी तरह, एक अन्य बैंक ने सूचित किया है कि उनके एक खाते का निपटान किया गया था और बैंक को भुगतान की गई दावा राशि का 40 प्रतिशत रद्द कर दिया गया था। वसूली के स्रोत और वसूली शेयर की शुद्धता का अनुरोध 1 वर्ष 8 माह के बाद साझा किया गया था। 3. इसी बैंक ने अपने दूसरे खाते में से 1 पर वसूली साझा की है। कंपनी के शेयर की वसूली का स्रोत और गणना पत्रक अभी तक बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि शाखा ने सभी मामलों में बैंकों को वसूली के स्रोत और गणना के विवरण का पता लगाने के लिए कई अनुस्मारक पत्र भेजे हैं जिसके आधार पर बैंक ने हमारे साथ वसूली साझा की है। कंपनी पत्र के साथ-साथ व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से बैंक के साथ मामले का सख्ती से पालन कर रही है। इसलिए कंपनी ने सीएजी से पैरा को हटाने का अनुरोध किया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।.

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
8.	वर्ष 2019-20 के लिए भाग II ख का पैरा 3	बैंक से ₹4.92 लाख की कम वसूली। (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	बैंक द्वारा सूचित किया गया कि उसके एक उधारकर्ता के साथ ₹ 235.16 लाख की छूट प्रदान करते हुए ₹300.06 लाख की वसूली योग्य देय राशि के विरूद्ध ₹65.00 लाख पर एकमुश्त निपटान किया गया था। बैंक ने गणना पत्रक के साथ वसूली के हिस्से के रूप में कंपनी को ₹28.94 लाख वापस कर दिए। बैंक द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक के सत्यापन में कंपनी ने पाया कि उसके हिस्से की गणना सही नहीं थी। बैंक ने ₹28.94 लाख की राशि प्रेषित की है जबकि कंपनी की गणना के अनुसार यह ₹33.86 लाख थी। ₹4.92 लाख के इस कम भुगतान के बारे में बैंक को सूचित किया गया था और कंपनी द्वारा बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित ओटीएस की एक प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कंपनी ने आगे बैंक से अनुरोध किया कि वह विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित वसूली प्रारूप प्रस्तुत करे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी की उक्त शाखा को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में बैंक से ₹4.92 लाख की वसूली नहीं हुई है। यदि वसूली के मामलों को शाखा स्तर पर हल नहीं किया जाता है, तो उच्च प्रबंधन स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएजी ने आगे की कार्रवाई के लिए की गई कार्रवाई/उठाए जाने के लिए निर्देश दिए।

			कंपनी की शाखा द्वारा वसूली के स्रोत और गणना के विवरण का पता लगाने के लिए बैंक को कई पत्र और अनुस्मारक भेजे हैं, जिसके आधार पर बैंक ने हमारे साथ वसूली साझा की है। कंपनी बैंक के साथ भी संपर्क में है और व्यक्तिगत यात्राओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। मामले को आगे बढ़ाने के अनुरोध के साथ विषय मामले को एचओ (वसूली विभाग) को भी भेज दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संदर्भित ज्ञापन के तहत उत्तर को स्वीकार करने और उसे बंद करने का अनुरोध किया जाता है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
9.	वर्ष 2020-21 के लिए भाग II ख का पैरा 1	खरीदार की स्थिति के सत्यापन के संबंध में उचित सावधानी के अभाव के परिणामस्वरूप दावा भुगतान के माध्यम से ₹107.77 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन	लेखापरीक्षा ने पाया कि एक पॉलिसी धारक (पीएच) ने रवांडा के एक खरीदार को किए गए शिपमेंट के संबंध में दावा दायर किया था। कंपनी के क्षेत्रीय दावा प्रसंस्करण केंद्र (आरसीपीसी) द्वारा चूकों और ऋण की पावती के अभाव में, प्रभावी वसूली उपायों और वसूली के लिए पर्याप्त कानूनी कार्रवाई के अभाव में दावे को खारिज कर दिया गया था। पीएच द्वारा दावा पुनः प्रस्तुत किया गया। आरसीपीसी ने दावा देर से दाखिल करने, अतिदेय की रिपोर्टिंग में देरी के संबंध में चूक को नोट किया और स्वीकार्य राशि पर 25% की कटौती के साथ दावे की संस्तुति की। पीएच के औचित्य पर विचार किया गया क्योंकि यह देखा गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार केन्या में स्थित

		लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	एक कंपनी जो रवांडा में खरीदार की मूल कंपनी भी थी, को पीएच को पॉलिसी जारी होने से 14 दिन पहले दिवालिया घोषित किया गया था। मूल कंपनी को दिवालिया घोषित किए जाने से एक दिन पहले पीएच ने पॉलिसी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि न तो कंपनी और न ही पीएच को उक्त खरीदार या खरीदार की मूल कंपनी के बारे में कोई जानकारी थी जो वित्तीय / परिसमापन मुद्दों का सामना कर रही थी। पी एच ने पॉलिसी जारी होने के 20 दिन बाद शिपमेंट किया। पी एच का खरीदार के साथ कोई पिछला व्यापारिक संबंध नहीं था और उस उद्देश्य के लिए, पी एच केवल खरीदार के कंपनी के आकलन पर निर्भर था क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि यदि खरीदार उचित नहीं पाया गया, तो पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। लेखापरीक्षा को यह सूचित किया गया था कि खरीदार जोखिमों की हामीदारी के संबंध में मूल निर्णय प्रधान कार्यालय में खरीदार हामीदारी विभाग (बीयूडी) द्वारा किया जाता है। प्रका-खबीवि भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों, क्रेडिट सूचना एजेंसियों, भारतीय दूतावासों / उच्चायोगों, विदेशों में निर्यात-प्रचार संगठनों के कार्यालयों, रेटिंग एजेंसियों अन्य एजेंसियों जैसे स्रोतों से खरीदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। खरीदार के साथ निर्यातकों के अनुभव, खरीदार के साथ निगम के अनुभव जैसे कारकों पर भी हामीदारी से पहले विचार किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त निर्यातक को पॉलिसी जारी करने के दौरान, कंपनी केवल डी एंड बी की रिपोर्ट पर निर्भर थी जिसने

			सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं की। कंपनी के प्रका-ख़बीवि को पॉलिसी की हामीदारी देने से पहले पॉलिसी गाइडलाइन का पालन करते हुए अन्य स्रोतों से भी जानकारी लेनी चाहिए थी। इस प्रकार, कंपनी की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप पीएच को भुगतान किए गए दावे के रूप में ₹107.77 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। कंपनी ने उत्तर दिया कि प्राप्त आधिकारिक दिवाला रिकॉर्ड के अनुसार, दिवाला की तिथि पर हस्ताक्षर/घोषणा पॉलिसी जारी होने के 3 दिन बाद की गई थी। दिवाला घोषणा के तहत केन्या में स्थित मूल कंपनी ने आधिकारिक प्रशासक नियुक्त किया था जो उसके बीमाधारक के तहत जोखिम के शुरू होने की तारीख से बहुत बाद में था। उसके बाद, खरीदार रवांडा से संबंधित है और शिपमेंट का गंतव्य रवांडा था और सभी आधिकारिक परिसमापन को केन्या में मूल कंपनी द्वारा निष्पादित किया गया है जो रवांडा क्षेत्र से परे एक अलग देश है। रवांडा गणराज्य केन्या गणराज्य के कानून की अनुमति से परे अलग देश है। पीएच ने केन्या के कानून की अदालत के तहत वसूली के लिए एक डीसीए नियुक्त किया है, जो उसके द्वारा नियुक्त दिवाला के आधिकारिक प्रशासक के अधीन है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने सीएजी से पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
10.	वर्ष 2020-21 के लिए भाग II ख का पैरा 2	बीमित बैंक के साथ उचित संचार की कमी के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा 23.52 लाख रुपये की वसूली में हिस्सा नहीं भेजा गया। (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	एक निर्यातक द्वारा की गई चूक के लिए कंपनी की शाखा द्वारा एक बैंक को एक दावे का भुगतान किया गया था, जिसके लिए बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई चूक की रिपोर्ट ₹1.01 करोड़ थी। कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार, दावों के भुगतान के बाद निर्यातक से वसूल की गई किसी भी राशि को कंपनी और बैंक के बीच उसी अनुपात में साझा किया जाएगा, जिसमें दावे के निपटारे के समय उनके द्वारा हानि का वहन किया गया था। अभिलेखों से यह पाया गया कि बैंक ने निर्यातक से ₹1.08 करोड़ की वसूली की, तथापि कंपनी को ₹23.52 लाख का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी के प्रबंधन ने इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा की गई कुल ₹1.08 करोड़ की डेटा-वार वसूली का विवरण मांगा। मामला कंपनी के प्रधान कार्यालय के ध्यान में लाया गया, हालांकि शाखा ने बैंक से वसूली के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं । बैंक ने कंपनी को सूचित किया कि आज तक कोई वसूली नहीं हुई है, इसलिए वसूली साझा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेखापरीक्षा द्वारा आगे यह नोट किया गया कि बैंक की स्थानीय शाखा के साथ पत्राचार किया गया था। बैंक ने अपने जवाब में कहा कि चूंकि मामला 15 साल पुराना है और शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए दावे के बारे में विवरण जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बैंक ने कंपनी के शाखा कार्यालय से विवरण साझा करने का अनुरोध किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में कोई और विकास नहीं हुआ है। चूंकि बैंक से प्राप्त ₹1.08 करोड़ की वसूली को दर्शाने वाले दस्तावेज कंपनी की फाइल में उपलब्ध हैं, इसे आगे की कार्रवाई के लिए बैंक को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

			प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि वसूली प्रक्रियाधीन है और बैंक को बकाया वसूली साझा करने के लिए पत्र जारी किए। कॉर्पोरेट स्तर की वसूली आरंभ करने की प्रक्रिया के लिए मामले को कंपनी के उच्च प्राधिकारी को भी सूचित किया गया। कंपनी ने पत्र के माध्यम से सीएजी को यह भी सूचित किया कि कंपनी ने वसूली के हिस्से में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज के साथ ₹1,11,58,392/- की वसूली की है। कंपनी ने कैग से लंबित पैरा को हटाने का भी अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
11.	वर्ष 2020-21 के लिए भाग II ख का पैरा 3	वसूल की गई राशि के हिस्से में विलम्ब के लिए दण्डात्मक ब्याज प्रावधान का अधिरोपण न करना (वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निर्यातक की चूक पर बैंक को 8.13 लाख रुपये के दावे का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात, बैंक द्वारा निर्यातक से ₹25.00 लाख की राशि वसूल की गई और कंपनी को ₹4.74 लाख के हिस्से का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित अवधि की तुलना में 8 महीने के बाद किया गया। हालांकि, 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए 4.74 लाख रुपये पर ब्याज राशि का न तो कंपनी द्वारा दावा किया गया और न ही बैंक द्वारा प्रेषित किया गया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि भुगतान किए गए दावे पर कंपनी ने ₹436920/- की वसूली की है क्योंकि पूरी दावा राशि की वसूली नहीं की गई है, अनुस्मारक नोटिस / पत्र भेजा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रेषण में किसी भी देरी पर मौजूदा आधार दर पर बैंक ब्याज लग सकता है। शेष भुगतान किए गए दावे की वसूली हर तिमाही में की जाती है।

			इसी तरह, उसी बैंक की एक अलग शाखा को ₹2375112/- के दावे का भुगतान किया गया था। बैंक द्वारा एक वचनबद्धता पर भी हस्ताक्षर किए गए थे कि वसूली के मामले में, कंपनी के शेयरों का भुगतान बैंक द्वारा वसूली के सात दिनों के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक दर से 5% ब्याज का भुगतान देरी की अवधि के लिए किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने बैंक से विलंब की अवधि के लिए ब्याज के साथ ₹10.71 लाख की वसूली राशि के अपने हिस्से को विप्रेषित करने का अनुरोध किया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि भुगतान किए गए दावा पर; कंपनी ने ₹10,71,110/- की वसूली की है शेष दावे की वसूली के लिए, कंपनी तिमाही आधार पर बैंक को रिमाइंडर नोटिस/पत्र भेज रही है। दंडात्मक ब्याज की वसूली के लिए नोटिस / पत्र भेजा गया है और वसूली की प्रक्रिया अभी भी बैंक की शाखा के साथ जारी है। लेखापरीक्षा ने वसूली की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ कंपनी को विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज सहित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि के लिए अनुरोध किया। कंपनी ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी उत्तर दिया कि कंपनी ने निर्यातक के खाते में बैंक की एक शाखा को ₹8,13,504.00 की राशि के दावे का भुगतान किया है। भुगतान किए गए दावे पर कंपनी ने केवल ₹4,36,920/- की वसूली की है। चूंकि कंपनी को संपूर्ण दावा निपटान राशि की वसूली नहीं हुई है, इसलिए कंपनी प्रत्येक तिमाही में बैंक से शेष राशि की वसूली के लिए रिकवरी रिमाइंडर भेज रही है। रिमाइंडर नोटिस / पत्र में कहा गया है कि प्रेषण में किसी भी देरी पर बैंक की मौजूदा आधार दर पर ब्याज लग सकता है। वसूली राशि को कंपनी के साथ उसी अनुपात में साझा किया जाना है जिसमें दावा निपटान के समय कंपनी द्वारा

			नुकसान उठाया गया था। दावे के निपटान की तारीख के बाद की अवधि के लिए वसूल किया गया ब्याज, यदि कोई हो, को दावे के भुगतान की तारीख से प्रेषण की तारीख तक आनुपातिक रूप से साझा किया जाना है। शेष भुगतान किए गए दावे की वसूली प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, कंपनी ने बैंक की दूसरी शाखा को ₹ 23,75,112/- के दावे का भुगतान किया है, उक्त दावे भुगतान मूल्य पर कंपनी ने ₹10,71,110/- की वसूली की है ताकि कंपनी द्वारा भेजे जा रहे शेष दावों की वसूली की जा सके। तिमाही आधार पर बैंक को रिमाइंडर नोटिस / पत्र। दण्डात्मक ब्याज की वसूली हेतु नोटिस/पत्र भेजा गया है। बैंक से वसूली की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बैंक शाखा कार्यालय ने ई-मेल के माध्यम से कहा है कि ओटीएस के तहत उनका वास्तविक वहन ₹3.09 करोड़ है और संकल्पित वहन ₹1.20 करोड़ है जिसके लिए बैंक ने वसूली की प्रक्रिया में दंडात्मक ब्याज की छूट का अनुरोध किया है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर सीएजी से पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
12.	वर्ष 2020-21 के लिए भाग II ख का पैरा 4	टीडीएस/टीसीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 ई के तहत लगाया गया जुर्माना	लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी एक वित्तीय वर्ष की एक निश्चित तिमाही के लिए कंपनी की एक शाखा की दूसरी तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न /टीसीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के 10 दिन बाद दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2000/- के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 234ई के प्रावधान में कहा गया है कि कर कटौतीकर्ता (टीडीएस)

		(वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	या कर संग्रहकर्ता (टीसीएस) को निर्धारित नियत तारीखों के भीतर टीडीएस/टीसीएस रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। किसी भी देरी के मामले में, कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 234ई के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस रिटर्न न भरने/देरी से भरने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, अर्थात इस अवधि के दौरान जितने दिन की देरी की जाती है उतने प्रत्येक दिन के लिए ₹200 शुल्क होगा । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टीडीएस / टीसीएस रिटर्न देर से दाखिल शुल्क के भुगतान के बिना दाखिल नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हालांकि, देरी से विवरण प्रस्तुत करने की शुल्क की राशि टीडीएस/टीसीएस की राशि से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक दिन के लिए ₹200.00 की राशि देरी से विवरण प्रस्तुत करने का शुल्क है न कि पेनल्टी। इस प्रकार, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹2000/- की वित्तीय हानि हुई। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि टीडीएस रिटर्न भरने की प्रक्रिया एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आउट-सोर्स की गई थी। देरी सीए फर्म से हुई जिसके लिए कंपनी पर देर से फाइलिंग शुल्क लगाया गया था। कंपनी ने सेवा में लापरवाही के लिए आउट-सोर्स सीए फर्म को बदल दिया है और कंपनी ऑडिटर को भविष्य में इस तरह के मुद्दों का ध्यान रखने का निर्देश भी देती है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
13.	वर्ष 2020-21 का भाग II ख का पैरा 1	दावे का परिहार्य भुगतान - ₹33.70 लाख (वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	दावा के तहत शिपमेंट के दौरान एक कृषि उत्पाद निर्यातक के पास ₹12 करोड़ अधिकतम देयता (एमएल) के साथ कंपनी से निर्यात टर्नओवर पॉलिसी (ईटीपी) जारी की गई थी। यह पॉलिसी 35 प्रतिशत के नो क्लेम बोनस (एनसीबी) के साथ साख पत्र (एलसी) व्यापक जोखिम कवरेज के साथ जारी की गई थी। पॉलिसी धारक (पीएच) के पास दस्तावेज़ स्वीकृति पर डी ए 30 दिनों पर ₹ 1.00 करोड़ की क्रेडिट सीमा थी। इसके बाद 2 महीने के बाद साख सीमा रद्द कर दी गई और खरीदार को कंपनी की खरीदार विशिष्ट अनुमोदन सूची (बीएसएएल) में रखा गया। इसके अलावा पॉलिसी धारक ने शिपमेंट के 40 दिनों के बाद और कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर डिफ़ॉल्ट (आरओडी) पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। खरीदार द्वारा माल की अस्वीकृति के कारण आरओडी दायर किया गया था। इसके अलावा, पीएच ने माल के पुनर्विक्रय के लिए अपने एजेंट के माध्यम से दो नए खरीदारों की तलाश की। खरीदारों में से एक डीए की शर्तों पर माल लेने को तैयार था, हालांकि उक्त खरीदार की प्रतिकूल जानकारी के कारण वैकल्पिक खरीदार को पुनर्विक्रय पर कंपनी द्वारा कवर प्रदान नहीं किया गया, दूसरा खरीदार रियायती मूल्य पर और डीए की शर्तों पर सामान लेने के लिए तैयार था लेकिन वह गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं था। इसलिए, पीएच ने उन खरीदारों को सामान बेचने का कोई जोखिम नहीं लिया । पी एच ने फिर से मूल खरीदार के साथ बातचीत की और खरीदार डी ए शर्तों पर माल की डिलीवरी लेने के लिए सहमत हो गया और भुगतान शर्तों को डी पी से डीए -30 में बदलने को कंपनी की शाखा द्वारा अनुमोदित किया गया।

			शिपिंग लाइन ईमेल के अनुसार, खरीदार (कंसाइनी) ने बिल ऑफ लीडिंग के तारीख से 4 महीने के बाद विलंब शुल्क और लागू शिपिंग शुल्क का भुगतान करके डिलीवरी प्राप्त की। खरीदार ने उत्पाद की गुणवत्ता के मुद्दों के कारण उक्त शिपमेंट के लिए देयता का खंडन किया है और भुगतान करने से इनकार कर दिया है। पी एच ने खरीदार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की; हालांकि खरीदार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खरीदार ने स्थानीय निरीक्षण एजेंसी द्वारा अपने गोदाम में किए गए निरीक्षण के 2 महीने बाद गुणवत्ता के मुद्दों को उठाया। एजेंसी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कंटेनरों को खोलते समय, कंसाइनी ने खराब माल और जीवित कीड़े देखे थे और तुरंत निरीक्षण के लिए बुलाया। उक्त दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ईटीपी पॉलिसी के बहिष्करण 3 (एफ) के अनुसार "कंपनी किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो कि निर्यात किए गए माल की प्रकृति में निहित है।" इसके बाद, पॉलिसी धारक ने कंपनी को विभिन्न प्रतिनिधित्व (03 प्रतिनिधित्व) प्रस्तुत किए और कहा कि खरीदार ने कुल 04 खेपों में से 03 खेपों की सुपुर्दगी को बिना किसी भी प्रकृति की शिकायत के स्वीकार कर लिया था और इसके अलावा भुगतान जारी करने के लिए विधिवत भुगतान किया गया तथा डिलीवरी ऑर्डर के तहत कार्गो और भुगतान शर्तों में संशोधन के लिए डीए -30 दिनों के लिए अनुरोध किया गया था जो कंपनी से अनुमोदन प्राप्त किया गया। पी एच ने आगे दोहराया कि बिक्री अनुबंध के अनुसार गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं थी। इस प्रकार, पी एच ने कड़ी आपत्ति जताई और खरीदार द्वारा की गई गुणवत्ता रिपोर्ट पर अपवाद प्रस्तुत किया , जिसने बिना किसी सूचना और/या हमारी सहमति के

			एकतरफा सर्वेक्षक नियुक्त किया और इसलिए, बिक्री अनुबंध के अनुसार कोई वैधता या प्रवर्तनीयता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के तहत पीएच ने खरीदार द्वारा की गई गुणवत्ता रिपोर्ट के पक्षपाती होने के बिना तत्काल दावे पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि उनके अनुसार यह रिपोर्ट असंगत है और दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। हालांकि, का नि (प्रका) द्वारा इसी आधार पर दावे को और खारिज कर दिया गया था। आगे पीएच ने अपने पत्र के माध्यम से 04था प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया और कंपनी से दावे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। चूंकि उक्त दावे को दो बार प्रका स्तर पर खारिज कर दिया गया था अतः दावा प्रका (शिकायत) को उनकी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी) ने अपनी बैठक में अस्वीकृति के उपरोक्त आधारों को नोट किया और चर्चा की और इस आधार पर निर्यातक के प्रतिनिधित्व की सिफारिश की कि खरीदार ने अनुबंध के अनुसार दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया था और काफी देरी के बाद डीए शर्तों पर माल स्वीकार कर लिया था। खरीदार ने श्रीलंका की एक स्थानीय एजेंसी द्वारा माल पर गुणवत्ता परीक्षण करवाया। प्रारंभिक निरीक्षण में माल की गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं पाई गई। इसके अलावा समिति का मत था कि निरीक्षण खरीदार द्वारा एकतरफा किया गया था और निरीक्षण के लिए चयनित एजेंसी बिक्री अनुबंध के अनुसार नहीं थी। इसलिए, निर्यातक के खिलाफ गुणवत्ता के मुद्दों को नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि माल की गैर-स्वीकृति के बाद निर्यातक ने माल को दूसरे खरीदार को बेचने की कोशिश की जो रियायती मूल्य के साथ माल लेने के लिए तैयार था लेकिन डीए की शर्तों के साथ और वह गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं था। पीएच ने उक्त

			खरीदार को माल बेचने का कोई जोखिम नहीं लिया । ऐसा लगता है कि मूल खरीदार द्वारा किया गया निरीक्षण प्रामाणिक और सटीक था। इस प्रकार, ईटीपी पॉलिसी के बहिष्करण 3(एफ) के अनुसार ₹33.70 लाख के दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कंपनी ने उत्तर दिया कि निर्यातक ने एक ही आदेश पर कुल चार शिपमेंट किए और खरीदार ने पहले तीन शिपमेंट की डिलीवरी ली और समय पर भुगतान भी किया गया। हालांकि, खरीदार ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण चौथे शिपमेंट ₹37,45,232/- की डिलीवरी में लेने में देरी की। चौथी शिपमेंट के लिए भुगतान की शर्तों को भी निगम की पूर्व स्वीकृति से डीपी से डीए में परिवर्तित किया गया । चौथे शिपमेंट की डिलीवरी लेने के बाद खरीदार ने एकतरफा रूप से श्रीलंका के एक सर्वेक्षक द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया, जो एक स्थानीय एजेंसी है, न कि अनुबंध में उल्लिखित एजेंसी। उपरोक्त एजेंसी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से खरीदार ने इन्वाइस राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्यात की जाने वाली वस्तु चावल थी, यदि गुणवत्ता मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थी, तो श्रीलंकाई सीमा शुल्क विभाग ने अनुमति नहीं दी होती। चावल की स्वतः लाइफ भी 2 वर्ष से अधिक होती है। निर्यातक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार उसी निरीक्षण एजेंसी द्वारा वजन और गुणवत्ता के पूर्व-निरीक्षण प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए और वह खरीदार और विक्रेता दोनों द्वारा मानक और सहमत मापदंडों के अनुपालन में था। उपरोक्त तथ्यों से, यह बहुत स्पष्ट था कि उनकी वित्तीय कठिनाई के कारण, खरीदार ने गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए चौथे शिपमेंट के लिए भुगतान करने से बचने की कोशिश की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निर्यातक 4 वर्षों से हमारा पॉलिसी धारक था और उसने कुल ₹60.57 लाख का

			प्रीमियम का भुगतान किया था और यह उनका पहला दावा था। तदनुसार, ₹33.70 लाख के दावे का भुगतान उचित था। इसलिए कंपनी ने सीएजी से इस पैरा को हटाने का अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्रसं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**पैरा का संक्षेप**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
14.	वर्ष 2020-21 का भाग II ख का पैरा 2	11.76 लाख रुपये की राशि के लिए एक निर्यातक को परिहार्य दावा भुगतान।। (वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	शिपमेंट के समय एक निर्यातक के पास अधिकतम देयता 10 करोड़ रु के निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ईटीपी) पॉलिसी थी । पॉलिसी साख पत्र व्यापक जोखिम के साथ 25 प्रतिशत अदावा छूट के साथ जारी की गई थी। पॉलिसी धारक के पास कंपनी अनुमोदित दस्तावेज़ स्वीकृति पर 90 दिन (डी ए -90) भुगतान शर्तों पर 20 लाख रु की साख सीमा उपलब्ध थी। निर्यातक द्वारा चूक की रिपोर्ट दर्ज करने पर उक्त सीमा को रद्द कर दिया गया। पॉलिसी धारक द्वारा खरीदार को ओ डी-90 भुगतान शर्तों पर मिक्स वूवन के 15.47 लाख रु मूल्य के 4 शिपमेंट किए गया। पॉलिसीधारक द्वारा लंबित 4 इन्वाइस के भुगतान के लिए ईमेल के जरिए खरीदार के आयात विभाग में एक कर्मचारी से भुगतान की मांग की गई जिसे उक्त कर्मचारी द्वारा पुष्टि के लिए उनके लेखा विभाग को भेजा गया। आगे, उक्त इन्वाइस का भुगतान प्राप्त न होने पर पॉलिसीधारक द्वारा ऋण वसूलकर्ता एजेंसी (डी सी ए) से संपर्क किया एवं डी सी ए द्वारा पुष्टि की गई कि खरीदार की कंपनी व्यवसाय में सक्रिय है परंतु डी सी ए के जरिए कोई वसूली नहीं की जा सकी। इसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा पुनः मामले पर विचार हेतु कंपनी को प्रस्तुत किया

			एवं उल्लेख किया कि "उक्त दावे संबंधी शिपिंग दस्तावेजों को बैंक को प्रस्तुत किया गया एवं बैंक द्वारा भुगतान निर्देशों के साथ इन्हें सीधे ग्राहक को अग्रेषित किए गए। यह पर्याप्त रूप से प्रमाणित है कि कि खरीदार द्वारा बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं हैकर द्वारा दिए गए अनुरोध पर भुगतान किया गय।" आगे, निर्यातक द्वारा डी सी ए को ईमेल के जरिए बताया गया कि वास्तव में खरीदार द्वारा यह राशि निर्यातक के खाते के स्थान पर किसी अनजान व्यक्ति तारेक अल्लोनी के खाते में अंतरित कर दी गई है। उपरोक्त से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि खरीदार द्वारा भुगतान हैकर के खाते में किया गया इसलिए निर्यातक को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न ईमेल पत्राचार यह इंगित करते हैं कि निर्यातक के संबन्धित कर्मचारी का ईमेल हैक हो गया था एवं निर्यात के भुगतान किसी अन्य खाते में अंतरित हो गए। इसे खरीदार का गैर भुगतान नहीं माना जा सकता क्यूंकी खरीदार द्वारा भुगतान किया गया है। उपरोक्त के आधार पर, यह पाया गया कि खरीदार द्वारा भुगतान निर्यातका द्वारा निर्धारित कर्मचारी के बताए खाते में किया गया अतः भुगतान को प्राप्त माना जाए। आगे, यदि खरीदार द्वारा भुगतान धोखे से किसी और के खाते में किया गया है तो इसे साइबर धोखा माना जाए। इसलिए, कंपनी के दिशा-निर्देशों की धारा 4.21.2 (ऑम्निबस क्लॉज-व्याख्या) के अनुसार दावे पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "हैकिंग, मास्करेडिंग, ईव्सड्रॉपिंग, फ़िशिंग आदि जैसी घटना को व्यापक रूप से साइबर अपराध जाना जाता है। चूंकि साइबर अपराध को 'ऑम्निबस क्लॉज' के तहत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इन घटनाओं को उचित फ़ायरवॉल सिस्टम और

			बीमित व्यक्ति और/या खरीदार के उचित सावधानी बरतने पर इसे होने से रोका जा सकता था" एवं पॉलिसी बांड की धारा 12 (घ) (ii) के अनुसार भी इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त शर्तों लागू करके पॉलिसीधारक को किए गए 11.76 लाखरु के दावे के भुगतान से बचा जा सकता था। कंपनी द्वारा पत्र के माध्यम से सीएजी को उत्तर दिया गया कि निर्यातक ने खरीदार को कुल ₹2.76 करोड़ के कुल मूल्य के लिए 57 शिपमेंट किए और डिफ़ॉल्ट शिपमेंट से पहले सभी के भुगतान प्राप्त किए थे। खरीदार को निर्यातक के बैंक से अपने खाते में भुगतान करने के निर्देश के साथ सभी शिपिंग दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे, जिसका बैंक के बिल कवरिंग अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। खरीदार द्वारा डीसीए को प्रदान किए गए पहले अनुलग्नक (स्विफ्ट संदेश) से, यह देखा गया कि लाभार्थी विवरण नहीं दिए गए हैं और केवल खाता संख्या का उल्लेख किया गया है जबकि किसी भी भुगतान निर्देश के लिए लाभार्थी का नाम और खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। खरीदार द्वारा डीसीए को प्रदान किए गए दूसरे अनुलग्नक से, जहां खरीदार एक अलग बैंक से राशि वापस मांग रहा है, खरीदार ने फ़ील्ड संख्या 59 में तारेक अलौनी के रूप में नाम लिखा है। जो दर्शाता है कि खरीदार ने तारेक अलौनी नाम के एक अज्ञात व्यक्ति को भुगतान किया था और इस तथ्य से अवगत था। खरीदार द्वारा अपने विधिक विभाग के पत्र के माध्यम से धोखाधड़ी के तथ्य को भी स्वीकार कर लिया और खरीदार ने साउथ वेल्स पुलिस में भी ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खरीदार भुगतान करने से पहले सामान्य सावधानी और विवेक का

			पालन करने में विफल रहा और निर्यातक को भुगतान करने में चूक की गई। आगे यह भी नोट किया जा सकता है कि निर्यातक 15 वर्षों से हमारा पॉलिसी धारक है और उसने कुल ₹2.25 करोड़ का प्रीमियम प्रेषित किया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति द्वारा ₹11.76 लाख के दावे का निपटान उचित है। कंपनी ने लेखापरीक्षा से उपरोक्त तथ्यों और टिप्पणियों को स्वीकार करने का भी अनुरोध किया और संबंधित लेखापरीक्षा पैरा को रद्द का अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र सं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**संक्षिप्त पैरा**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
15.	वर्ष 2020-21 के पैरा 3 भाग II ख.	प्रदत्त दावे की वसूली के लिए बकाया। (2019-20 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों को उसी अनुपात में कंपनी के साथ साझा किया गया है जिस अनुपात में हानि साझा की गयी थी। कंपनी द्वारा शामिल जोखिमों के उचित विस्तार की अपेक्षा की जाती है। अतः निर्यातक के लिए आवश्यक है कि वह उसके द्वारा, सिवाए अग्रिम भुगतान प्राप्त एवं भारत में पुष्टि किए जाने वाले साख पत्र पर किए गए भुगतानों के अलावा पॉलिसी अवधि के दौरान किए गए सभी पोतलदानों पोतलदानों पर

			बीमा रक्षा प्राप्त करे। जब वस्तुएँ एक समान प्रकृति की न हो तो अपवर्जन संभव है। जब निर्यातक प्रीमियम दरों की पुष्टि करता है एवं अधिकतम देयता के आधार पर निर्धारित अनुसूची के अनुसार वापस न लौटाए जाने वाले शुल्क की अदायगी करता है तो कंपनी पॉलिसी जारी करती है। दावा तब उत्पन्न होता है जब पॉलिसी के अधीन बीमाकृत जोखिम उत्पन्न हो। सामान्यतया हानि के घटित होने के चार माह के पश्चात दावा देय होता है। कुछ मामलों में दावे को हानि के 60 प्रतिशत तक अनुग्रह आधार पर अदा किया जाता है जब पॉलिसी के अधीन कुछ आवश्यकताओं पर छूट प्रदान किया जाना आवश्यक हो। कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षा के दौरान , लेखा परीक्षक द्वारा पाया गया कि कंपनी के निर्यातक शाखा एवं बैंक कारोबार शाखा के विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से पोतलदान आधारित पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त दावों पर बड़ी मात्रा में वसूलियाँ की जानी हैं। लेखा परीक्षकों ने पाया कि निर्यातक शाखा में तत्काल अगले वित्त वर्ष

			तक ग्राहकों से की जाने वाली वसूलियों में ₹54.06 करोड़ रु से बढ़ कर ₹113.68 करोड़ रु होने की संभावना है। आगे तीन वर्ष पुराने ग्राहक से प्राप्त किया जाने वाला ₹ 31.17 करोड़ रु का बकाया शेष है। लेखा परीक्षकों द्वारा यह भी पाया गया कि 12 महीनों के लिए ₹32.12 करोड़ रु के दावा बकाया शेष हैं। बैंक कारोबार शाखा के संबंध में कुल ₹14.08 करोड़ रु के दावा बकाया शेष हैं जिसमें से ₹12.04 करोड़ रु 1 से 6 माह , एवं ₹2.08 करोड़ रु 1 वर्ष के हैं। लेखा परीक्षक द्वारा प्रबंधन से अनुरोध किया गया कि निर्यातक शाखा एवं बैंक कारोबार शाखा से इतनी बड़ी मात्रा में बकाया दावों की गैर वसूली का क्या कारण है। आगे प्रबंधन द्वारा बकाया दावों की राशि की वसूली के लिए किए जाने वाले उपायों को लेखा परीक्षकों के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया। कंपनी के प्रबंधन का उत्तर था कि उक्त आंकड़े वास्तव में बकाया दावों की अवधि के आधार पर हैं यथा लंबित दावे , जिन पर निर्णय अभी शेष है। आगे , बैंक कारोबार शाखा की बकाया दावा राशि को निर्यातक

			शाखा के आंकड़ों के साथ दर्शाया गया है। बैंक कारोबार शाखा द्वारा प्रदत्त दावों की कुल राशि एवं वसूली के लिए लंबित राशि 907.20 करोड़ रु है। जिसमें से 536.23 करोड़ रु केवल एक समूह से वसूली हेतु लंबित हैं। सी बी आई / ई डी की वर्तमान जांच के कारण खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों को कुर्क कर लिया गया है जिसके कारण बैंक खातों से पर्याप्त वसूली करने में सक्षम नहीं हैं। तथापि कंपनी द्वारा नियमित रूप से वसूली हेतु नियमित / तिमाही आधार पर पत्रों एवं व्यक्तिगत दौरों / फोन कॉल्स के जरिये बैंकों के साथ संपर्क किया जा रहा है। पिछले वर्षों के कुल 587 लंबित प्रदत्त दावा फाइलें (वसूली हेतु लंबित) हैं। कुछ प्रदत्त दावा फाइलें 40 वर्ष पुरानी हैं परंतु बैंकों से एन पी ए खातों को बंद करने / बट्टे खाते में डाले जाने की पुष्टि न होने के कारण अभी भी खुली रखी गयी हैं। जिसके परिणाम स्वरूप बकाया राशि एवं वसूली के लिए लंबित संख्याओं में निरंतर वर्षवार वृद्धि हो रही है। खातों की फाइलों को खुला रखने का एक अन्य कारण यह है कि चाहे बहुत कम

			संभावना हो परंतु वसूली की संभावना के कारण फाइलें खुली रखी गयी हैं। कुछ मामलों में शाखा कार्यालयों द्वारा दावा निपटान की तारीख के 20 वर्षों के उपरांत भी वसूली प्राप्त हुई है। कृपया यह नोट करें कि एन पी ए खातों पर बैंकों द्वारा की जाने वाली वसूलियाँ बहुत हद तक गिरवी रखी गयी सम्पत्तियों की बिक्री / समझौता निपटान / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री / अन्य विधिक पद्धति से किए जाने वाले निपटान के आधार पर वसूली की जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता रहता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, शाखा कार्यालय , निरंतर कार्यवाही के जरिये उन सभी प्रदत्त दावा खातों पर वसूली करने में सफल हुए हैं जिन पर बैंकों द्वारा आंशिक वसूली / एक मुश्त निपटान के जरिये पूर्ण वसूली /समझौता निपटान / परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिये वसूली करने में सफल हुए हों। शाखाओं द्वारा निरंतर संबन्धित बैंक शाखाओं एवं आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाओं (ए आर एम बी) / दबावग्रस्त परिसंपत्ति

			प्रबंधन शाखा (एस ए एम बी - एन पी ए खातों वाली विशिष्ट बैंक शाखाओं) आदि को शाखा द्वारा निपटान किए गए विशिष्ट रूप से बड़े मूल्य वाले प्रदत्त दावों एवं वसूली के लिए लंबित मामलों के संबंध में निरंतर पत्राचार एवं साथ ही साथ फोन कॉल्स के जरिये लगातार संपर्क किया जाता है। वसूली मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए एवं बैंक अधिकारियों/बाज़ार सूचना पर प्राप्त जानकारी के आधार पर कंपनी द्वारा उन संभावित मामलों की सूची तैयार की जाती है जहां वसूली की संभावना अधिक हो। आगे, पॉलिसी धारकों के किसी भी दावे के निपटान के पहले, इस प्रकार के दावों को ऋण वसूलिकर्ता एजेंसियों (डी सी ए) जैसे एम एच इंटरनेशनल, एम एन एस क्रेडिट आदि को सौंपा जाता है। डी सी ए द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के उपरांत एवं यदि आगे वसूली प्राप्त न हो तो केवल तब ही पॉलिसीधारकों के दावों का निपटान किया जाता है। अतः कंपनी द्वारा सी ए जी से अनुरोध है कि इस संबंध में दिये गए उत्तरों को स्वीकार करें एवं पैरा को रद्द कर दें।

			दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	संक्षिप्त पैरा	रिपोर्टिंग स्थिति
16.	वर्ष 2020-21 के पैरा 4 के भाग II ख	कंपनी के बैंक कारोबार शाखा एवं निर्यातक शाखा का निष्पादन (वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की शाखा के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखा परीक्षकों द्वारा पाया गया कि कंपनी मुख्य रूप से निर्यात संवर्धन संगठन है जो भारतीय निर्यातकों को ऋण बीमा रक्षा प्रदान करते हुए निरंतर भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। कंपनी , बैंक कारोबार से संबन्धित अपनी शाखा के जरिये बैंकों की सीमा को अधिसूचित / अनुमोदित कर , मासिक आधार पर उनसे प्रीमियम एकत्र कर उसे समायोजित करती है, बैंकों से प्राप्त एकल रक्षाओं के प्रस्तावों पर प्रक्रिया करती है , किसी भी बैंक से प्राप्त चूक की रिपोर्ट / वि अ सू (एस ए एल) में निर्यातक के नाम का सम्मिलन / अपवर्जन करती है, वसूली संबंधी मामलों पर प्रक्रिया करती है / वसूली संबंधी अनुस्मारक प्रेषित करती है एवं वसूली प्रस्तावों पर कार्यवाही करती है, दावों पर प्रक्रिया हेतु केन्द्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय

			कार्यालय को दावा प्रस्ताव भेजने के पूर्व दावा संबंधी दस्तावेज़ों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज़ों को एकत्र करती है, एवं बैंक को कंपनी की रक्षा के अनुपालन हेतु देशनिर्देशों के लिए एवं बैंक को आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए कारोबार विकास कार्यक्रम के अधीन बैंकों के साथ बैठकों का आयोजन करती है। वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान बैंक कारोबार के प्रमुख निष्पादन के क्षेत्रों की समीक्षा पर पाया गया कि कथित बैंक का निष्पादन कुछ प्रोत्साहक नहीं रहा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जोखिम मूल्य रक्षा के प्रतिशत में 20.45% की गिरावट दर्ज की गई। संरक्षित लेखों, प्रमुख निर्यातकों की सं, प्रीमियम आय आदि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में गिरावट पायी गयी। वस्तुतः, कंपनी द्वारा उसके लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में मात्र 79.05% का लक्ष्य प्राप्त करने में ही सफल हो पायी है। इसी प्रकार, कंपनी की अन्य शाखा जो केवल पॉलिसी कारोबार से ही संबन्धित है एवं जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं

			उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कंपनी के उत्पादों एवं सेवाओं को नए निर्यातकों तक पहुंचाना है। यह शाखा के पॉलिसीधारकों तक अपनी सेवाओं पहुंचाने एवं उनके पॉलिसी दावा मामलों पर प्रक्रिया करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके द्वारा कंपनी के अन्य कार्यालयों (क्षे का / प्र का / अन्य शा का) के साथ संपर्क कर अपने पॉलिसी धारकों को सामयिक सेवाएँ पहुंचाया जाता है। समान वित्तीय वर्ष के लिए इस शाखा के प्रमुख कारोबार के क्षेत्रों की समीक्षा पर पाया गया कि इस शाखा का निष्पादन भी कुछ खास नहीं रहा है। पॉलिसी प्रीमियम, निर्यातकों की सं, नए निर्यातकों, प्रभावी पॉलिसियों एवं नयी पॉलिसियों की सं में तीव्र गिरावट दर्ज की गयी है। यह पाया गया कि कथित वित्तीय वर्ष के दौरान यह शाखा भी कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रही है। यह पाया गया है कि इस शाखा द्वारा कथित वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित प्रमुख लक्ष्य प्राप्त नहीं किए है। लेखा परीक्षक द्वारा प्रबंधन से , प्रमुख

			लक्ष्यों की अप्राप्ति के संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत करने का अनुरोध किया गया है। प्रबंधन वर्ग का उत्तर है कि , कथित वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक कारोबार शाखा को कुल 328.60 करोड़ रु की कुल राशि के लिए कुल 32 चूक रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। इन 32 खातों में से शाखा के लिए प्रीमियम/ जोखिम मूल्य (आर वी) की दृष्टि से चार महत्वपूर्ण खाते हैं जिनके लिए कुल 265.49 करोड़ रु के लिए चूक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आगे एक खाते पर 206.50 करोड़ रु की चूक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रीमियम एवं जोखिम मूल्य की दृष्टि से शाखा के लिए यह मुख्य खातों में से एक है। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय के स्तर पर दो बैंकों को जारी ईसीआईबी - डबल्यूटीपीसी को बंद किए जाने पर शाखा के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है (जोखिम मूल्य हानी 25.00 करोड़ रु, प्रीमियम हानी 85.00 लाख रु एवं 40 खातों की हानि)। आगे, 12 प्रमुख खातों द्वारा निर्यात ऋण का गैर उपयोग / न्यून उपयोग

			भी कारोबार में कमी का कारण बना। इसके अरीतिक्त, कई अच्छे खातों का गैर ईसीआईबी खाताधारक बैंकों में स्थानांतरित हो जाने के कारण जोखिम मूल्य एवं प्रीमियम में कमी का कारण साबित हुए हैं। (निर्यात वित्त का उपयोग न करने , खातों के बंद करने एवं अन्य बैंकों में स्थानांतरित होने के कारण 119 खातों की हानि)। इसके अरीतिक्त शाखा द्वारा बाज़ार सेवा का प्रमुख भाग बनाने वाले बैंकों के लिए प्रीमियम दर में कटौती के कारण भी बैंक कारोबार के अधीन आने वाली शाखा के लिए प्रीमियम हानि एवं जोखिम मूल्य में कटौती का कारण बना। प्रबंधन द्वारा यह भी सूचित किया गया कि हालांकि किसी भी शाखा का निष्पादन , ईसीआईबी रक्षा के अधीन बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे निर्यात ऋणों एवं चूकाधीन खातों की सं एवं अच्छे खातों की निरंतर धारण क्षमता जैसे साधारण बाज़ार स्थिति पर आधारित होती है परंतु शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 30 दिनों के

			भी सीमा अधिसूचना आवेदनों के निपटान, 60 दिनों के भीतर सीमा अनुमोदन आवेदनों का निपटान , संरक्षित लेखों की गहन निगरानी एवं मासिक घोषणाओं का एकत्रण एवं समय पर समायोजन पर निगरानी आवश्यक है। प्रबंधन ने सी ए जी से अनुरोध किया कि उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करें। कंपनी के निर्यात कारोबार में कमी के संबंध में कंपनी ने स्पष्ट किया कि कथित वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय निर्यातों में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रुपया मूल्य में 3.52% की कमी हुई है। वर्ष के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन क्षेत्र द्वारा संरक्षित जोखिम मूल्य (जे वी) में 10.53% की गिरावट दर्ज की गयी। घोषणा आधारित पॉलिसियों में जोखिम मूल्य (जो मू) में 7.78% की कमी हुई है जबकि जोखिम आधारित पॉलिसियों के जोखिम मूल्य (जे वी) में 12.93% की गिरावट हुई है। कारोबार में गिरावट का मुख्य कारण प्रमुख वस्तुओं जैसे इंजीनिरिंग माल, चाय, चमड़ा एवं मरीन उत्पाद आदि के निर्यातों

			में कमी है। चाय का कारोबार करने वाले सभी पॉलिसी धारकों द्‌वारा निर्यातों में कमी के कारण चाय बागानों की बिक्री के कारण जोखिम मूल्य (जो मू) गिरावट दर्ज की गयी। एक निर्यातक की एम बी ई पी पॉलिसी को न्यून पण्यावर्त के कारण 150.00 करोड़ रु की समग्र हानि सीमा (ए एल एल) के साथ नवीकृत की गयी जबकि उसकी पूर्व की समाप्त पॉलिसी 300.00 करोड़ रु की समग्र हानि सीमा (ए एल एल) के साथ थी। ऊपर उल्लिखित कारक प्रमुख लक्ष्यों की अप्राप्ति के कारण साबित हुए। आगे लक्ष्य विशेष की प्राप्ति सार्वभौमिक कारोबार दशा , स्थानीय बाज़ार दशा एवं अन्य घटकों पर भी आधारित होता है। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के कारण कई कारोबार बंद कर दिये गए । कथित वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार पर इसका भी प्रभाव पड़ा। तथापि शाखा कार्यालय द्‌वारा उसके उपलब्ध स्रोतों के जरिये अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त तथ्यों एवं टिप्पणियों को कृपया स्वीकार करें

			एवं अनुरोध किया जाता है कि कृपया संबन्धित पैरा को रद्द करें। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	संक्षिप्त पैरा	रिपोर्टिंग स्थिति
17.	वर्ष 2020-21 के पैरा 4 के भाग II ख	पचास वर्षों की पूर्ति के पश्चात भी कानूनी मामले के निपटान न किया जाना। (2018-19 एवं 2019 – 20 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखा परीक्षकों द्वारा पाया गया कि एक सार्वजनिक उपक्रम (पी एस यू) द्वारा निर्यातक पर ₹30 लाख की पैकिंग ऋण बीमा रक्षा प्राप्त की गयी थी, उस पी एस यू द्वारा प्रथम श्रेणी की बीमा कंपनी से ₹ 10 लाख की देयता हेतु एक पॉलिसी भी प्राप्त की जानी थी। तदनुसार पे एस यू द्वारा बीमा कंपनी से एक पॉलिसी प्राप्त की गयी। पी एस यू द्वारा , इंग्लैंड में खरीदार को मूँगफली के निष्कर्य की आपूर्ति के लिए ₹81.00 लाख मूल्य की संविदा के लिए वित्त व्यवस्था हेतु निर्यातक को प्रदत्त अग्रिम राशि के लिए पी एस यू द्वारा बीमा रक्षा प्राप्त की गयी थी। निर्यातक द्वारा संबन्धित आपूर्ति न किए जाने के कारण पी एस यू को इस में हानि का सामना करना पड़ा एवं

			उसने निर्यातक के एवं बीमा कंपनी विरुद्ध कोर्ट में दावा दायर किया एवं साथ ही साथ उसके द्वारा कंपनी पर ₹ 24.84 लाख रु के 2/3 भाग के रूप में ₹ 16.56 लाख रु हेतु दावा भी दायर किया गया। इस पर कंपनी द्वारा ₹ 6.66 लाख रु की बीमा कंपनी की देययता का निपटान करने के उपरांत ₹ 13.34 लाख रु की हानि के 2/3 हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा पी एस यू को ₹ 8.89 लाख रु की अदायगी की गयी। कंपनी द्वारा पी एस यू द्वारा दायर दावे पर किसी प्रकार का लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षक द्वारा रिकॉर्डों की जांच पर पाया गया कि कंपनी द्वारा लिखित विवरण प्रस्तुत करने में 13 वर्षों का विलंब हुआ है। कंपनी के अ प्र नि को आदेश दिये गए कि इस चूक हेतु ज़िम्मेदारी तय की जाये। लेखा परीक्षक ने यह भी उल्लेख किया कि पचास वर्षों से मामले का निपटान नहीं किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि कंपनी ने मामले के शीघ्र निपटान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आगे यह भी उल्लेख किया गया

			कि पी एस यू का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा लगातार कंपनी से मामले पर अनुरोध किए जाते रहे हैं। कृपया यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पी एस यू एवं कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एक ही हैं। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि पी एस यू को कंपनी पर से दावा वापस लेने के लिए कहे बिना दावे की अदायगी के संबंध में कंपनी के अ प्र नि की टिप्पणियाँ मात्र , उनकी राय थी । ये टिप्पणियाँ लिखित विवरण के विलंब प्रस्तुति पर नहीं थी। यहाँ यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि जब कंपनी को दावा प्राप्त हुआ तो दावे की जांच एवं निपटान तक लिखित विवरण को लंबित रखा गया। इसे नोट में ही स्पष्ट कर दिया गया था। इसके अरीतिक्त संबन्धित मामले में कंपनी मात्र प्रतिवादी है। इस संबंध में नोट किया जाये कि मामले के निपटान हेतु कार्यवाही वादी द्वारा की जानी चाहिए। तथापि इस संबंध में हमारे अन्य मामलों का संचालन करने वाले वकील के जरिये हमें ज्ञात हुआ है कि इस मामले को चूक के

			कारण एक बार खारिज कर दिया गया था। आदेश की प्रति हेतु अनुरोध किया गया है। आगे, प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक ही शहर में वकीलों द्वारा कई मामलों में कंपनी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।तथापि इस चालू मामले में वकील पी एस यू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः इसके लिए कंपनी द्वारा अलग वकील नियुक्त किए गए। तत्पश्चात वकीलों के जरिये ही कंपनी द्वारा अलग वकीलों की नियुक्ति की गयी एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार हितों का टकराव नहीं है। उक्त स्पष्टीकरणों के आधार पर यह अनुरोध किया जाता है कि इस लेखा परीक्षा पैरा को रद्द करें। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**संक्षिप्त पैरा**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
18.	वर्ष 2020-21 के पैरा 4 के भाग II ख	एक मुश्त निपटान में कंपनी को हानि	कंपनी द्वारा एक निर्यातक के लिए सम्पूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण गारंटी (डबल्यू टी पी सी जी) जारी की गयी थी। 3 वर्षों के

		(2018-19 एवं 2019 – 20 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	पश्चात निर्यातक के ₹ 5.00 करोड़ रु की मूलधन राशि के लिए चूक किए जाने के कारण बैंक द्वारा दावा दायर किया गया। निर्यातक द्वारा ₹ 15.00 करोड़ रु के प्राथमिक प्रतिभूतियाँ , संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ एवं व्यक्तिगत गारंटियाँ रखी गयी थीं। कंपनी द्वारा 4.15 करोड़ रु की हानि को स्वीकार किया गया एवं बैंक के पास उपलब्ध उपलब्ध रक्षा के प्रतिशत के अनुसार बैंक को ₹ 2.76 करोड़ रु की अदायगी की गयी। निर्यातक ने बैंक से एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) हेतु संपर्क किया एवं ₹7,17,31,696/-. के कुल बकाए के एवज में ₹2.50 करोड़ रु के निपटान के लिए बैंक सहमत हो गया। एकमुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस)के पश्चात बैंक द्वारा कंपनी को , वसूली में उसके हिस्से के रूप में ₹82,09,000/- रु की राशि का डी डी अग्रेषित किया गया। लेखा परीक्षक द्वारा स्पष्टिकरण मांगा गया कि क्या बैंक द्वारा निर्यातक के एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के प्रस्ताव के अनुमोदन के पूर्व कंपनी की अनुमति

			प्राप्त की गयी थी , यदि हाँ तो संबन्धित दस्तावेज़ लेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाये। लेखा परीक्षक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ₹7.17 करोड़ रु के बदले ₹2.50 करोड़ रु के लिए एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के प्रस्ताव को स्वीकार करना कंपनी के वित्तीय हित के लिए सही निर्णय नहीं है जबकि उनके पास 7.34 करोड़ रु की प्राथमिक एवं समपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध है, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा परीक्षक का मत है कि कंपनी द्वारा चूकाधीन ₹5.00 करोड़ के पैकिंग ऋण (पी सी) पर अपात्र अग्रिमों को घटाकर ₹2,76,84,205 रु के दावे की अदायगी की गयी थी, अतः कंपनी द्वारा ₹2.50 करोड़ के ओ टी एस निपटान पर पहले ही प्राप्त राशि का समायोजन करने के उपरांत 63.06% की समान वसूली हिस्से की मांग की जानी चाहिए थी। अतः ₹72,14,000/-. की मांग की जानी थी। तथापि कंपनी द्वारा ₹2.50 करोड़ के 42.18% के रूप में ₹19,94,000/- की मांग की गयी , जिससे कंपनी को एक बड़ी राशि

			की हानि हुई। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। कंपनी द्वारा अभी तक राशि की वसूली नहीं की गयी है। उच्च अधिकारियों तक मामले को न ले जाने के कारण स्पष्ट करें। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार वसूली की गणना करने का फॉर्मूला है प्रदत्त दावा / कुल देयता * शुद्ध वसूली। अतः शाखा द्वारा वसूली में कंपनी के हिस्से की गणना कुल वसूली के आधार पर की गयी। बैंक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) प्रस्ताव को स्वीकार करने के पूर्व कंपनी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा कई अन्य घटकों जैसे ऋण पुनर्विन्यास न्यायाधिकरण (डी आर टी) से निपटान में विलंब, सम्पत्तियों के निपटान में व्यावहारिक कठिनाईयां आदि को ध्यान में रख कर एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) की मंज़ूरी दी गयी। शाखा द्वारा निरंतर मामले की निगरानी की जा रही है। उक्त के तुरंत बाद कोविड की दूसरी लहर से राज्य एवं हमारे कार्यालय प्रभावित हुए अतः शाखा

			कार्यालय द्वारा उतनी शीघ्रता से अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गयी जितनी जल्दी उसे की जानी चाहिए थी। तथापि अब हालांकि स्थिति सामान्य हो रही है , कंपनी की शाखा द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। कथित बैंक की शाखा का विलय मुख्य बैंक के साथ हो गया है एवं अब कंपनी की शाखा द्वारा बैंक की शाखा को वसूली में हमारे हिस्से के विषय में पत्र जारी किया गया है। कंपनी की शाखा द्वारा बैंक से उत्तर प्रतीक्षित है। मामले को बैंक के स्थानीय मुख्यालय के समक्ष भी रखा गया है। स्थानीय मुख्यालय से उत्तर प्रतीक्षित है। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**संक्षिप्त पैरा**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
19.	वर्ष 2020-21 के पैरा 4 के भाग II ख .	एक मुश्त निपटान में कंपनी को हानि (2018-19 एवं 2019 – 20 की अवधि के	कंपनी द्वारा एक निर्यातक के लिए सम्पूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण गारंटी (डबल्यू टी पी सी जी) जारी की गयी थी। बैंक के एक निर्यातक ग्राहक द्वारा ₹ 3,70,88,126/-. की

		लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	मूलधन राशि के चूक के कारण बैंक द्वारा दावा दायर किया गया। निर्यातक द्वारा ₹ 9.76 करोड़ रु के प्राथमिक प्रतिभूतियाँ , संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ एवं व्यक्तिगत गारंटियाँ रखी गयी थीं। कंपनी द्वारा ₹ 1,65,50,497/- की अदायगी की गयी। बैंक ने निर्यातक पर SARFAESI एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन वसूली तथा ₹383.86 लाख रु मूल्य की सांपार्श्विक संपत्ति पर भौतिक कब्जा करने हेतु ज़िला मेजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की। इस बीच बैंक द्वारा ₹ 1 करोड़ रु से अधिक एवं ₹ 5 करोड़ रु तक के एन पी ए वाले खातों के लिए " शताब्दी निपटान योजना " नामक एक मुश्त भुगतान निपटान योजना (ओ टी एस) आरंभ की गयी। बैंक के पत्र के अनुसार कुल बकाया ₹ 5,03,65,811.11 था। बैंक ने उल्लेख किया की यह खाता बैंक के योजना के अधीन निपटान करने योग्य है। योजना के अनुसार बैंक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) हेतु 68.38 प्रतिशत की राशि की

			गणना की गयी। कंपनी द्वारा अपने ईमेल के जरिये बैंक द्वारा किए जाने वाले ₹ 295.55 लाख रु की एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के निर्णय का विरोध जताया गया एवं सूचित किया गया कि जबकि बैंक के पास ₹ 383.86 लाख रु की परिसंपत्तियाँ उपलब्ध हैं तो कम राशि के एक मुश्त निपटान (ओ टी एस) के लिए स्वीकृति का क्या कारण है। अपने उत्तर में बैंक द्वारा सूचित किया गया कि " अशोध्य एवं हानि वाली आस्तियों के लिए शताब्दी निपटान योजना (सी एस एस डी एल) रनिंग लेजर में खाते में बकाया शेष राशि क्कों तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है यथा डी1 , डी2, एवं डी3 , जिसमें निपटान की जाने वाली सुरक्षित राशि कुल बकाया के 80% से 70% तक होती है एवं असुरक्षित राशि का हिस्सा अनुमानित 60% तक होता है एवं अतः अंतिम निपटान की जाने वाली राशि की गणना एन पी ए की कुल राशि के सुरक्षित एवं असुरक्षित राशि के योग से की जाती है।" अतः बैंक द्वारा ₹ 2,95,55,950.65 करोड़ को एक मुश्त

			निपटान (ओ टी एस) के रूप में स्वीकार किया गया है। कंपनी द्वारा एक मुश्त निपटान (ओ टी एस) प्रस्ताव को बकाया ₹ 3,61,04,443/- के शुद्ध मूलधन में प्रदत्त दावे के अनुपात के आधार पर ₹ 1,34,41,723.55 के उसके हिस्से की मांग करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। तथापि कंपनी को कुल ₹ 40,09,956.04 एवं ₹ 21,39,793 प्राप्त हो गए हैं। निर्यातक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) की पूर्व शर्त के रूप में राशि की अदायगी न किए जाने के कारण बैंक ने अपने ईमेल के जरिये सूचित किया कि एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) को रद्द कर दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया की कि शताब्दी निपटान योजना बैंक की एक योजना थी जो बैंक के एनपीए के ओटीएस निपटान के लिए थी इसलिए योजना के अधीन हानि को कंपनी द्वारा नहीं बैंक द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। साथ ही जब बैंक के पास मूल बकाया (₹3.61 करोड़) से अधिक संपार्श्विक प्रतिभूति (₹383.86

			लाख) हो एवं जिसमें संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए ज़िला मेजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हुआ हो ऐसी स्थिति में कम राशि (₹295.55 लाख) पर एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) के प्रस्ताव को स्वीकार करना सही नहीं है एवं यह कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं है। इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसके अलावा, बैंक से कम से कम ₹3,61,04,443/- की बकाया मूल राशि के लिए एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) पर बातचीत करनी चाहिए थी क्योंकि बैंक के पास 383.86 लाख रुपये की संपार्श्विक प्रतिभूति है, ताकि कंपनी को उसके द्वारा अदा की गयी पूर्ण दावा राशि प्राप्त हो सके। संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य से कम राशि के एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹31,08,774/- की हानि हुई है। प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि संपत्ति स्वीकृत सुविधाओं जैसे पैकिंग ऋण , पोतलदानोत्तर ऋण एवं सावधि ऋण आदि के लिए उपलब्ध कारवाई गयी एक सामान्य

			संपार्श्विक प्रतिभूति थी। बैंक काएक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव केवल पैकिंग ऋण के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण हानि के लिए था। भले ही बैंक ऋण संवितरण के लिए जमानत के रूप में संपार्श्विक लेते हैं, संपत्ति के परिसमापन / बिक्री की प्रक्रिया में समय लगता है तथा यह गहन प्रक्रिया होती है एवं बिक्री आय की वसूली बाहरी कारकों जैसे खरीदार की उपलब्धता, संकट कारक, बाजार की स्थिति आदि पर निर्भर करती है। इसलिए, नकदी को वापस लाने के लिए लंबी चौड़े कानूनी कार्यवाही के बजाय मामले के त्वरित निपटान को प्रोत्साहित करने हेतु विनियामक ढांचे के भीतर उधारदाताओं द्वारा एकमुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) आरंभ किया गया है। जल्द वसूली की प्रत्याशा में एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) को कम मूल्य पर स्वीकार करने की बैंक की कार्रवाई उस समय सबसे अच्छा व्यवहार्य विकल्प थी एवं तदनुसार कंपनी भी एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) के लिए सहमत हो गई थी। इसके अलावा, बैंक ने कहा कि एक मुश्त

			भुगतान निपटान (ओटीएस) अब विफल हो गया है एवं माननीय ऋण पुनर्विन्यास न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने बैंक को निपटान के लिए उपलब्ध गिरवी रखी संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है । असफल एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) में भी, कंपनी को पहले ही ₹ 61,49,749/- का अपना हिस्सा प्राप्त हो चुका है एवं आगे की वसूली या तो परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से अथवा नए निपटान के माध्यम से होने की संभावना है और इसलिए, कंपनी को कोई हानि नहीं हुई है। बैंक द्वारा कंपनी को सूचित किया गया है कि बैंक ने उधारकर्ता के एक अन्य एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि प्रस्तावित राशि बैंक की निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं कर रही थी। इसके अलावा बैंक द्वारा कंपनी को यह भी सूचित किया गया है कि आज तक बैंक ने संपत्ति का कब्जा नहीं लिया है। डीआरटी में कोविड -19 के कारण सुनवाई की अंतिम तिथि स्थगित कर दी गई थी। आज तक किसी अन्य स्रोत से

			कोई अन्य वसूली नहीं हुई है। कंपनी के भागीदारी के बिना उधारकर्ता को उधार देना बैंक एवं उधारकर्ता के बीच एक पारस्परिक अनुबंध है। तदनुसार, वसूली, यदि कोई हो, भी अनुबंध के आलोक में बैंक द्‌वारा निर्धारित की जाएगी। कंपनी द्‌वारा बैंक को प्रदान गयी आगे की रक्षा न केवल संपार्श्विक के आधार पर होगी बल्कि बैंक के साथ हमारे अनुभव एवं मजबूत बैंकिंग प्रणाली का आधार लेने के साथ-साथ उधारकर्ता पर बैंक द्‌वारा समग्र मूल्यांकन पर भी आधारित होगा। वास्तव में, संपार्श्विक प्रतिभूतियों को प्राप्त करना एवं निपटान केवल बैंक तथा उधारकर्ता बीच एवं एक बीमाकर्ता के रूप में कंपनी के बीच एक बीमाकर्ता के रूप में केवल निर्यात सुविधाओं के अधीन बकाया मूलधन तक सीमित होता है अन्यथा इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं होता है और न ही इसका निपटान पर कोई प्रभाव पड़ता है। हालांकि, किसी भी एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) के मामले में बैंक की ओर से निगम का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार, कंपनी के पास हमेशा

			एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव का मूल्यांकन करने एवं मामले की योग्यता के आधार पर कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का विकल्प उपलब्ध रहता है। समग्र रूप से यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार लागू किया गया कोई भी एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) , बकाया राशि के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करता है जो बैंक को एनपीए में वसूली को बढ़ावा देने में सहायक होता है एवं इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों की वसूली भी संभव होगी। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के साथ, कंपनी द्वारा सीएजी से पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया । दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**संक्षिप्त पैरा**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
20.	वर्ष 2020-21 के पैरा 4 के भाग II ख	कंपनी द्वारा पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी की गैरअदायगी	लेखापरीक्षक द्वारा पाया गया कि कंपनी भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय

		(2018-19 एवं 2019 – 20 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	निर्यातकों एवं बैंकों को निर्यात ऋण बीमा रक्षा प्रदान करती है। कंपनी सामान्य बीमा श्रेणी (विविध) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत है। कंपनी जोखिम प्रबंधन के उपाय के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनियों से पुनर्बीमा सहायता प्राप्त करती है। कंपनी द्वारा बीमांकित किए गए कारोबार का एक हिस्सा पुनर्बीमा कंपनियों के साथ साझा किया जाता है (जिसे बीमा कारोबार को सौंपना कहा जाता है)। पुनर्बीमाकर्ता कंपनी द्वारा अर्जित प्रीमियम में आनुपातिक हिस्सा प्राप्त किया जाता है अथवा वे प्रदान किए गए पुनर्बीमा के प्रकार के आधार पर एक निश्चित दर उद्धृत किया जाता है। प्रीमियम का एक हिस्सा, जिसे सीडिंग कमीशन (रिइंश्योरेंस कमीशन) कहा जाता है, कंपनी द्वारा धारित किया जाता है। सौंपा गया कमीशन , कंपनी एवं पुनर्बीमाकर्ता के बीच प्रशासनिक व्ययों को को साझा करने के लिए होता है। जुलाई 2017 में जीएसटी शासन की स्थापना से लेकर मार्च 2021 तक कंपनी द्वारा प्राप्त

			कुल पुनर्बीमा कमीशन की राशि ₹191.39 करोड़ है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा निर्यात ऋण बीमा से प्राप्त प्रीमियम को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट (जून 2017) दी गई है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी से भी छूट (जनवरी 2018) दी गई थी। इसके अलावा, सेवा कर व्यवस्था के अधीन पुनर्बीमा सीडिंग कमीशन को सेवा कर के दायरे से विशेष रूप से छूट दी गई थी (अप्रैल 2010)। हालांकि, जीएसटी प्रशासन के अधीन पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी की प्रयोज्यता को आज तक विशेष रूप से छूट प्रदान नहीं की गई है। लेखापरीक्षक द्वारा पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी से संबंधित निम्नानुसार कंपनी की प्रथा को नोट किया ; कंपनी द्वारा जुलाई 2017 में जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के बाद से प्राप्त पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कंपनी द्वारा पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी की प्रयोज्यता के मुद्दे पर जीएसटी

			सलाहकार/विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउंटेंट से कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त किए बिना ही इस प्रथा को अपनाया गया है। जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में किसी विशेष छूट न होने के बावजूद, कंपनी ने पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी का भुगतान न करने की अपनी प्रथा को बनाए रखा एवं आज तक उसे जारी रखा है, कंपनी द्वारा अपनाई गयी इस प्रथा का कारण, पूर्ववर्ती सेवा कर व्यवस्था के अधीन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्बीमा सेवा के लिए प्राप्त पुनर्बीमा कमीशन को सेवा कर के दायरे से मुक्त रखा जाना। हालांकि, पूर्ववर्ती सेवा कर व्यवस्था के दायरे से किसी सेवा की छूट का मतलब यह नहीं है कि संबन्धित सेवा स्वतः जीएसटी प्रशासन के अधीन भी छूट के लिए पात्र होगी एवं आगे निर्देश दिये गए की जीएसटी परिषद से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। यह तथ्य कि कंपनी द्वारा इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की गयी पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान न करने की कंपनी की प्रथा का

			कोई अन्य औचित्य नहीं है। कंपनी द्वारा वाणिज्य विभाग से पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ताओं को भुगतान किए गए सीडिंग कमीशन पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अनुरोध किया। पाया गया कि सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऐसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने की सलाह दिए जाने के उपरांत ही ही कंपनी ने स्पष्टीकरण मांगा गया अतः , कंपनी ने जुलाई 2017 में जीएसटी प्रशासन की स्थापना के बाद से 4 वर्षों की अवधि के दौरान जीएसटी अधिकारियों से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया एवं बिना किसी स्पष्टीकरण/छूट के पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने की प्रथा को जारी रखा। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि कंपनी जुलाई 2017 में जीएसटी प्रशासन की स्थापना के पश्चात अपनी सभी जीएसटी अनिवार्यताओं का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण अवलोकन के वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त

			वर्ष 2020-21 तक अपना जीएसटी लेखा परीक्षा पूर्ण की गयी है। कंपनी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए संबन्धित प्रश्न के लिए 27.10.2021 को एक जीएसटी सलाहकार / सनदी लेखकर से एक राय ली गयी है। परामर्श की राय दर्शाती है है कि जी एस टी के अधीन सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन कर के अधीन नहीं आता है। साधारण बीमा निगम (जीआईसी), नोडल एजेंसी द्वारा पहले ही इस मुद्दे को उठाया गया है एवं कंपनी द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ताओं को भुगतान किए गए सीडिंग कमीशन पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग से अलग से अनुरोध किया गया है (दिसंबर 2021) । कंपनी द्वारा वित्त मंत्रालय से पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए पुनर्बीमा सीडिंग कमीशन पर जीएसटी प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अपने मूल मंत्रालय के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। चूंकि सेवा कर व्यवस्था के दौरान सेवा कर की प्रयोज्यता

			को माफ कर दिया गया था एवं सामान्य बीमा की नोडल एजेंसी द्वारा स्पष्टीकरण के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही थी इस कारण कंपनी सीडिंग कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थी। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	**लेखापरीक्षा पैरा का नाम**	**संक्षिप्त पैरा**	**रिपोर्टिंग स्थिति**
21.	वर्ष 2020-21 के पैरा 2 के भाग II ख	कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब (2020-21 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	ग्राम गुंडावली, एम.वी. रोड अंधेरी (पूर्व) मुंबई में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ टर्न की आधार पर कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय के विनिर्मान हेतु (जून 2016) को समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को ₹111.24 करोड़ की अपनी प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति से अवगत कराया (जून 2016) गया। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मेसर्स

			सैम इंडिया बिल्ट वेल प्रा लि को कंपनी के कार्यालय भवन के निर्माण का ठेका सौंपा गया (फरवरी 2017)। समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) की शर्त 9 के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने अथवा परियोजना आर्किटेक्ट द्वारा संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से 26 महीनों , इसमें से जो भी बाद में हो , के भीतर कार्य को पूरा करना था। वर्तमान मामले में, फरवरी 2017 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य सौंपे जाने से 26 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात कार्य का मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था। तथापि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारानिर्माण कार्य आज तक (जनवरी 2022) पूरा नहीं किया गया है। । कंपनी द्वारा दिसंबर 2021 तक सीपीडब्ल्यूडी को ₹111.24 करोड़ की राशि जारी की गयी है। कंपनी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार, कार्य को पूर्ण करने में विलंब के लिए सीपीडब्ल्यूडी से दंड/क्षति की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनी द्वारा एक्सप्रेस

			टावर्स एवं नरीमन पॉइंट पर दलालल हाउस में परिसरों को किराये पर लिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए उक्त परिसरों के लिए कुल ₹ 7.98 करोड़ की किराये की अदायगी की गयी है। अतः सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने में अत्यधिक विलंब के कारण, कंपनी को किराए के परिसर के किराये हेतु 7.98 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ रहा है। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि विलंब का मुख्य कारण, विधिवत पुनरीक्षित आईआईटी वास्तुकला, संरचनात्मक, सांबोधिक ड्राइंग, कोविड 19 स्थिति एवं डेटा सेंटर के स्थान को स्थानांतरित करना था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आवश्यक माइलस्टोन की उपलब्धि में विलंब हेतु ठेकेदार की 284.64 लाख रुपये की राशि रोक दी गयी है। सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है एवं अंतिम रूप से फिनिशिंग का काम प्रगति पर है। एमसीजीएम से परियोजना के लिए आधिपत्य प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है एवं कुछ प्रमुख ओसी अनुपालन

			(जैसे संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र, लिफ्ट प्रमाणपत्र, एमसीजीएम को सेट बैक लौटाना , नगरपालिका लेन के साथ सीवरेज कनेक्शन, कैरेज प्रवेश, जीवीके सत्यापन, परियोजना के लिए वाटर प्रूफिंग पॉन्ड टेस्ट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन कमेंट, ड्रेनेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्मीकल्चर बिन्स, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, स्मोक टेस्ट, जीरो वेस्ट यू/टी आदि) प्राप्त किए जा चुके हैं। हालाँकि, कुछ अन्य ओ सी अनुपालन शेष हैं जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), उद्यान अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) आदि प्रक्रियाधीन हैं एवं ओसी अनुपालन प्राप्त करने में एक - दो माहों का समय लग सकता है। एमसीजीएम से उक्त प्राप्त करने के पश्चात कार्यालय के स्थानांतरण के लिए अन्य वैधानिक अनुपालन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उक्त को देखते हुए कंपनी सीएजी से अनुरोध करती है कि कृपया विषय पैरा को रद्द करें । दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र सं	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	संक्षिप्त पैरा	रिपोर्टिंग स्थिति
22.	वर्ष 2020-21 के पैरा 3 के भाग II ख	कंपनी द्वारा प्रदत्त दावों की वसूली की गैर निगरानी। (2020-21 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षक द्वारा पाया गया कि दावों की प्रक्रिया के मास्टर मैनुअल के अनुसार, कंपनी पॉलिसीधारकों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर कुछ मामलों में स्वयं वसूली कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा, अन्य मामलों में, कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को ऋण वसूलीकर्ता एजेंट के माध्यम से वसूली हेतु उचित कार्रवाई करने एवं एजेंट के सलाह पर खरीदार के विरुद्ध दावा दायर करने की सलाह दी जाएगी। जब भी किसी मामले दावे की राशि की वसूली की जाती है तब वसूल की गयी राशि को कंपनी के साथ उसी अनुपात में साझा किया जाएगा जिस अनुपान में हानि का वहन किया गया था। लेखा परीक्षक द्वारा पाया गया कि दिसंबर 2021 तक पॉलिसी एवं ईसीआईबी व्यवसाय में वसूली मात्र 1296.23 करोड़ रुपये की रही जबकि दावे की कुल अदायगी 11730.87 करोड़ रु की रही। आगे यह भी पाया गया कि दिसंबर 2021 तक पॉलिसी

			खंड में वसूली केवल 5.15 प्रतिशत रही जबकि ईसीआईबी खंड में वसूली 12.66 प्रतिशत रही। वस्तुतः दिसंबर 2021 तक ₹ 10423.54 करोड़ रु की वसूलियाँ लंबित थी, कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों की वसूली की प्रक्रिया कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों के अनुरूप नहीं है। लेखापरीक्षक द्वारा आगे कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों पर वसूली प्रयासों की प्रक्रिया के संबंध में निम्न पाया गया: कंपनी के वसूली के प्रयास मुख्य रूप से पॉलिसी दस्तावेजों/ पॉलिसीधारक के लिए ईसीआईबी बांड एवं दावा प्रक्रिया के लिए तैयार कंपनी के मास्टर मैनुअल में दर्शाई गई कार्रवाइयों के आधार पर संचालित किए जाते हैं। तथापि, यह पाया गया कि कंपनी द्वारा निपटाए गए दावों की वसूली के साथ-साथ पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि को साझा करने के लिए शाखा/प्रधान कार्यालय स्तर पर अपनाई जाने वाली किसी प्रकार की मानक संचालन प्रक्रिया निर्मित नहीं की गयी है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा बैंकों/पॉलिसीधारकों के नैतिक

			जोखिम को कम करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा हानि की वसूली के लिए नियमित रूप से निरंतर उचित प्रयास किए जा रहे हैं, पर एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित नहीं की गयी है। कंपनी की शाखाओं में स्वतंत्र वसूली विभाग नहीं है। आगे, शाखा स्तर पर दावे का निपटान करने वाला अधिकारी ही वसूली कार्य एवं निर्यातक, ऋण वसूलीकर्ता एजेंसी एवं बैंकों के साथ समन्वय हेतु जिम्मेदार है। अतः पॉलिसीधारकों, बैंकों एवं विदेशों में स्थित चूककर्ता ख़रीदारों से वसूली हेतु पर्याप्त एवं उचित प्रयास करने के लिए न तो शाखा स्तर पर वसूली हेतु किसी स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गयी है व न ही कंपनी की शाखाओं में उचित श्रम बल ही प्रदान किया गया है। कंपनी की शाखाओं की नवीनतम निरीक्षण / आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टों के अनुसार , इन शाखाओं में वसूली के संबंध में की जाने वाली टिप्पणियों में मात्र यह दर्शाया गया है कि इस प्रकार की अवधि के दौरान वसूल की गयी राशि ,

			शाखाओं द्वारा भेजे गए वसूली अनुस्मारक, इस प्रकार की वसूलियों के लिए नोटों की तैयारी एवं प्रक्रिया का ही उल्लेख मिलता है। तथापि इन शाखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शाखा स्तर पर वसूलियों की प्रयाप्तता एवं प्रभावपूर्णता पर किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया गया है। कंपनी की शाखाएं उन निर्यातकों एवं बैंकरों को ईमेल/पत्र भेज रही थीं जिन्हें दावों का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा उन निर्यातकों एवं बैंकों का भी दौरा किया गया ताकि भुगतान किए गए दावों पर की गयी वसूली पर नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सके। लेखा परीक्षक द्वारा नमूना आधार पर 10 दावों के वसूली आंकड़ों की जांच की गयी जिसमें यह पाया गया कि सात दावों में बैंकों/पॉलिसीधारकों द्वारा की गयी वसूली की तारीख उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, छह दावों में, कंपनी द्वारा यह कहा गया कि बैंकों द्वारा तारीख प्रदान नहीं की गई है। अतः ज्ञात होता है कि कंपनी द्वारा किसी प्रकार की निगरानी तंत्र को स्थापित नहीं

			किया है जिसके अधीन चूककर्ता खरीदारों / परिसमापकों / प्रशासनों / एजेंसियों द्वारा सीधे पॉलिसीधारकों / बैंकों को प्रेषित वसूली के विषय में स्वचालित रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी किसी व्यवस्था के अभाव में, कंपनी यह आकलन करने की स्थिति में नहीं होगी कि संबंधित पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की वसूली की गई है अथवा नहीं एवं यह भी मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं होगी कि पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा प्राप्त वसूली, यदि कोई हो तो कंपनी के साथ समय पर साझा की जाती है। अतः कंपनी द्वारा स्थापित वसूली तंत्र, बैंकों/पॉलिसीधारकों के न्यूनतम नैतिक जोखिम सुनिश्चित करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा हानि की राशि की वसूली के लिए नियमित आधार पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं अथवा नहीं, के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी को श्रम बल के समेकित प्रयासों को बढ़ाकर वसूली हेतु अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में सरकार से

			अतिरिक्त सहायता के बिना इन प्रयासों को जारी रखा जा सके। लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया कि एक उपयुक्त ट्रैकिंग प्रणाली के साथ कंपनी यह आकलन करने की स्थिति में होगी कि क्या संबंधित पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा वसूली की गई है अथवा नहीं एवं इसके जरिये यह मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा प्राप्त वसूली, यदि कोई हो, तो, कंपनी को समय पर प्रेषित की जाती है। वसूली की स्थिति एवं शाखा स्तर पर वसूलियों की पर्याप्तता एवं प्रभावपूर्णता पर दी गयी सलाह को आंतरिक लेखापरीक्षा के सीमा क्षेत्र में शामिल किया जाये एवं विकसित कार्यप्रणाली को लेखा लेखा परीक्षा विभाग के साथ साझा किया जाये। इस पर प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया कि पॉलिसी के अधीन चूक की अवस्था यथा यदि खरीदार द्वारा देय तारीख को निर्यातक को अदायगी न की गयी हो तो पॉलिसी के अधीन दिशानिर्देशों के आधार पर पॉलिसी धारक द्वारा कंपनी इसकी सूचना दी जाती है। उसके आधार पर कंपनी द्वारा पॉलिसी

			धारक को सलाह दी जाती है कि कंपनी द्वारा सूचीबद्ध ऋण वसूलीकर्ता एजेंसी (डीसीए) के माध्यम से खरीदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत अनुसार वसूली कार्रवाई की जाए अथवा कानूनी कार्रवाई जैसा भी मामला हो, की जाये। पॉलिसीधारक के पास पैनल में शामिल डीसीए अथवा कानूनी कार्रवाई से स्वतंत्र होकर स्वयं कोई कार्रवाई करने का विकल्प उपलब्ध है। पॉलिसीधारक को खरीदार के विरुद्ध वसूली कार्रवाई आरंभ करने के लिए डीसीए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं डीसीए द्वारा पॉलिसी धारक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद वसूली कार्रवाई आरंभ की जाती है एवं डीसीए द्वारा समय-समय पर पॉलिसीधारक एवं कंपनी को ईमेल के माध्यम से स्थिति की सूचना दी जाती है। यदि खरीदार सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार नहीं हो तो कभी-कभी डीसीए द्वारा कानूनी कार्रवाई की भी सलाह दी जाती है। डीसीए द्वारा पॉलिसी धारक एवं कंपनी को कानूनी प्रक्रिया की संभावित लागत एवं संभावना के विषय

			में भी सलाह दी जाती है। संभावित लागतों , जीतने की संभावना एवं किसी भी डिक्री को लागू करने की संभावना के आधार पर, पॉलिसी धारक द्वारा कानूनी कार्यवाही के विकल्प का का चुनाव किया जाता है। हमारे अनुभव से यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में हानि एवं दावों के निपटारे की तुलना में कानूनी व्यय बहुत अधिक होता है। यह भी देखा गया है कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में कुछ मामलों में ऐसे खरीदार जो राजकोषीय दबाव के कारण दिवालिया हो गए थे एवं इनके संबंध में वसूली की संभावना न्यूनतम है। ईसीआईबी के अधीन बैंकरों द्वारा निर्यातक के विरुद्ध वसूली कार्रवाई तब आरंभ की जाती है जब बैंकों की मंजूरी शर्तों, आंतरिक दिशानिर्देशों और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यातक को जारी अग्रिम चूकाधीन हो जाते हैं। उधारकर्ता-निर्यातक का दिवालिया होना, निर्यात आदेशों को निष्पादित करने में निर्यातक की विफलता एवं देय राशि को अदा करने स्थानीय स्रोतों की असमर्थता अथवा खरीदार से देय राशि

			की अप्राप्ति एवं बकाया राशि की अदायगी में में असमर्थता आदि चूक का कारण साबित हो सकते हैं। सामान्यतया बैंकों द्वारा हेतु SARFAESI के अधीन वसूली की कार्यवाही की जाती है परंतु हाल ही में बैंकों द्वारा आईबीसी के अधीन भी वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किया जा रहा है। बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाले वसूली के अन्य तरीकों में भ रि बैं के दिशानिर्देशों के आधार पर एकमुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) एवं ए आर सी को अशोध्य ऋणों के पोर्टफोलियो की बिक्री के जरिये ऋणों का प्रतिभूतिकरण भी शामिल हैं। किसी भी पाद्धति से निधियों की प्राप्ति पर प्राप्त हुई राशि का कंपनी के साथ उसी अनुपात में साझा किया जाता है जिस अनुपात में दावे का निपटान किया गया था। आम तौर पर शाखाओं में दावे पर प्रक्रिया करने करने वाला अधिकारी वसूली प्रक्रिया भी करता है। चूंकि भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों की संख्या कम होती है, वहाँ उसी अधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाती है जिस अधिकारी द्वारा दावे पर प्रक्रिया की गयी थी। एवं जहां कहीं

			भी भुगतान किए गए दावे के मामले अधिक हैं, अन्य कार्यों के अलावा, वसूली अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक अतिरिक्त अधिकारी तैनात किया गया है । अधिकारी द्वारा निर्यातक एवं बैंकों को नियमित रूप से पत्र भेजा जाता है एवं भुगतान किए गए दावे की वसूली के लिए प्राप्त वसूली का विवरण साझा करने का अनुरोध किया जाता है तथा निर्यातक अथवा बैंकर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वसूली के हिस्से की गणना कर , सहायक दस्तावेजों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है। उसके द्वारा ईसीआईबी के अधीन निर्यातक एवं पॉलिसी के अधीन खरीदार से वसूली प्राप्ति हेतु डीसीए के साथ एवं निर्यातक के बैंक के साथ संपर्क किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र अधिकारी (एफ ओ) के साथ प्रदत्त एवं वसूली के लिए लंबित दावों की सूची को साझा किया जाता है एवं एफ ओ द्वारा निर्यातक एवं बैंक के साथ वसूली हेतु निरंतर पत्राचार किया जाता है। लेखा परीक्षक (सीएजी) के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को शाखा स्तर पर वसूलियों की पर्याप्तता

			एवं प्रभावपूर्णता संबंधी मदों को अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए निर्देश दिये जाएँगे। पॉलिसी एवं ईसीआईबी के अधीन क्रमशः पॉलिसी धारक एवं बैंक को दावे की अदायगी के पश्चात , कंपनी की शाखा द्वारा नियमित रूप से वसूली की नवीनतम स्थिति की जानकारी हेतु पॉलिसीधारक एवं बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है एवं पॉलिसीधारक अथवा बैंक से किसी भी प्रकार की वसूली प्रस्ताव की प्राप्ति पर एक अधिकारी द्वारा वसूली में कंपनी के हिस्से की गणना की जाती है एवं उन्हें तत्काल कंपनी के साथ उसके हिस्से को तत्काल साझा करने हेतु मांग की जाती है। जहां तक ट्रैकिंग सिस्टम आदि का संबंध है, पॉलिसी के अधीन वसूली अधिकतर डीसीए के माध्यम से प्राप्त होती है जैसा कि उपरयुक्त पैरा में उल्लेख किया गया है। डीसीए द्वारा कंपनी को वसूली की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है एवं इसकी प्राप्ति पर एक अधिकारी द्वारा पॉलिसी धारक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है एवं वसूली में से कंपनी के हिस्से

			की मांग कर उसे वसूला जाता है। बैंक से वसूली के संबंध में, बैंक के पास देय राशि की वसूली के लिए अपना तंत्र है, एवं वसूली की प्राप्ति पर कंपनी द्वारा बैंक को जारी किए गए ईसीआईबी रक्षा के निबंधनों एवं के अनुसार कंपनी को उसका हिस्सा प्राप्त हो जाता है। बैंक द्वारा वसूली की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर वसूली में से कंपनी का हिस्सा कंपनी को अदा करना होता है अन्यथा, वसूल की गयी राशि पर सामान्य बैंक ब्याज लगाया जाएगा। उक्त के आधार पर कंपनी सीएजी से अनुरोध करती है कि कृपया विषय पैरा को को रद्द कर दें। 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

कंपनी के पास मुंबई में प्रधान कार्यालय में स्थित एक आरटीआई कक्ष है जिसका नेतृत्व एक सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है । मुंबई में प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) का नेतृत्व एक उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति पर आवेदनों का उत्तर आरटीआई अधिनियम के अधीन अनुमत समय सीमा के भीतर दिया जाता है। संचालित आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अद्यतित की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 184 आवेदनों पर कार्यवाही की गयी। कंपनी द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक V

दिनांक 31.03.2022 तक कंपनी की सेवा में सेवारत दिव्यांग कर्मियों का प्रतिनिधित्व

समूह	ईसीजीसी में दिव्यांग व्यक्तियों के आंकड़े				कुल
	दृ बा	श्र बा	अ वि	चौथी श्रेणी	दृ बा + श्र बा + अ वि + चौथी श्रेणी
क	3	1	5	0	9
ख	2	3	2	1	8
ग	0	0	0	0	0
घ	1	0	0	0	1
कुल	6	4	7	1	18

दृ बा	दृष्टि बाधित
श्र बा	श्रव्य बाधित
अ वि	अस्थि विकलांगता
4थी श्रेणी	(i) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एसएलडी) अथवा दृ बा, श्र बा, अ वि अथवा चौथी श्रेणी सहित एकाधिक अक्षमता

अनुलग्नक VI

वर्ष 2021-22 में भर्ती से संबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व

ईसीजीसी लिमिटेड , समूह	नियुक्त कुल कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जन जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अ पि व के कर्मियों की सं	नियुक्त आ पि व के कर्मियों की सं
समूह क	0	0	0	0	0
समूह ख	59	9	3	16	5
समूह ग	6	0	0	1	0
समूह घ	0	0	0	0	0
कुल	65	9	3	17	5

नोट: (i) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान समूह ख संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई एवं 59 उम्मीदवारों की परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती की गयी।

(ii) समूह ग के अधीन अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना के के अधीन छह उम्मीदवारों की भर्ती की गयी।

अनुलग्नक VII

<u>वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गका प्रतिनिधित्व</u>

समूह	कुल कर्मी	कुल अनु जा के कर्मी	अनु जा के कर्मियों का %	कुल अनु जन जा के कर्मी	अनु जन जा के कर्मियों का %	कुल अ पि व के कर्मी	अ पि व के कर्मियों का %
समूह क	261	47	18%	19	7%	61	23%
समूह ख	283	51	18%	20	7%	74	26%
समूह ग	20	3	15%	3	15%	2	10%
समूह घ	5	1	20%	0	0%	1	20%
कुल	569	102	18%	42	7%	138	24%

कारोबार निष्पादन रेखाचित्र

Business Performance Graphs

अनुभाग के आधार पर सकल प्रीमियम प्राप्ति(₹ करोड़ में)

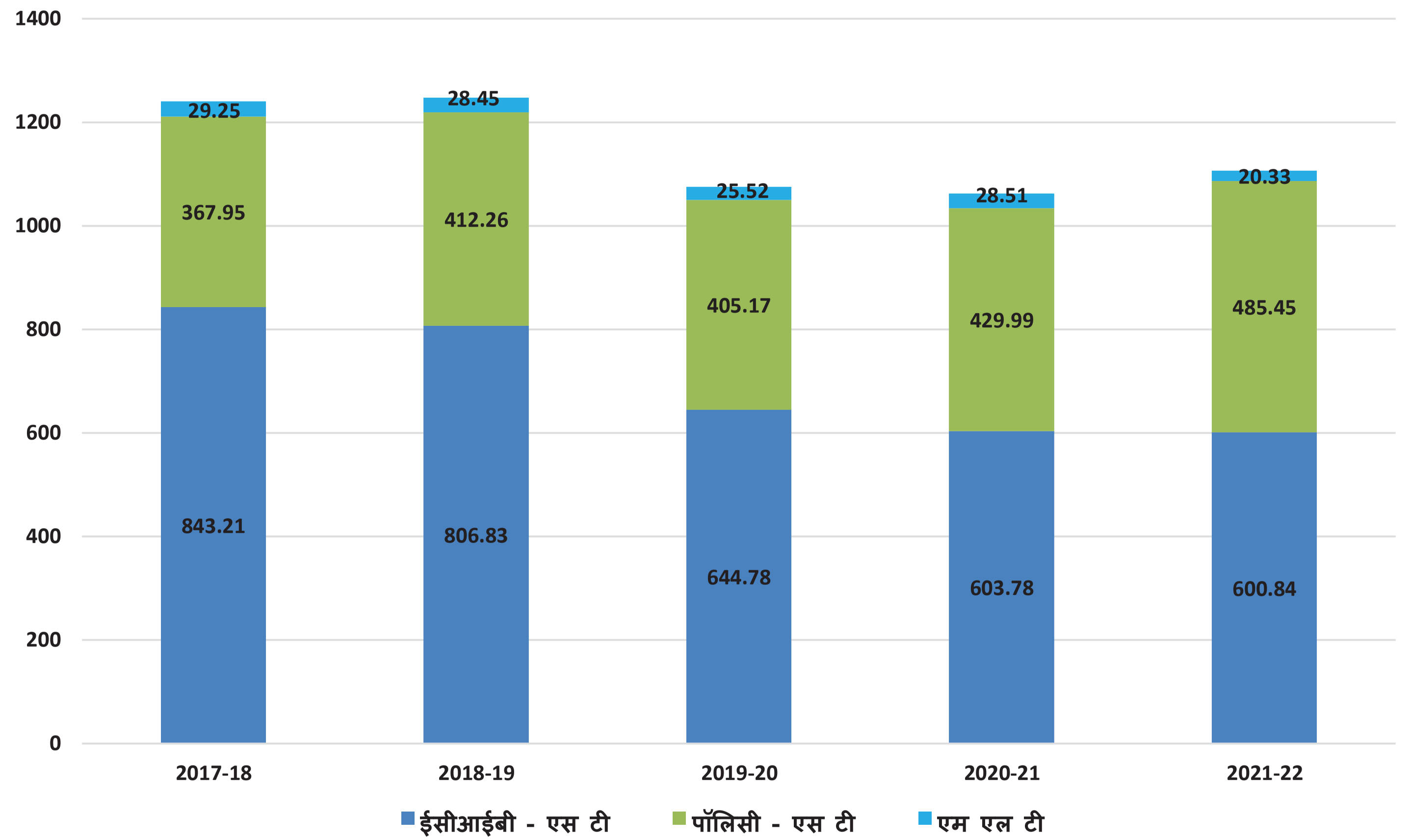

ईसीआईबी: बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एम एल टी : मध्यम एवं लघु अवधि; एस टी: लघु अवधि

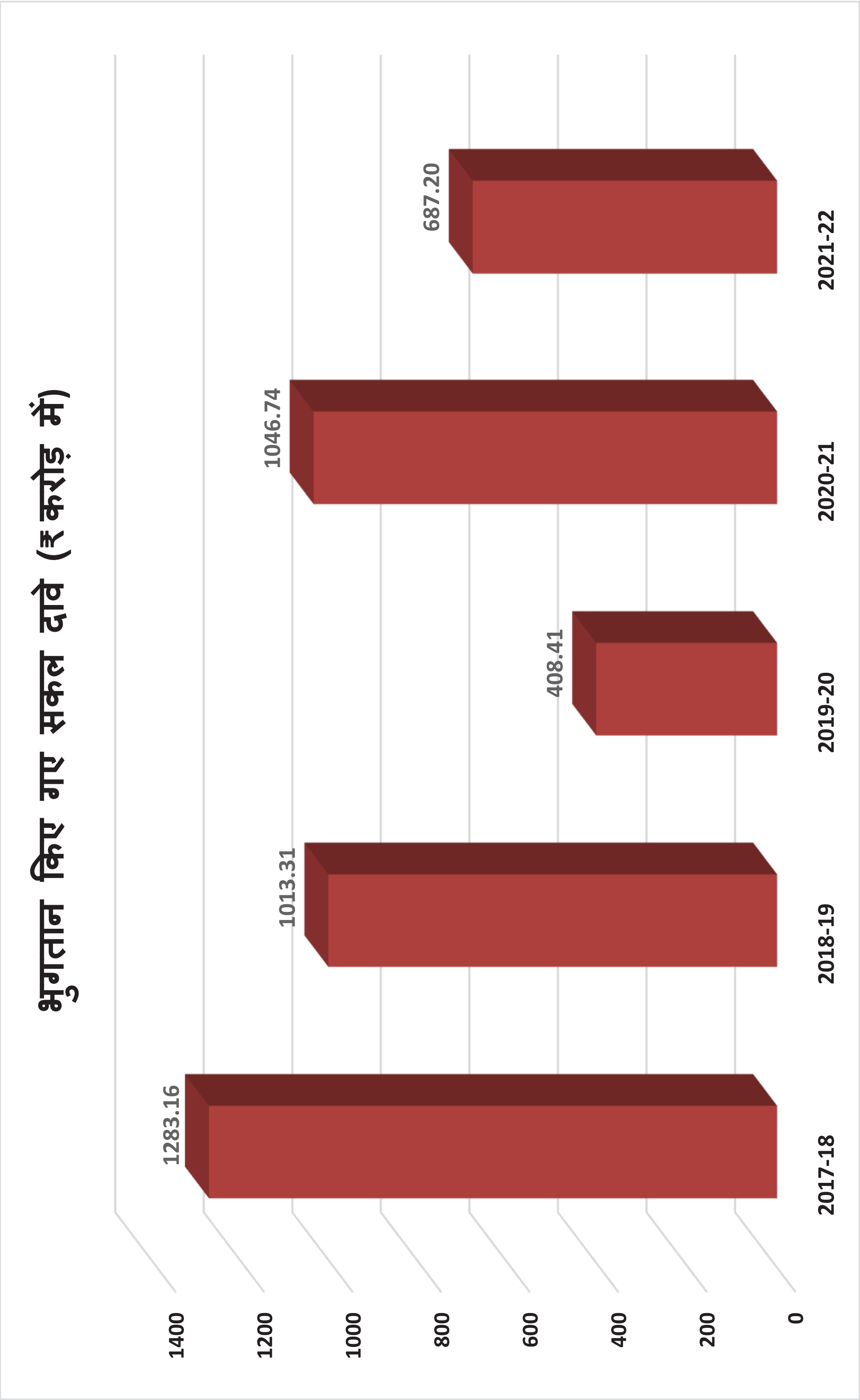
भुगतान किए गए सकल दावे (₹ करोड़ में)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1283.16
1013.31
408.41
1046.74
687.20
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

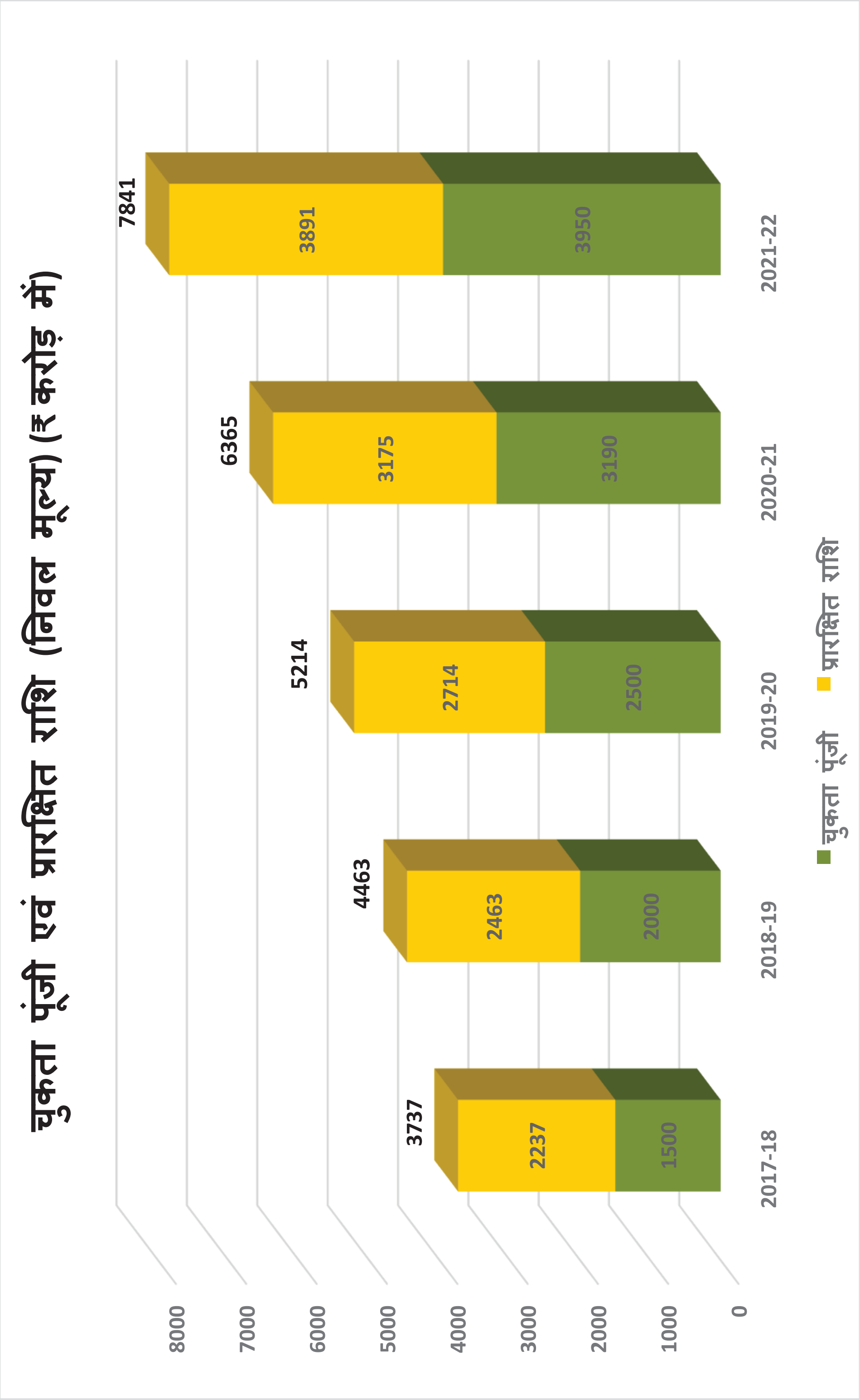
चुकता पूंजी एवं प्रारक्षित राशि (निवल मूल्य) (₹ करोड़ में)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
3737
2237
1500
4463
2463
2000
5214
2714
2500
6365
3175
3190
7841
3891
3950
चुकता पूंजी
प्रारक्षित राशि

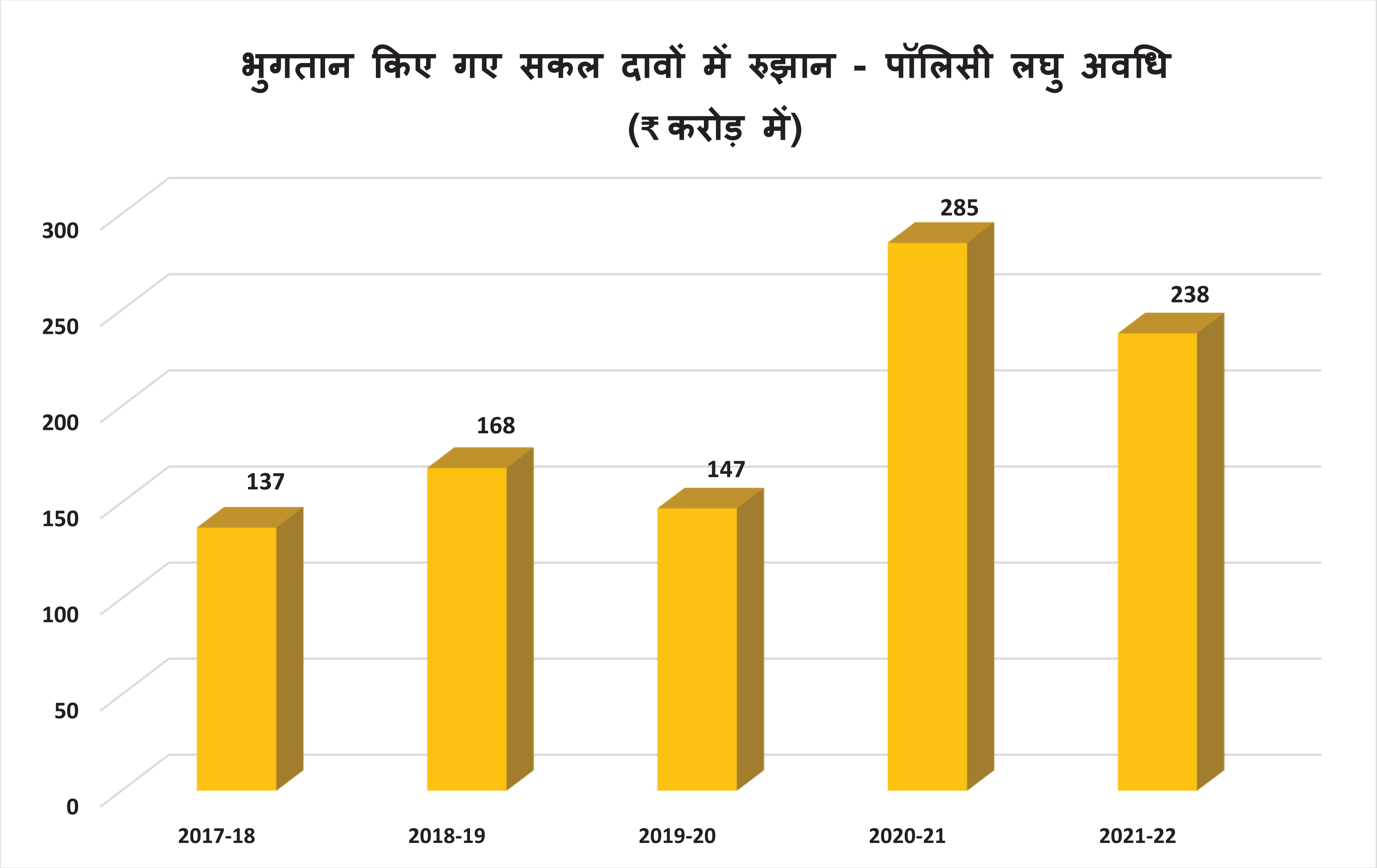
भुगतान किए गए सकल दावों में रुझान - पॉलिसी लघु अवधि
(₹ करोड़ में)
300
250
200
150
100
50
0
137
168
147
285
238
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

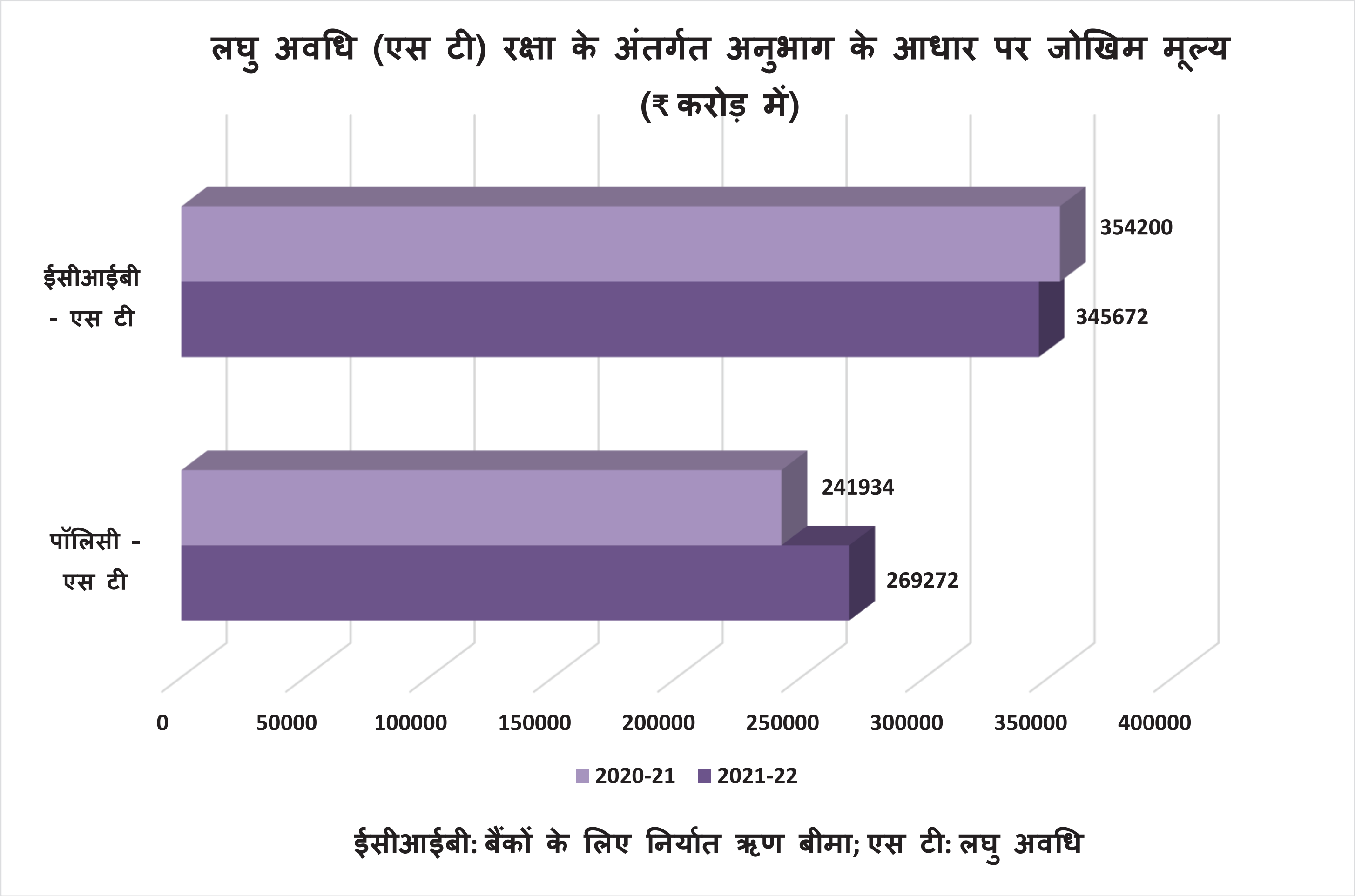

लघु अवधि (एस टी) रक्षा के अंतर्गत अनुभाग के आधार पर जोखिम मूल्य
(₹ करोड़ में)
ईसीआईबी - एस टी
पॉलिसी - एस टी
354200
345672
241934
269272
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2020-21
2021-22
ईसीआईबी: बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एस टी: लघु अवधि

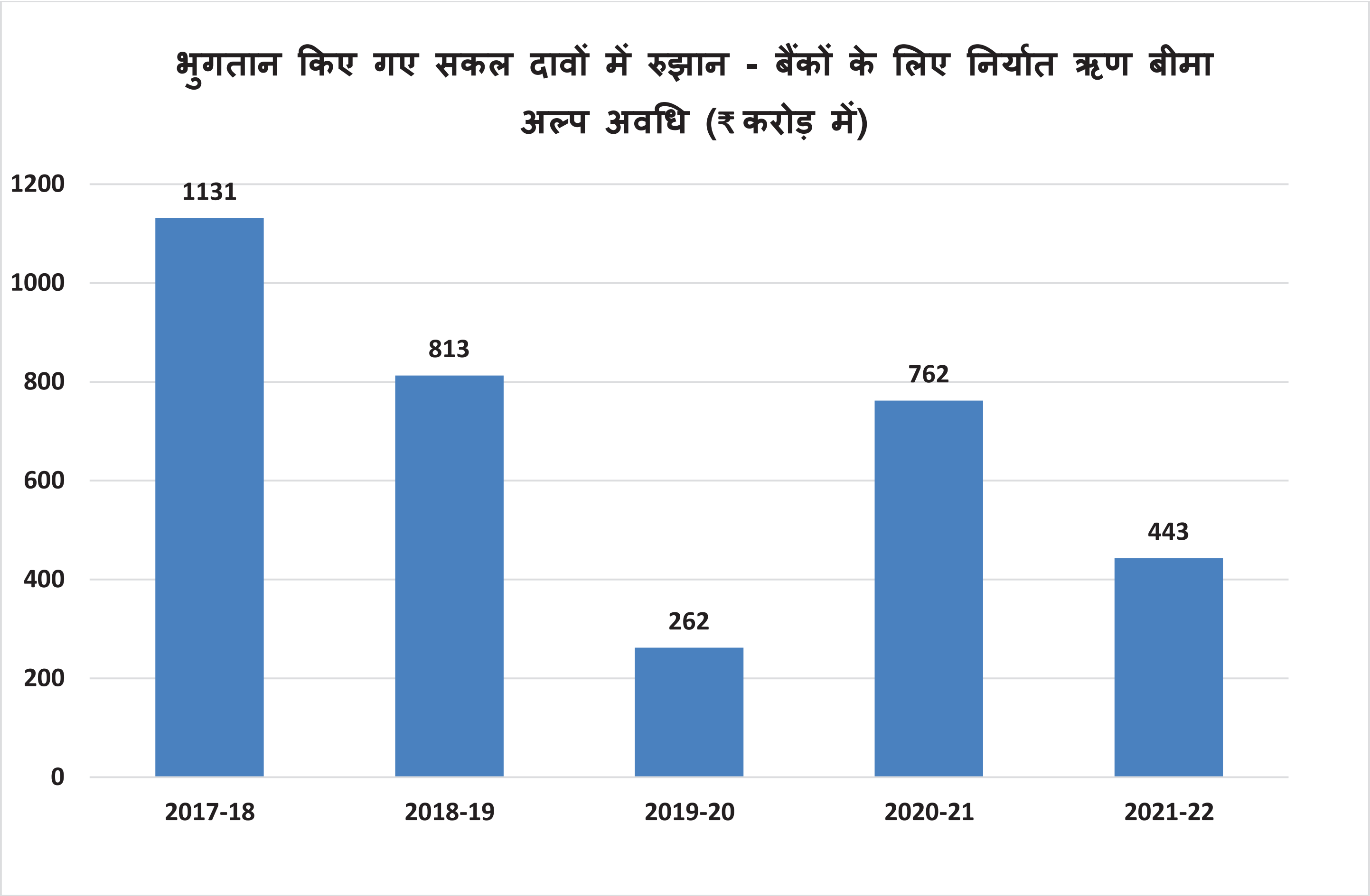
भुगतान किए गए सकल दावों में रुझान - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा
अल्प अवधि (₹ करोड़ में)
1200
1000
800
600
400
200
0
1131
813
262
762
443
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

2021-22 के दौरान रक्षित जोखिम का मूल्य

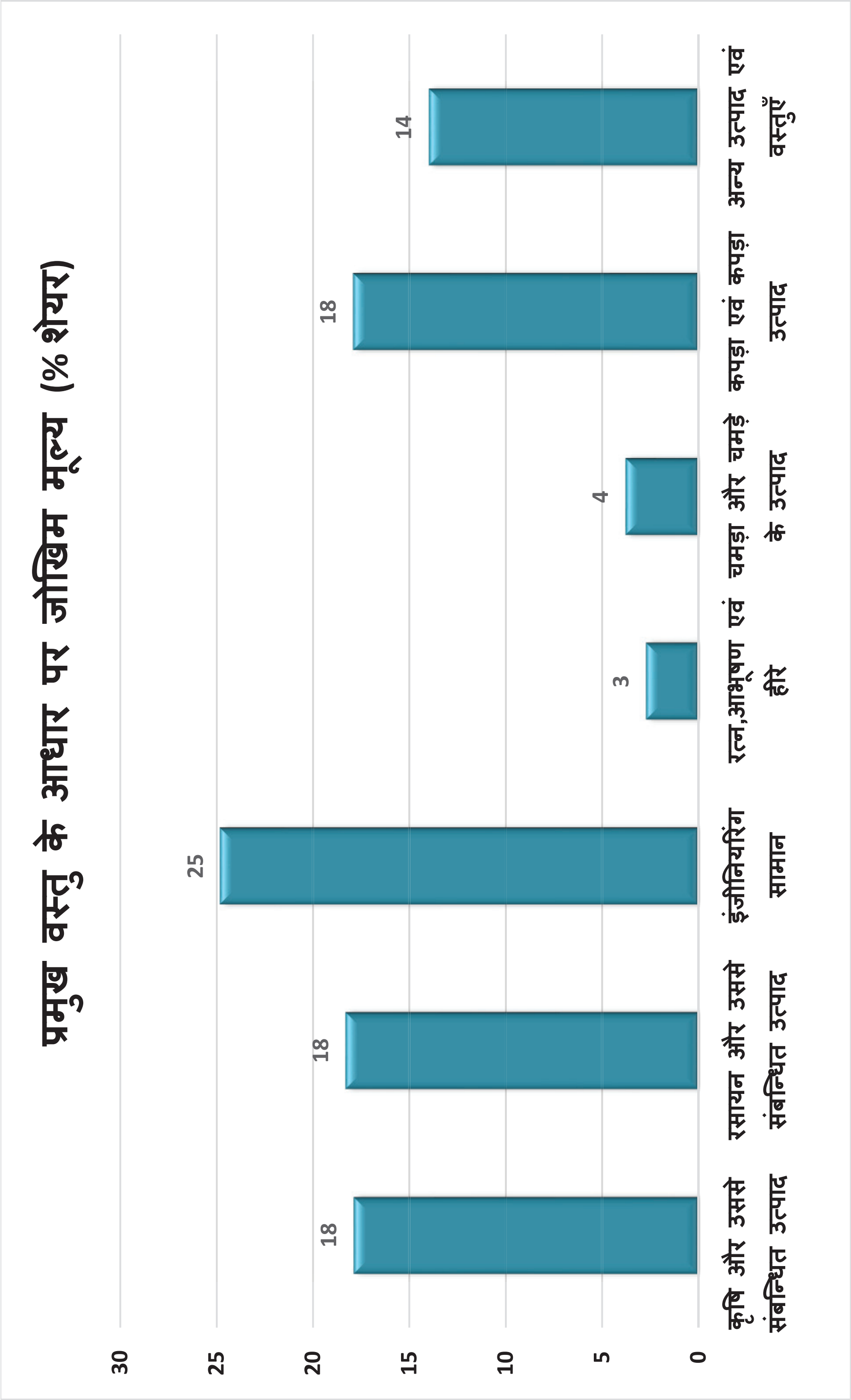
प्रमुख वस्तु के आधार पर जोखिम मूल्य (% शेयर)
30
25
20
15
10
5
0
18
18
25
3
4
18
14
कृषि और उससे संबन्धित उत्पाद
रसायन और उससे संबन्धित उत्पाद
इंजीनियरिंग सामान
रत्न,आभूषण एवं हीरे
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद
कपड़ा एवं कपड़ा उत्पाद
अन्य उत्पाद एवं वस्तुएँ

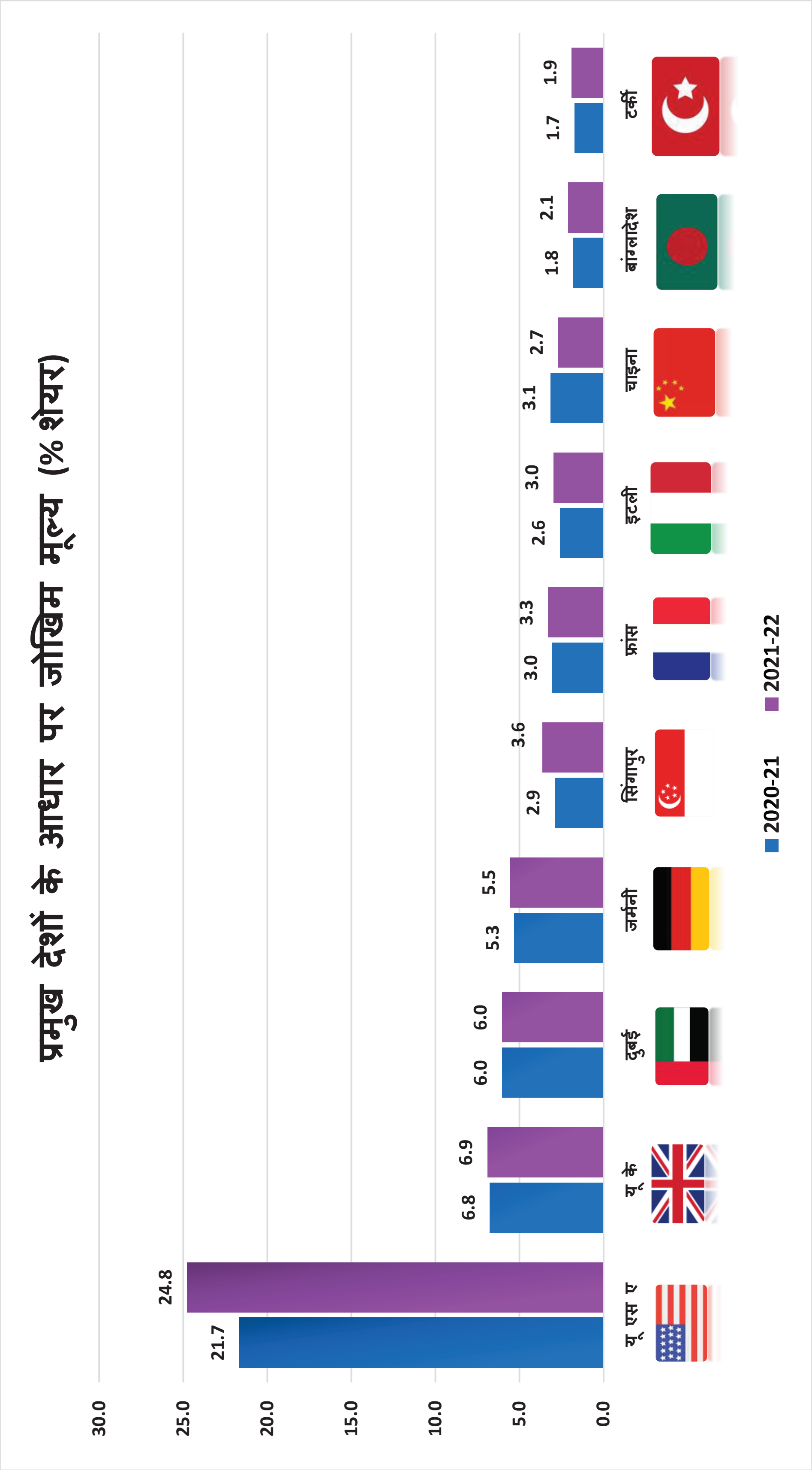

प्रमुख देशों के आधार पर जोखिम मूल्य (% शेयर)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
21.7
24.8
यू एस ए
6.8
6.9
यू के
6.0
6.0
दुबई
5.3
5.5
जर्मनी
2.9
3.6
सिंगापुर
3.0
3.3
फ्रांस
2.6
3.0
इटली
3.1
2.7
चाइना
1.8
2.1
बांग्लादेश
1.7
1.9
टर्की
2020-21
2021-22

प्रमुख देशों के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किए गए सकल दावे
(% शेयर)

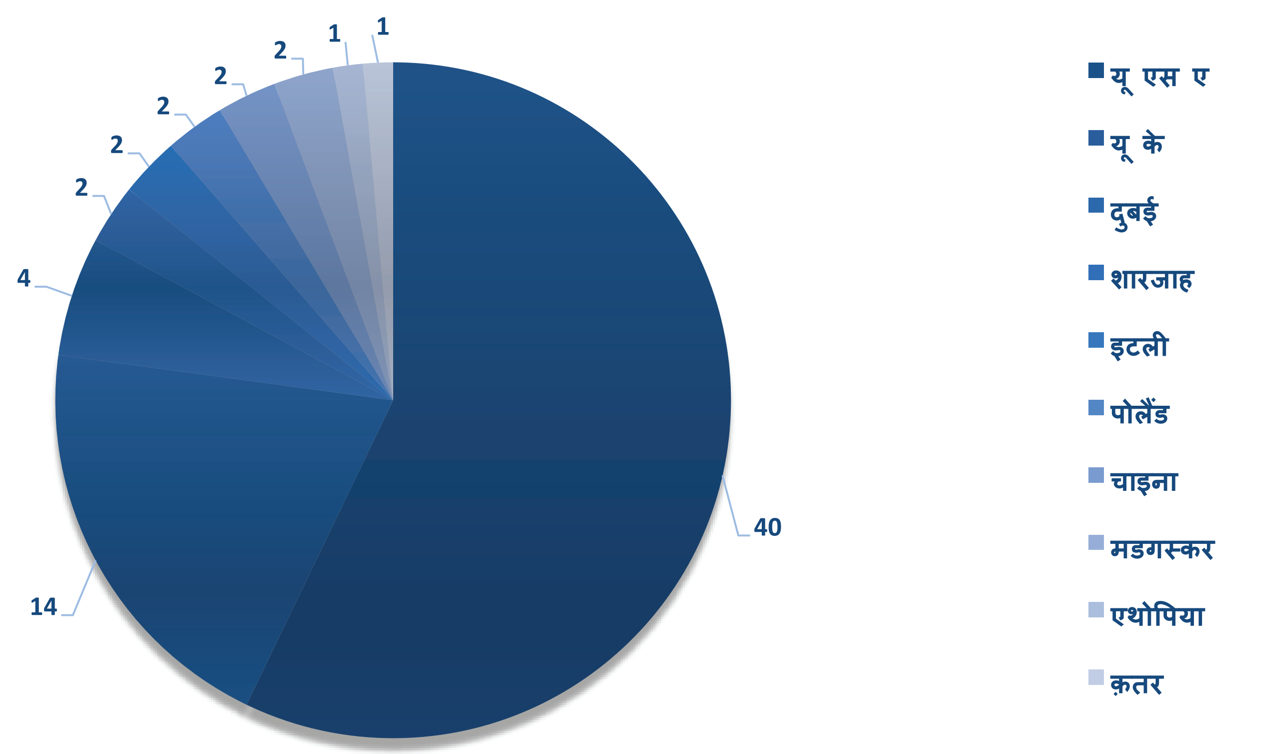

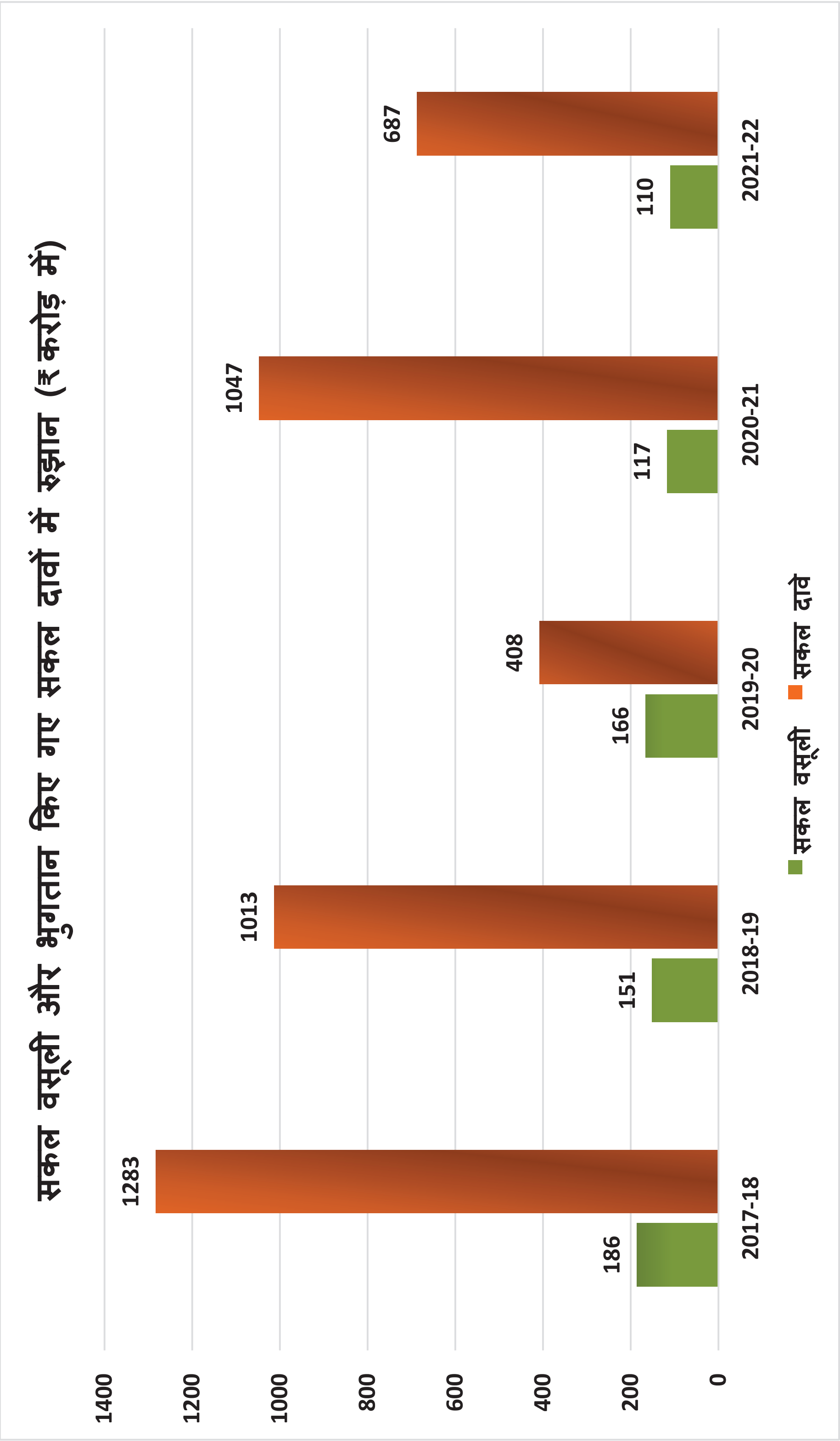
सकल वसूली और भुगतान किए गए सकल दावों में रुझान (₹ करोड़ में)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
186
1283
151
1013
166
408
117
1047
110
687
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
सकल वसूली
सकल दावे

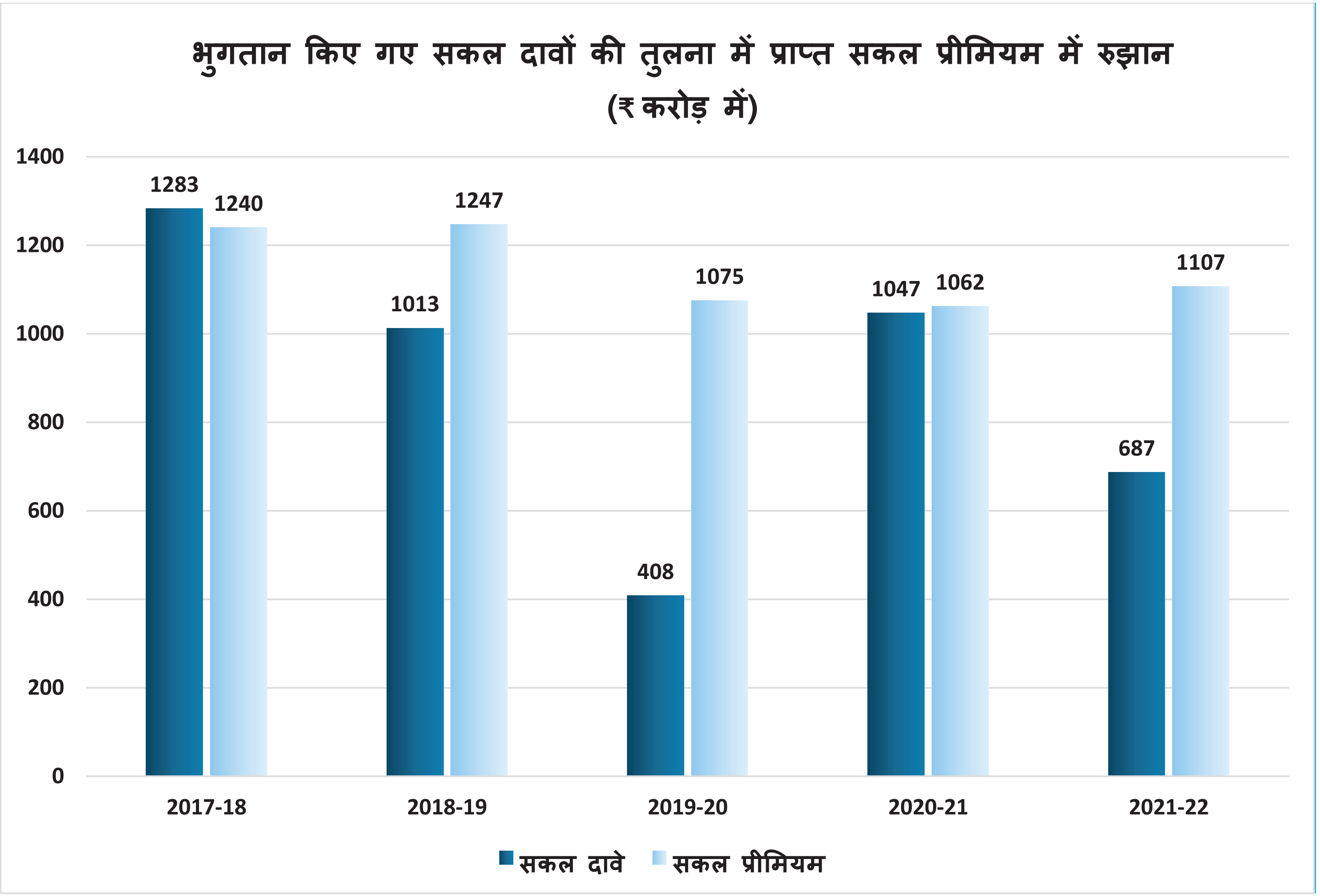
भुगतान किए गए सकल दावों की तुलना में प्राप्त सकल प्रीमियम में रुझान
(₹ करोड़ में)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1283
1240
1013
1247
408
1075
1047
1062
687
1107
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
सकल दावे
सकल प्रीमियम

भाग आ

वित्तीय विवरण

Financial Statements

<u>वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनाने एवं अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की गलत अथवा भ्रामक बयान अथवा आंकड़े नहीं हैं और न ही किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है जो उसमें निहित बयानों अथवा आंकड़ों को भ्रामक बना सकता है।

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान - मुंबई
दिनांक: 25 मई, 2022

फॉर्म बी-बी एस
ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**

31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
I. निधियों के श्रोत			
शेयर पूंजी	5	3950,00,00.00	3190,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	6	3890,88,49.12	3175,22,29.27
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - शेयरधारक		311,87,02.01	276,04,67.00
उचित मूल्य परिवर्तन खाता - पॉलिसीधारक		381,17,46.89	365,92,24.23
ऋण	7	-	-
आस्थगित कर देयता		-	-
कुल		**8533,92,98.02**	**7007,19,20.50**
II. निधियों का प्रयोग			
निवेश - शेयरधारक	8	6086,96,16.11	5347,30,07.86
निवेश - पॉलिसीधारक	8A	7439,61,97.47	7088,28,24.32
ऋण	9	-	-
अचल संपत्ति	10	326,53,19.69	303,63,70.76
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		43,88,90.87	44,24,70.76
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
नकद व बैंक शेष	11	1980,35,51.53	1551,46,00.97
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ	12	1052,35,47.40	968,67,46.93
उप कुल **(क)**		**3032,70,98.93**	**2520,13,47.90**
वर्तमान देयताएँ	13	7440,37,09.63	7354,55,68.58
प्रावधान	14	955,41,15.42	941,85,32.52
उप कुल (ख)		**8395,78,25.05**	**8296,41,01.10**
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ **(ग)= (क-ख)**		(5363,07,26.12)	(5776,27,53.20)
विविध व्यय	15	-	-
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो)			
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		-	-
कुल		**8533,92,98.02**	**7007,19,20.50**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	16		
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ	17		

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
DIN – 08646006

(ए सक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN – 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कम
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 109176W

(अनिल चिकोड़ि)
भागीदार - M.No. 107659
पुणे

(अंकित डी.दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2022

फॉर्म बी- आर ए

ईसीजीसी लिमिटेड

सीआइएन: यू74999एमएच1957जीओआइ010918

पंजीकरण संख्या 124 | **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	882,16,36.22	827,30,63.57
2	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ		67,61,43.47	108,92,91.45
3	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि		-	(30,25,69.93)
4	अन्य			
	- शुल्क		1,36,13.14	92,07.61
	- विविध आय		95,52.89	9,59.10
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ		74,46.41	9,07.89
5	ब्याज ,लाभांश एवं किराया - सकल		532,13,84.24	498,42,64.58
	कुल (क)		**1484,97,76.37**	**1405,51,24.27**
1	उपगत दावे (शुद्ध)	2	546,19,29.35	884,52,05.49
2	कमीशन	3	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय	4	281,51,56.59	270,92,57.55
4	अन्य			
	-प्रीमियम की कमी		(8,02,00.00)	106,24,00.00
	- निवेश पर व्यय		11,97,43.10	10,92,75.81
	- प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि		(18,75.48)	-
	कुल (ख)		**800,09,69.17**	**1246,41,52.86**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख)		**684,88,07.20**	**159,09,71.41**
	विनियोजन			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		684,88,07.20	159,09,71.41
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण		-	-
	कुल (ग)		**684,88,07.20**	**159,09,71.41**

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य हिस्सा बनते हैं

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
DIN - 08646006

(ए सक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN I 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कम
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार - M.No. 107659
पुणे

(अंकित डी. दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई , 2022

फॉर्म बी- पी एल

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानी

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	परिचालन लाभ (हानी)			
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(ग) विविध बीमा		684,88,07.20	159,09,71.41
2	निवेशों से आय			
	(क) ब्याज ,लाभांश एवं किराया - सकल		435,38,59.84	376,00,59.24
	(ख) निवेश की बिक्री से लाभ		55,32,08.29	82,17,46.18
	घटाएं : निवेश की बिक्री पर हानी		-	(22,82,54.51)
3	अन्य आय			
	(क) एन इ आइ ए आय		2,81,42.42	2,65,29.75
	(ख) किराया एवं अन्य राशियां		17,42.99	18,32.03
	(ग) अन्य ब्याज आय		1,36,31.44	1,52,22.60
	(घ) अन्य विविध आय एवं फैक्टरिंग आय		2,58,60.00	1,30,22.49
	कुल (क)		**1182,52,52.18**	**600,11,29.19**
4	प्रावधान (कराधान को छोडकर)			
	(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए		-	-
	(ख) प्रावधान , राइट ऑफ - निवेश			
	- मानक संपत्ति		-	-
	- उप मानक संपत्ति		-	-
	- संदिग्ध संपत्ति		(15,34.48)	-
	- हानि संपत्ति		-	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		35.60	(30.80)
5	अन्य व्यय			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय			
	- निवेश के लिए व्यय		9,79,71.62	8,24,36.14
	- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यय		11,90,09.34	3,77,53.48
	- विविध व्यय		11,25.42	(0.05)
	(ख) अन्य - फैकटरिंग व्यय		1.26	-
	कुल (ख)		**21,66,08.76**	**12,01,58.77**
	कर पूर्व लाभ **(क -ख)**		**1160,86,43.42**	**588,09,70.42**
	घटाएं :			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान			
	- आस्थगित कर		35,79.89	(2,95,89.55)
	- वर्तमान कर		255,00,00.00	127,00,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन		29,84,55.51	5,44,88.94
	(ग) कर समायोजन - पहले के वर्ष		49,88.17	(1,69,77.93)
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ		**875,16,19.85**	**460,30,48.96**

फॉर्म बी- पी एल

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

पंजीकरण संख्या 124 **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानी

	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	विनियोग			
	(क) वष क दारान भुगतान किया गया अतारम लाभाश		-	-
	(ख) अतारम लाभाश पर लाभाश वितरण कर		-	-
	(ग) प्रस्तावित आतम लाभाश		-	-
	(घ) प्रस्तावित लाभाश पर लाभाश वितरण कर		-	-
	(ङ) फक्टारग याजना क लिए रिजव म स्थानातरण		-	-
	(च) जनरल रिजव म स्थानातरण		598,66,19.85	300,80,48.96
	पिछल वष स आग लाया गया लाभ/हाान सतुलन		-	-
	तुलन पत्र को अग्रोषत किया गया बलस		276,50,00.00	159,50,00.00

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
DIN - 08646006

(ए सांक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN I 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख का हमारा रिपाट क अनुसार

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कम
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार - M.No. 107659
पुण

(अंकित डी. दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972

स्थान : मुबइ
दिनाक : 25मइ , 2022

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची -1
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	सीधे कारोबार से प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	204,61,27.27	199,95,87.70
	शुद्ध प्रीमियम	**902,00,40.54**	**862,32,31.91**
	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)
	कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	**882,16,36.22**	**827,30,63.57**

अनुसूची -2
उपगत दावे (शुद्ध)

	विवरण		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	प्रदत्त दावे			
	सीधे		687,20,43.27	1046,74,05.69
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा		-	-
	घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा		182,93,54.59	290,65,78.90
	घटाएँ :			
	वर्ष के दौरान वसूल किए गए	109,97,13.90		117,46,79.60
	जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज	23,47.71		24,51.76
	घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता हिस्सा	44,49,90.14		34,97,37.04
		65,70,71.47	65,70,71.47	82,73,94.32
	शुद्ध प्रदत्त दावे **(क)**		438,56,17.21	673,34,32.47
	जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)		6992,96,58.43	6885,34,79.90
	घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध)		-	1,33.61
	(ख)		6992,96,58.43	6885,33,46.29
	घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)		6885,34,79.90	6674,15,73.27
	वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध)		1,33.61	-
	(ग)		6885,33,46.29	6674,15,73.27
	कुल उपगत दावे (क + ख + ग)		**546,19,29.35**	**884,52,05.49**

अनुसूची -3
कमीशन

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	प्रदत्त कमीशन		
	सीधे	13,45,84.63	11,28,78.42
	कुल (क)	13,45,84.63	11,28,78.42
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा	-	-
	घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन	44,83,69.02	37,48,64.41
	शुद्ध कमीशन	**(31,37,84.39)**	**(26,19,85.99)**
	नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए		
	नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप :		
	एजेंट	-	-
	ब्रोकर	13,45,83.39	11,18,54.07
	कॉर्पोरेट एजेंसी	1.24	10,24.35
	अन्य (कृपया विवरण दें)	-	-
	कुल (ख)	**13,45,84.63**	**11,28,78.42**
	नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए		

अनुसूची -4
बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं	176,69,37.71	172,37,03.13
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय	9,21,48.00	5,79,50.57
3	प्रशिक्षण व्यय	38,23.51	15,11.27
4	किराया, दर व कर	27,36,04.27	26,54,00.75
5	मरम्मत	22,58,74.46	20,74,45.21
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	1,72,48.96	1,62,77.84
7	सूचना व्यय	1,18,23.07	1,07,84.81
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार	9,28,65.06	7,00,60.92
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में	79,24.41	70,27.08
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(i) कराधान मामले	14,82.16	15,23.30
	(ii) बीमा मामले	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए	70,90.46	65,00.27
10	विज्ञापन व प्रचार	5,87,71.72	5,10,39.78
11	ब्याज अथवा बैंक प्रभार	5,96.44	5,29.56
12	अन्य - विविध व्यय अथवा अन्य व्यय	18,79,37.12	22,29,34.76
13	मूल्यह्रास	6,70,29.24	6,65,68.30
	कुल	**281,51,56.59**	**270,92,57.55**

अनुसूची -5
शेयर पूंजी

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)	5000,00,00.00	5000,00,00.00
2	निर्गमित पूंजी 100 रु प्रत्येक के 3950,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)	3950,00,00.00	3190,00,00.00
3	अभिदत्त पूंजी 100 रु प्रत्येक के 3950,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)	3950,00,00.00	3190,00,00.00
4	मांगी गई व प्रदत्त पूंजी 100 रु प्रत्येक के 3950,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)	3950,00,00.00	3190,00,00.00
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	-	-
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य	-	-
	घटाएँ : आरंभिक व्यय	-	-
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
		-	-
	कुल	**3950,00,00.00**	**3190,00,00.00**

अनुसूची 5 क
शेयर धारण का नमूना
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार)

	शेयरधारक	वर्तमान अवधि		पिछली अवधि	
		शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %
	प्रवर्तक				
	भारतीय				
	भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित	395,000,000	100.00	319,000,000	100.00
	विदेशी	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-
	कुल	**395,000,000**	**100.00**	**319,000,000**	**100.00**

अनुसूची -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि	-	-
3	शेयर प्रीमियम	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा	2955,72,29.27	2654,91,80.31
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	598,66,19.85	300,80,48.96
		3554,38,49.12	2955,72,29.27
		-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	3554,38,49.12	2955,72,29.27
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष	276,50,00.00	159,50,00.00
	कुल	**3890,88,49.12**	**3175,22,29.27**

अनुसूची -7
उधार

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य)	-	-
3	वित्तीय संस्थान	-	-
4	अन्य	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची -8
निवेश (शेयर धारक)

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय	2454,47,86.57	1850,83,62.33
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	209,80,57.95	182,65,04.89
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	838,68,67.12	746,06,31.60
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	757,19,16.37	561,41,33.72
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)	-	-
	च. गौण मद	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1338,90,57.36	1363,09,06.96
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा	76,37,84.63	57,00,77.33
	कुल (क)	**5675,44,70.00**	**4761,06,16.83**
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय	156,78,31.86	58,37,07.43
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	-	-
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	50,51,59.12	242,90,80.02
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	81,52,02.71	185,18,15.37
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)	-	10,74,50.40
	च. गौण मद	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	95,70,56.75	52,44,59.41
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा	26,98,95.67	36,58,78.40
	कुल (ख)	**411,51,46.11**	**586,23,91.03**
	कुल (क + ख)	**6086,96,16.11**	**5347,30,07.86**

नोट :

अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गई संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	105,46,29.56	109,97,70.60

अनुसूची -8अ
निवेश (पॉलिसीधारक)

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय	2999,91,83.58	2453,43,40.76
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	256,42,93.06	242,11,80.90
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	1025,06,15.37	988,96,74.45
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	925,45,64.45	744,19,91.20
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)	-	-
	च. गौण मद	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	1636,44,03.45	1806,88,76.66
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा	93,35,14.54	75,56,83.90
	कुल (क)	**6936,65,74.45**	**6311,17,47.87**
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय	191,62,38.94	77,37,51.70
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3	अन्य निवेश		
	क. शेयर		
	कक. इक्विटी	-	-
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	ख. म्यूचल फंड	61,74,16.71	321,99,43.28
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	99,63,58.87	245,47,32.00
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	14,24,34.24
	च. गौण मद	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	116,97,36.02	69,52,13.63
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा	32,98,72.48	48,50,01.60
	कुल (ख)	**502,96,23.02**	**777,10,76.45**
	कुल (क + ख)	**7439,61,97.47**	**7088,28,24.32**

अनुसूची -9
ऋण

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण**		
	जमानती		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	भारत में	-	-
	भारत के बाहर	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान		
		-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(ग) अन्य	-	-
	गैर जमानती		
		-	-
	कुल		
2	लेनदारवार वर्गीकरण		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(ड़) अन्य	-	-
	कुल	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	भारत में	-	-
	भारत के बाहर	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	भारत में	-	-
	भारत के बाहर	-	-
	कुल	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण		
	(क) अल्पावधि	-	-
	(ख) दीर्घावधि	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 10

आंकड़े ₹ '000 में

अचल परिसंपत्तियाँ

		सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतिम	31.03.2021 तक	वर्ष के लिए	बिक्री पर/ समायोजन	दिनांक तक	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1	साख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त	7,80,14.10	24,78.00	-	8,04,92.10	5,68,14.53	69,00.34	-	6,37,14.87	1,67,77.23	2,11,99.57
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली	74,81,52.33	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति	60,58,30.10	-	-	60,58,30.10	5,95,42.73	1,87,01.64	-	7,82,44.37	52,75,85.73	54,62,87.37
5	भवन	43,61,13.69	-	-	43,61,13.69	15,93,31.68	78,19.75	-	16,71,51.43	26,89,62.26	27,67,82.01
6	फर्नीचर तथा फिटिंग	18,09,06.73	3,44,57.88	29,31.78	21,24,32.83	15,37,80.89	57,51.79	18,31.70	15,77,00.98	5,47,31.85	2,71,25.84
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	20,02,83.29	58,61.49	16,56.06	20,44,88.72	16,90,02.96	1,31,54.83	12,45.30	18,09,12.49	2,35,76.23	3,12,80.33
8	वाहन	10,69,90.00	4,85,68.71	5,96,13.64	9,59,45.07	6,97,03.56	95,55.75	5,96,13.64	1,96,45.67	7,62,99.40	3,72,86.44
9	कार्यालयी उपकरण	8,25,96.29	86,53.01	24,91.44	8,87,57.86	7,34,09.54	51,45.14	24,75.05	7,60,79.63	1,26,78.23	91,86.75
कुल		243,88,86.53	10,00,19.09	6,66,92.92	247,22,12.70	74,15,85.89	6,70,29.24	6,51,65.69	74,34,49.44	172,87,63.26	169,73,00.64
प्रगतिरत कार्य										153,65,56.43	133,90,70.12
कुल योग		243,88,86.53	10,00,19.09	6,66,92.92	247,22,12.70	74,15,85.89	6,70,29.24	6,51,65.69	74,34,49.44	326,53,19.69	303,63,70.76
पिछले वर्ष		183,19,22.66	61,92,34.52	1,22,70.65	243,88,86.53	66,12,59.85	6,65,68.30	(1,37,57.74)	74,15,85.89	303,63,70.76	293,49,15.15

अनुसूची -11
नकदी व बैंक शेष

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट अथवा स्टैम्प सहित)	50,22.37	95,11.62
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	बैंकों के पास	1968,07,00.00	1350,42,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	59,99,99.00
	(खख) अन्य		
	बैंकों के पास	1,99,00.00	127,00,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	(ख) चालू खाता	9,78,29.16	13,07,90.35
	(ग) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	कुल	**1980,35,51.53**	**1551,46,00.97**

अनुसूची -12
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ

	विवरण		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
	अग्रिम			
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ		-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		-	-
3	समय पूर्व भुगतान		11,83,63.51	11,11,30.12
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम		-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)		214,51,23.57	180,14,22.30
6	कर्मचारियों को अग्रिम		23,92,52.76	26,81,58.54
7	व्ययों के लिए अग्रिम		12,42,45.43	25,27,49.99
	कुल (क)		**262,69,85.27**	**243,34,60.95**
	अन्य परिसंपत्तियाँ			
1	निवेशों पर प्रोद्‌भूत आय		347,61,58.44	324,69,88.06
2	बकाया प्रीमियम		-	-
3	एजेंटों के शेष		-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन इकाइयों से देय		256,38,10.25	254,78,34.31
6	गौण/धारक इकाइयों से देय		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)		-	-
8	आवास ऋण पर प्रोद्‌भूत ब्याज		1,45,67.18	1,83,58.24
9	विविध देनदार-			
	मानक परिसंपत्तियाँ	1,37,91.11		48,91.24
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	55.17		19.57
	(I)	1,37,35.94		48,71.67
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ	-		-
	घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-		-
	(II)	-	-	-
	सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	7,04,26.80		7,04,26.80
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)		1,37,35.94	48,71.67
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि	23,18,60.59		22,62,74.71
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान	94,71.30		94,71.30
		22,23,89.29	22,23,89.29	21,68,03.41
11	विविध जमाएँ	73,79,44.90		37,53,74.39
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-		-
		73,79,44.90	73,79,44.90	37,53,74.39
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावा राशि	1,54,94.64		1,49,70.60
	जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज	42,44.40		35,87.41
		1,97,39.04	1,97,39.04	1,85,58.01
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी		84,82,17.09	82,44,97.90
	कुल (ख)		**789,65,62.13**	**725,32,85.98**
	कुल (क+ख)		**1052,35,47.40**	**968,67,46.93**

अनुसूची -13
वर्तमान देयता

	विवरण		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	एजेन्टों का शेष		-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष		78,87,15.08	80,45,36.20
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा		-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम		223,81,05.16	219,68,70.77
5	अनाबंटित प्रीमियम		46,64,70.20	40,17,53.94
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि	1,53,50.33		1,50,69.05
	जोड़ें : पॉलिसी दारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज	39,87.39		34,69.27
		1,93,37.72	1,93,37.72	1,85,38.32
7	विविध लेनदार		64,91,70.98	37,04,00.43
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय		-	-
9	बकाया दावे		6992,96,58.43	6885,33,46.28
10	कर्मचारियों को देय		7,87,56.30	68,37,97.23
11	अन्य			
	- एन ई आई ए		19,01,86.33	18,48,85.20
	- फ़ैक्टरिंग		33,67.00	23,14.75
	- विविध		2,69,32.74	2,11,53.03
	- जी एस टी/सेवा कर देयता		1,30,09.69	79,72.43
	कुल		**7440,37,09.63**	**7354,55,68.58**

अनुसूची -14
प्रावधान

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित	451,00,20.27	431,16,15.96
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित	308,52,00.00	316,54,00.00
3	कराधान के लिए		
	- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर)	-	-
4	प्रस्तावित लाभांशों के लिए	-	-
5	लाभांश वितरण कर के लिए	-	-
6	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा	56,16,24.84	54,17,81.86
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा	4,66,83.15	5,50,06.43
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा	29,59,57.60	24,49,57.67
7	कम कारोबार के शेयरों के लिए	-	-
8	सदिंग्ध परिसंपत्तियों-निवेश हेतु	105,46,29.56	109,97,70.60
	कुल	**955,41,15.42**	**941,85,32.52**

अनुसूची -15
विविध व्यय

	विवरण	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित (₹ '000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट	-	-
2	अन्य	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची - 16

<u>महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ</u>

1. **लेखा प्रणाली**

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के नियामक प्रावधानों; बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा एवं उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 133 एवं क्रेडिट बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1.2 **अनुमानों का उपयोग:**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे ।

2. **अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास**

2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल की गई/ निपटान की गयी परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की गणना उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है ।

2.4 वह कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है वह हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते है और नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य, जो कंपनी के लेखा मानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस - 26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हे "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित किया गया है।

2.6 वह परियोजनाएँ जो चालू स्थिति में हैं उन्हे पूंजीकृत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) के रूप में आगे लाया गया है जो कि अग्रिम एवं प्रत्यक्ष लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान को दर्शाते हैं।

3. **हानि**

हानि के किसी भी संकेत की जानकारी के लिए परिसम्पत्तियों पर ली जाने वाली राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत मिलता है तो संपत्ति पर वसूली योग्य राशि की गणना की जाती है। यदि संपत्ति पर ली जाने वाली कोई भी राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इसे हानि माना जाता है।

4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे की वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाण पत्रों को उनकी छूट प्राप्त कीमत पर दर्शाया गया है एवं अर्जित आय में से अधिग्रहण लागत तथा छूट कीमत को समय के आधार पर विभाजित किया गया है।

4.2 शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि की खरीद एवं बिक्री के लिए संविदा को लेनदेन की तारीख पर "निवेश" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

4.3 निवेश की लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, दलाली, स्थानांतरण टिकट, स्थानांतरण शुल्क इत्यादि शामिल हैं एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क , यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित

औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है ।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा । इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है , पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित /असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी:

अ. वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है । तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है ।

आ. वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया ।

b) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में: -
लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया ।

c) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती । तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते

में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ख)एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी ।

4.12 रिवर्स रेपो संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स)", जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना जाता है। ट्रेप्स के जरिये ऋण पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है ।

4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता "शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित , "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता " में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 “शेयरधारकों“ एवं“ पॉलिसीधारकों “ की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः “शेयरधारकों की निधियाँ ” व “पॉलिसीधारकों की निधियाँ ” शीर्ष “शेयरधारकों” व “पॉलिसीधारकों” की निधि में आबंटित किया गया है।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

IRDAI के निर्देशों के अनुसार अपने पत्र संख्या। एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी**,** 2014**,** के अनुसार मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए शिपमेंट / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात क्रेडिट से संबंधित जोखिम की धारणा और प्रीमियम आय को बाद के वर्ष में मान्यता दी जाती है। और उसी का लगातार पालन किया जाता है।

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है ।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम में कमी उस समय पहचानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निशियों से अधिक हो।

8. बकाया दावों के लिए आरक्षित निधियाँ

8.1 लघु अवधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत संसाधित बकाया दावों एवं मध्यम और लंबी अवधि के रक्षा के अंतर्गत सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। एसटी रक्षा के अंतर्गत उन बकाया दावों के लिए जिन्हें प्रोसेस किया जाना बाकी है, पिछले वर्षों के दावे के भुगतान के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार, पर औसत आवक दर पर प्रावधान किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान को आगे की जानकारी/समर्थक दस्तावेजों की जांच की उपलब्धता पर उपयुक्त परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।

8.2 इसके अतिरिक्त, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान, दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (IBNER) के लिए प्रावधान का वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार हिसाब लगाया जाता है।

8.3 निम्नलिखित दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है:

अ.) कंपनी द्वारा खारिज किए गए एवं ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए ऐसे दावे, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई एवं/अथवा मध्यस्थता प्रारंभ की गयी है। ऐसे मामलों को वित्तीय विवरणों में दावों के तहत प्रदान किया गया है।

आ.) बैंकों द्वारा अधिमानित वो दावे जहां, जैसा कि उनके द्वारा पुष्टि की गयी, बकाया राशि की वसूली के लिये सम्झौता प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है।

अ) और (आ) संदर्भित मामलों के संबंध में दावा किया गया ब्याज, यदि कोई हो न तो आकस्मिक दायित्व के प्रयोजन के लिए या प्रावधान के लिए विचार किया जाता है।

9. पुनर्बीमा

9.1. जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से की गयी है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। सौंपे गए प्रीमियम में किसी भी अनुवर्ती संशोधन को ऐसे संशोधन के वर्ष में मान्यता दी जाती है। पॉलिसियों को रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें इसे रद्द किया जाता है।

9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम दिया जाता है।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तो के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय

10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयर धारक निधि "व" पॉलिसीधारक निधि " के रूप में प्रभाजित किया गया है।

"शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि , बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए एक परिभाषित लाभ योजना, ग्रेच्युटी, प्रदान करती है। यह योजना योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा बनाए गए ग्रेच्युटी फंड में योगदान करती है। योगदान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह के योगदान को राजस्व खाते में चार्ज किया जाता है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

11.3 कंपनी की नीति के अनुसार, कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। कंपनी , उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है. प्राप्तियों में यदि कोई कमी हुई तो , उसकी भरपाई कंपनी करेगी।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं । वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । कंपनी ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों

के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगी तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगी।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे , व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए प्रमाण प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती

है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो । अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्‌यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. **फेक्टरिंग**

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है: -

निम्नमानक परिसंपत्तियाँ :	i. 10% का सामान्य प्रावधान ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहां वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक मूल्य के 10% से अधिक न हो)
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक - 20%
	ii. एक से तीन वर्ष तक - 30%
	iii. तीन वर्षों से अधिक - 100%

असुरक्षित अश	100%
हानि परिसपत्ति :	100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता - विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 संपरिवर्तन - विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर - मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

<u>अनुलग्नक 17</u>

लेखों से संलग्न एवं उनका हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार के सम्बंध में जारी परिपत्र तथा/अथवा दिशानिर्देशों; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. वर्णित राशियों की प्राप्ति

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के तहत मदें, व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में वसूली पर मूल्य कारित करते हैं, कम से कम उस राशि के बराबर जिस पर उन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है एवं सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है तथा संदिग्ध संपत्तियां दर्शाई गई हैं।

3. अचल सम्पत्तियाँ:

3(क) अचल परिसंपत्तियों में, ₹398.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹398.47 हज़ार) के वे " बिल्डिंग" शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है जिसमें जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सीएचएस के सदस्यों के साथ मिलकर प्रापर्टी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता भी शामिल है। इसके अतरिक्त, इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 5,77,43.90 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि , इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को – ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

3(ख) कंपनी द्वारा "दलामल हाउस" को सम्विदा पर लिया था और समझौते के अनुसार उक्त संपत्ति को एक निश्चित दर पर खरीदने के लिए प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग किया था। हालांकि, पट्टादाता सहमत नहीं था एवं इस हेतु ईसीजीसी द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया। इस वाद में दिनांक 07/07/2016 का आदेश कंपनी के प्रतिकूल निर्णीत था जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की। अपील लंबित है। यह ध्यान देने योग्या है कि उक्त परिसरों को अभी तक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी उक्त संपत्ति की खरीद के प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद द्वारा संघर्षरत है।

4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियाँ:

4(क) अग्रिमों एवं अन्य आस्तियों में शामिल है:

कंपनी के विरुद्ध दायर दावा वादों के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ऐसे वाद हेतु ₹60,42,83.49 हजार (पिछले वर्ष ₹24,17,68.89 हजार) की राशि अदालतों में जमा की गई है जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। इसका विवरण विविध जमा के अंतर्गत किया गया है।

4(ख) कर्मचारियों को आवास ऋण पर ब्याज की गणना एक्चुरियल आधार पर की जाती है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम निपटान के समय किया जाता है।

4(ग) समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) के लिए सू प्रौ विक्रेता से वसूली योग्य ₹17,23,92.70 हज़ार (पिछले वर्ष के लिए ₹17,23,92.70 हज़ार) का प्रावधान शामिल है जिसे " अन्यों से वसूली योग्य राशि" में दर्शाया गया है। मामला मध्यस्थता के अधीन है , क्योंकि विक्रेता ने कम्पनी के ₹29,17,48.42 की मांग के खिलाफ ₹146,98,02.40 हजार दावा दायर किया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है।
(निम्न नोट का अवलोकन करें)

4(घ) अग्रिमों एवं अन्य आस्तियों (अनुसूची 12) में पुनर्बीमाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत दावों के संबंध में जून 2014 से अधिक हानि (एक्सओएल) संधि के कारण पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य के रूप में ₹161,89,42.95 हजार (पिछले वर्ष ₹171,78,48.42 हजार) शामिल हैं ।उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय है। कंपनी ने अपने ग्राहकों से वसूली की थी और इसे पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किया जान है। कंपनी ने पुनर्बीमा कंपनी के साथ कई दौर की सकारात्मक चर्चा की और इस बात की अत्याधिक संभावना है कि राशि की वसूली की जाएगी। ₹35,79,32.16 हजार के पुनर्स्थापन प्रीमियम को समायोजित करने के बाद शुद्ध प्राप्य राशि ₹126,10,10.79 हजार होगी।

4(ड.) अग्रिम और अन्य संपत्तियां (अनुसूची 12) में भारत सरकार की ओर से अफ्रीकी व्यापार बीमा (एटीआई) में पूंजीकृत ₹84,82,17.09 हजार (पिछले वर्ष ₹82,44,97.90 हजार) की राशि शामिल है। एटीआई ने ₹2,37,19.19 हजार (3,23.99 हजार अमेरिकी डॉलर) का लाभांश घोषित किया है और इसे चालू वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है।

5. चालू देयताएं:

5(क) चालू देयताओं में, कम्पनी के कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पीएलएलआई) के लिए ₹2,80,10.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹70,20.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन 31 मार्च 2019 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन(पीएलएलआई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

5(ख) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार**,** दावों के आकलन के आधार पर दावित और बकाया दावों के लिए देयता प्रदान की जाती है। ऐसे दावों के प्रति देयताओं को वर्ष के अंत तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मान्यता दी गई है। प्रबंधन की राय में**,** वर्ष के दौरान सूचित न किये गए एवं अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) दावों के समग्र प्रावधान और बकाया दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का आकलन करते समय उपरोक्त में से किसी के प्रभाव पर विचार किया गया है**,** जो नियुक्त बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निकाला गया है। तद्नुसार**, ₹**6168**,**23**,**49.47 हजार (पिछले वर्ष **₹**5740**,**47**,**70.49 हजार) की राशि को गैर-रिपोर्ट किए गए और अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए दावों (आईबीएनआर और आईबीएनईआर) के प्रति अनुमानित देयता के रूप में मान्यता दी गई है।

5(ग) कंपनी ने एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज कर दिया है जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक (पीएच) ने अनुबंध को पूर्ण करने के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और दि. 31/03/2022 को मामला विचाराधीन है। अनुसूची 13 के तहत अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम - वर्तमान देयताओं में ₹2,32,44.55 हजार की राशि शामिल है जो पॉलिसी धारक से घोषणा की प्राप्ति न होने के कारण समायोजित नहीं की गई है । कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसी धारक ने कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹ 2,4,00.00 हजार का वचन दिया और शेष राशि को पॉलिसी धारक को वापस किया जाना है। मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज़ प्रीमियम की वापसी या समायोजन का विकल्प देता है और मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण, ₹2,32,44.55 हजार की पूरी राशि (न्यूनतम प्रीमियम के ऊपर और ऊपर ₹30,00.00 हजार की राशि सहित) को विविध लेनदारों - अनुसूची 13 के शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

5(घ) इसके अतरिक्त, 'विभिन्न लेनदारों' के तहत 'अनुसूची 13 - वर्तमान देनदारियों' में विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए ₹24,61.77 हजार (पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार) की राशि शामिल है, जो कि विभिन्न बैंकों को कम्पनी द्वारा निर्यातक-उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गई गारंटी के कारण दिए जाने वाली रक्षा के विस्तार के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है और बैंकों को रक्षा बढ़ाने में असमर्थता के बारे में सूचित किया है। कंपनी ने उक्त प्रीमियम राशि बैंकरों को वापस कर दी है, कुछ बैंकों ने पुनर्भुगतान स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को 'विविध लेनदारों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है।

6. प्रावधान

डिबेंचर में निवेश राशि ₹105,00,00.00 हजार अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹110,00,00.00 हजार) और जिसका बुक वैल्यू ₹104,97,70.60 हजार (पिछले वर्ष ₹109,97,70.60 हजार) है जिसे आईआरडीएआई मानदंडों के अनुरूप पहले के वर्षों में बही खातों में संदिग्ध और पूरी तरह से प्रदान किया गया माना जाता है। इसे निवेश परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान - अनुसूची 14 के शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

7. फैक्टरिंग

कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹55.17 हजार (पिछले वर्ष ₹19.57 हजार) का प्रावधान किया है, जबकि संदिग्ध संपत्तियों के संबंध में कंपनी ने पूर्व में आईआरडीएआई मानदंडों के अनुरूप ₹ 7,04,26.80 हजार का प्रावधान किया है।

8. पुनर्बीमा

कंपनी ने भारत की सामान्य बीमा कंपनी हेतु आएआरडीएआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक, कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय (अल्पकालिक के साथ-साथ मध्यम और दीर्घकालिक व्यवसाय) का 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अधिवेशन सौंप दिया है। पॉलिसी के अंतर्गत कोटा शेयर अर्पण 19.24% (पिछले वर्ष 15%) है - जहाँ जीआईसी री (6%), एससीओआर री (6%), हनोवर री (4%), सीसीआर री (3.24%) के साथ है तथा ईसीआईबी के अंतर्गत यह 8.85% है (पिछले वर्ष 8%) - जहाँ जीआईसी री (1.5%), एससीओआर री (3%), हनोवर री (3%) और सीसीआर री (1.35%) के साथ है। कंपनी के पास उपरोक्त पुनर्बीमाकर्ता के साथ अल्पावधि (एसटी) रक्षा हेतु एक्सिस ऑफ लॉस (एक्सओएल) अनुबंध भी किया गया पिछले वर्ष हेतु पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष	कोटा शेयर		एक्सओएल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08	15%	20%	एक्सओएल उपलब्ध

(केवल अल्पावधि)			नहीं
2008-09	10%	10%	एक्सओएल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्सओएल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्सओएल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016-17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2017-18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्सओएल उपलब्ध
2017-18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्सओएल उपलब्ध
2018-19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2018-19	5%	21.5%	एक्सओएल उपलब्ध

(ईसीआईबी)			
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2019-20 (ईसीआईबी	5%	14.5%	एक्सओएल उपलब्ध
2020-21 (पॉलिसी)	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्सओएल उपलब्ध

9. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (आर्ट)

कंपनी के पास भारत सरकार द्वारा स्थापित एनईआईए ट्रस्ट के साथ मध्यम और लंबी अवधि (एमएलटी) रक्षा के अंतर्गत कुछ उच्च मूल्य के एक्सपोजर के लिए जोखिम साझा करने की व्यवस्था थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुल्क के भुगतान पर 34 एमएलटी रक्षाओं (पिछले वर्ष 46 एमएलटी रक्षाओं) के लिए एनईआईए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनईआईए ट्रस्ट को ₹3,75,04.65 हजार (पिछले वर्ष ₹4,88,44.53 हजार) के गारंटी शुल्क का भुगतान किया है।

10. प्रीमियम आय

प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता दी जाती है। लेखा नीति के अनुसार, मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए शिपमेंट / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम और प्रीमियम आय की धारणा को बाद के वर्ष में मान्यता दी जाती है। आईआरडीएआई ने दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अपने पत्र संख्या एफएनए/जीईसी/एलआर/001/2013-14/12 के माध्यम से कंपनी द्वारा स्थापना के बाद से लगातार अपनाई जाने वाली प्रीमियम लेखा पद्धति से सहमति व्यक्त की है। कंपनी ने मार्च 2022 के माह में किए गए शिपमेंट/अग्रिमों से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹44,41,22.62 हजार (पिछले वर्ष ₹49,52,47.60 हजार) प्रीमियम आय का अनुमान लगाया है, जिसे बाद के वर्ष में मान्यता प्रदान की गई है।

11. एनईआईए ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट से प्रशासनिक शुल्क के रूप में कंपनी को प्राप्त ₹2,81,42.42 हजार (पिछले वर्ष ₹2,65,29.75 हजार) की प्राप्तियो को अन्य आय में शामिल हैं।

₹19,01,86.33 हजार (पिछले वर्ष ₹18,48,85.20 हजार) के अग्रिम में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क, वर्तमान देनदारियों - अन्य - एनईआईए ट्रस्ट में शामिल हैं।

12. कोविड 19

महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने भारत में निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि को कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। सरकारी छूटों के अनुरूप कंपनी ने अपने ग्राहकों को जारी की गई रक्षा की शर्तों में भी ढील दी है। कंपनी ने आगे अपने व्यवसाय पर कोविड 19 के प्रभाव का संज्ञान लिया है और चालू वर्ष के लिए अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन किया है। कंपनी को विश्वास है कि परिणामी दावे प्रबंधनीय होंगे। बीमांकिक अनुमान के आधार पर, हमने अपने बहीखातों में उपयुक्त प्रावधान प्रदान किए हैं और इसे आईबीएनआर और आईबीएनईआर प्रावधान में शामिल किया गया है। चूकों और अपेक्षित दावों में परिणामी वृद्धि के कारण आईबीएनआर और आईबीएनईआर प्रावधान को पिछले वर्ष के 5740.48 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6168.23 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आईबीएनआर अनुमानों के लिए, इस्तेमाल की गई धारणाओं में कोविड जोखिम से उत्पन्न होने वाली किसी भी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए विवेकपूर्ण मार्जिन उपलब्ध है।

13. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं के अनुसार, दावों का निपटारा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) भी शामिल है, जो अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर प्रस्तुत दावों में कुछ खामियों को माफ कर देता है। निपटाए गए इन सभी दावों को कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में निपटाया गया माना जाता है।

14. पूर्व अवधि समायोजन में शामिल हैं:

(₹ '000)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	64,80.76	52,12.36
अन्य	30.07	1,55.88
मूल्यह्रास	-	2,57,50.98
मरम्मत और रखरखाव	-	1,34.05
संपत्ति कर – अंधेरी परिसर	-	2,32,35.67
कर देयता हेतु प्रावधान	29,19,44.68	-
कुल पूर्व अवधि समायोजन	**29,84,55.51**	**5,44,88.94**

15. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय:

(₹ '000)

आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पुनर्बीमा*	55,80,54.88	39,08,29.67
अन्य प्राप्तियां	22,37.09	46.56

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क और अन्य व्यय	57,83.48	24,15.22
स्थिति पूछताछ शुल्क	1,71,81.59	1,30,39.93
किताबें और पत्रिकाएं	-	40,79.79

* पुनर्बीमा अर्जन, पुनर्बीमा प्रीमियम से निवल भुगतान किए गए दावों के लिए विदेशी मुद्रा में वसूली है।

16. कंपनी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्पोज़र/कार्य नहीं है।

कंपनी का विदेशी मुद्रा (बिना हेज) में कोई एक्सपोजर नहीं है।

17. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड 'निर्यात ऋण बीमा' में कार्यरत है। कंपनी निर्यातकों को फैक्टरिंग गतिविधियां भी प्रदान करती है। वर्ष के दौरान अनुमानित कुल बिल ₹6,61,02.39 हजार (पिछले वर्ष ₹5,02,35.43 हजार) था जिसमें वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹9,73.56 हजार (पिछले वर्ष ₹6,80.40 हजार) रहा। चूंकि फैक्टरिंग राजस्व, लाभ या हानि और संपत्ति कुल खंड गतिविधि के 10% से कम है, इसलिए, यह एएस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

18. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन:

(i) (i) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक:**

क्रम सं	नाम	पदनाम	श्रेणी	दि. 31/03/2022 को
1	श्री एम सेंथिलनाथन	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	29-04-2020 से नियुक्त
2	श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)	कार्याकारी निदेशक-कार्यपालक	21-05-2020 से नियुक्त

3	श्री सी एन ए अन्बरासन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक (ऑपरेशन)	23-09-2020 से नियुक्त
4	श्री निर्दोष चोपड़ा	महाप्रबंधक	(i) मुख्य वित्तीय अधिकारी; (ii) मुख्य जोखिम अधिकारी; तथा (iii)पारदर्षिता अधिकारी	21-05-2020 से नियुक्त 02-05-2019 से नियुक्त 16.08.2021 से प्रभार समाप्त
5	श्री पी एल ठाकुर	महाप्रबंधक	मुख्य हामीदारी अधिकारी (ईसीआईबी-अल्पावधि)	24-09-2020 से नियुक्त 16-08-2021 से मुख्य हामीदारी अधिकारी (एमएलटी) के रूप में प्रभार समाप्त
6	श्री श्रृष्टिराज अम्बष्ठ	महाप्रबंधक	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी	21-05-2020 से नियुक्त
7	श्री ईशनाथ झा	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक-मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन विभाग	21-05-2020 से नियुक्त
8	श्री सुबीर कुमार दास	महाप्रबंधक	(i) मुख्य हामीदारी अधिकारी (पॉलिसी); तथा (ii) मुख्य हामीदारी अधिकारी (एमएलटी)	21-05-2020 से नियुक्त 16-08-2021 से नियुक्त

9	श्रीमती स्मिता वी. पंडित	महाप्रबंधक	(i)कम्पनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी; तथा (ii)पारदर्शिता अधिकारी	04-06-2013 से नियुक्त 16-08-2021 से नियुक्त
10	श्री आनंद सिंह	महाप्रबंधक	मुख्य विपणन अधिकारी	16-08-2021 से नियुक्त
11	सुश्री प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक	नियुक्त बीमांकिक	27-01-2020 से नियुक्त
12	सुश्री अर्पिता सेन	उप-महाप्रबंधक	मुख्य निवेश अधिकारी	26-11-2019 से नियुक्त 09-09-2021 से प्रभार समाप्त
13	श्री यशवंत वी ब्रीद	उप-महाप्रबंधक	मुख्य निवेश अधिकारी	09-09-2021 से नियुक्त

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां:

(₹'000)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
वेतन एवं भत्ते	6,99,07.35	4,15,26.96
नियुक्त बीमांकिक	90,19.05	85,43.28

(iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पार्टियों के साथ किये गए संव्यवहार: एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

क्र सं	**समव्यवहारों की प्रकृति**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	2,81,42.42	2,65,29.75
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (आज की तारीख तक शेष)	19,01,86.33	18,48,85.20
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया (आज की तारीख तक शेष)	7,42,37.76	7,37,88.39
4	वर्ष के अंत में बकाया राशि - डेबिट शेष	3,26,83.71	3,23,53.19
5	गारंटी शुल्क का भुगतान	3,75,04,65	4,88,44.53

19. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर की गणना की गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹35,79.89 हजार (पिछले वर्ष डेबिट ₹2,95,89.55 हजार) की राशि का शुद्ध आस्थगित कर क्रेडिट हुआ है।वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति ₹43,88,90.87 हजार (पिछले वर्ष आस्थगित कर संपत्ति ₹44,24,70.76 हजार) थी। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ '000)

विवरण	**01-04-2021** से प्रारम्भ	**वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा**	**31-03-2022** तक समाप्त
देयता			
मूल्यह्रास	2,22,38.88	48,82.77	2,71,21.65
कुल	**2,22,38.88**	**48,82.77**	**2,71,21.65**
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	13,63,55.66	49,94.08	14,13,49.74
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	29,69,03.94	(1,13,52.13)	28,55,51.81
उपदान हेतु प्रावधान	1,38,44.02	(20,94.80)	1,17,49.22
कर देयता हेतु प्रावधान	-	2,03,12.19	2,03,12.19
पी एल एल आई	17,66.79	52,82.77	70,49.56
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	1,58,39.23	(1,58,39.23)	-
कुल	**46,47,09.64**	**13,02.88**	**46,60,12.52**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**44,24,70.76**	**(35,79.89)**	**43,88,90.87**

20. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई:

(₹ '000)

	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	875,16,19.85	460,30,48.96
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	34,20,52,055	28,74,82,192

ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	25.59	16.01
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

21. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	172,66,40.00	172,65,64.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2150,48,68.00	1053,66,45.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	आय कर	625,29,00.00	377,00,00.00

22. पूँजी दायित्व

कुल बकाया पूँजी दायित्व ₹112,16,58.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹205,38,10.02 हज़ार)

23. आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर ₹308,52,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹316,54,00.00 हज़ार) के प्रीमियम में कमी हेतु प्रारक्षण किये गए हैं.

24. निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

(क)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि:		11,90,09.34
(ख)	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि:		8,70,00.34
(ग)	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि :		
	(i)	निर्माण/ नई संपत्ति की खरीद	कोई नहीं

	(ii)	उपरोक्त (i) के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से	10,85,79.14
(घ)	संबंधित पक्षों के संव्यवहार यथा, धारा 8 के अनुसार लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार सी एस आर से संबंधित कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट/सोसाइटी को अंशदान, संबंधित पक्ष उद्घोषणा.		कोई नहीं
(ड़)	धारा 135(5) एवं 135(6) के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:		

धारा 135(5) व्यय न की गई राशि

आरंभिक शेष	6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्धारित निधियों में जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	शेष राशि
3,20,09.00	49,11.00	8,70,00.34	10,36,68.14	1,04,30.20

धारा 135(5) अधिक व्यय की गई राशि

आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	शेष राशि
लागू नहीं			

धारा 135(6) जारी परियोजना

वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		शेष राशि	
	कंपनी के पास	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सी एस आर खाते से	कंपनी के पास	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में
2020-21	-	2,70,98.00	-	-	2,14,16.99	-	56,81.01
2021-22	-	-	8,70,00.34	8,22,51.15	-	8,93.19*	38,56.00

*व्यय न की राशि ₹8,93.1 हजार जो कि वर्तमान वर्ष की किसी परियोजना (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय न की गई राशि) से संबंधित नहीं थी को स्वच्छ भारत कोश में हस्तांतरित किया गया ।

25. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

26. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में शामिल हैं:

(क) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹ 4,99,25.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹ 4,99,25.00 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

(ख) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हज़ार 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

(ग) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹40,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹40,00,00.00 हज़ार 7.06% वाले भारत सरकार के 2046 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.95% वाले भारत सरकार के 2032 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

27. **निवेश**

(क) वर्ष 2018-19 में कम्पनी ने ₹290,58,37.42 हज़ार के बही मूल्य (₹275,00,00.00 हज़ार अंकित मूल्य) को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन में से शेयरधारक निधि के लिए अलग वर्गीकृत किया. पैरा 4 (छ) में उल्लिखित अनुसार अफ्रीकन ट्रेड इन्स्युरंस में अंतरित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2022 को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन के रूप में ₹253,08,95.60 हज़ार बही मूल्य (₹242,03,49.72 हज़ार अंकित मूल्य) शेष रहा ।

(ख) आई आर डी ए आई के नियमों के अनुसार एमटेक ऑटो लिमिटेड के डिबेंचर में किए गए निवेश राशि ₹5,00,00.00 हजार को संदिग्ध माना गया एवं पिछले वर्षो में लेखा खातों में इनका पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया। माननीय एन सी एल टी द्वारा अनुमोदित संकलप योजना के अनुसार, कंपनी को ₹34,09.96 हजार (एमटेक ऑटो के ₹9,19.70 हजार के 0.1% डिबेंचर सहित) प्राप्त हो गए हैं एवं ₹48,58.96 हजार की राशि प्राप्ति योग्य है जिसका पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा शेष राशि ₹4,17,31.08 हजार को वर्ष के दौरान

निवेश संपत्ति प्रावधान में से बट्टे खाते में डाला गया है। एमटेक ऑटो से प्राप्त ₹34,09.96 हजार के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया गया है।

28. **कर्मचारी हितलाभ**:

(क) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

(ख) कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

(ग) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

(घ) आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि , जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

(ङ) भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि , भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है। तथापि कंपनी द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज की कमी से निपटने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट को वर्ष के दौरान ₹54,41.26 हज़ार की अदायगी की गयी है।

(च) कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार अवकाश और दीर्घ सेवा के लाभ के हकदार हैं। लेखा वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति में संचित अवकाश और दीर्घ सेवा लाभों के कारण देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(₹ ‘000)

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,16,24.84	54,17,81.86

	वर्ष के आरंभ में दीयता	54,17,81.86	49,50,72.55
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	(1,98,42.98)	(4,67,09.31)

(छ) उपदान एवं सेवानिवृत्ति के कारण वित्त पोषण योग्य " परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजना" के अधीन कर्मचारी सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :-

पेंशन (₹ '000)

	पेंशन	पेंशन	पेंशन
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	384,12,45.20	364,75,12.12
	ब्याज लागत	26,54,30.04	24,83,95.58
	वर्तमान सेवा लागत	12,99,02.38	12,50,24.11
	अंतरित देयता		
	प्रदत्त लाभ	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	31,78,67.45	22,29,71.59
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ देयताएं	390,71,88.52	384,12,45.20
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	359,62,87.53	314,56,62.58
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	24,85,03.47	21,42,19.62
	अंशदान	36,11,71.02	52,99,28.06
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	5,25,25.47	10,91,35.47
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	361,12,30.94	359,62,87.53
3	**तुलन पत्र में स्वीकृत**		
	परिभाषित लाभदायित्व का वर्तमान मूल्य	390,71,88.53	384,12,45.20
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	361,12,30.94	359,62,87.53

	पेंशन	पेंशन	पेंशन
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	29,59,57.59	24,49,57.67
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	12,99,02.38	12,50,24.11
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित अर्जन सहित)	1,69,26.58	3,41,75.96
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	26,53,41.98	11,38,36.12
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	41,21,70.94	27,30,36.19

उपदान (₹ '000)

	श्रेणी	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	43,84,86.43	44,17,03.76
	ब्याज लागत	3,02,55.56	3,02,12.54
	चालू सेवा लागत	67,39.63	82,27.00
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1,92,21.75)	1,80,65.15
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	41,27,38.89	43,84,86.43
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	38,34,80.00	41,35,54.50
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,64,60.12	2,82,87.13
	अंशदान	-	23,18.55
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3,63.40)	(9,58.16)
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	36,60,55.74	38,34,80.00
3	**तुलन पत्र में उल्लिखित**		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	41,27,38.89	43,84,86.43
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	36,60,55.74	38,34,80.00
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	4,66,83.15	5,50,06.43

	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	67,39.63	82,27.00
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित)	37,95.44	19,25.41
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(1,88,58.35)	1,90,23.31
	पिछली सेवा लागत – निहित लाभ		
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	(83,23.28)	2,91,75.72
	श्रेणी	**पेंशन**	**उपदान**
5	**अनुमान**		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यावर्त दर	0.50%	0.50%
6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**	
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो , निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।	

29. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविदा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹14,19,01.99 हज़ार (पिछले वर्ष ₹14,57,77.33 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है । ए एस – 19 के अनुसार " पट्टों के परिचालन के लिए भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की न्यूनतम राशि ₹22,59,57.64 हज़ार (पिछले वर्ष ₹34,80,26.79 हज़ार) है।

30. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

क. बकाया राशि " कुछ नहीं (पिछले वर्ष " कुछ नहीं ")

ख. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किये गए देरी से भुगतान " कुछ नहीं " (पिछले वर्ष " कुछ नहीं)

ग. देय तारीख के पश्चात निपटान किये गए मूलधन देयों पर देय ब्याज " कुछ नहीं " (पिछले वर्ष " कुछ नहीं ")

31. कम्पनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) की वसूलियों को किए गए व्यय जैसे कमीशन, बैंक प्रभार आदि को घटा कर निवल राशि, ₹109,97,13.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹117,46,79.60 हज़ार) को दर्शाया गया है ।

32. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिये जारी विनियामक आवश्यकताओं के अधीन अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं: -

(₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I	**आउट सोर्सिंग व्यय**	12,87,51.64	10,91,45.51
II	**कारोबार विकास**	1,54,06.26	1,23,91.87
III	**विपणन समर्थन**	4,33,65.46	3,86,47.91

33. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध – 2 में संलग्न है।

34. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2021-22	1106,61,67.81	902,00,40.54	81.51 %	204,61,27.27	18.49%
2020-21	1062,28,19.61	862,32,31.91	81.18 %	199,95,87.70	18.82%

35. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों की दावा न की राशि का अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विविरण अनुबंध 3क एवं 3 ख में दर्शाया गया है।

36. आई आर डी ए के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मई – 09 दिनांक 7.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

क्र सं	**प्राधिकारी**	**गैर अनुपालन / उल्लंघन**	**₹ 000 में राशि**		
			दिया गया दंड	**Penalty Paid**	**Penalty Waived/ Reduced**
1.	बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(i	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	कंपनी अधिमयम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड , जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	कम्पनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है अतः लागू नहीं			
8.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9.	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	*ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम 1952 की धारा 7	1,12,55.47	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		क्यू के अनुसार 01-04-2016 से 31-03-2017 तक अवधि में 57 अस्थायी कामगारों के संबंध में भुगतान, तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6, 6 क, 6 ग व कर्मचारी जमा बीमा योजना 1976 एवं अन्य प्रावधानों के तहत भुगतान के आदेश			
		**महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम 1958	4,46.71	कुछ नहीं	कुछ नहीं

नोट:

*कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 और अन्य प्रासंगिक प्रावधान - ईसीजीसी को 1989 से 1996, 1996 से 2010 और 2010 से 2016 की अवधि के दौरान किए गए विलम्बित प्रेषण के लिए ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के तहत सुनवाई के लिए सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के समक्ष पेश होने के लिए एक समन (और धारा 7Q के तहत ब्याज के भुगतान का आदेश) प्राप्त किया गया।

सुनवाई के दौरान एपीएफसी के निर्देशानुसार, 10.01.2019 को, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो यह प्रमाणित करते थे कि ईसीजीसी लिमिटेड का भविष्य निधि आयकर प्राधिकरण द्वारा एक मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है। ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा कई अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिसमें दिखाया गया था कि भविष्य निधि की राशि ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा विधिवत प्रेषित की गई थी।

एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (और उसी अधिनियम की धारा 7Q के तहत ब्याज के भुगतान के आदेश) की धारा 14 बी के तहत कंपनी को जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि में देरी से भुगतान के मामले में दिनांक

12.03.2019 को तीन अलग-अलग नोटिस जारी किए गए । इस मामले में पिछली सुनवाई सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी), ईपीएफओ के समक्ष 02.07.2021 को हुई।

इसके बाद, एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा मैसर्स ईसीजीसी लिमिटेड एमएच/151783 और आदेश संख्या एमएच/बीएएन-3[एनपी]/पीडी-III/1516783/एसओ/ 2021-22/ 65 और आदेश संख्या एमएच/बैन/1516783/नरीमन प्वाइंट/डैमेज सेल/2021-22/66 दिनांक 30.07.2021 के अंतर्गत मामले को समाप्त किया गया।

तदनुसार, ऊपर उल्लेखित आदेशों का कंपनी द्वारा दिनांक 20-08-2021 को निम्नानुसार अनुपालन किया गया

कुल हानि लागू ब्याज सहित - ₹2,15,84,362/-
ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ द्वारा हानि एवं ब्याज पर दी गई छूट - ₹52,97,153/-
कुल भुगतान की गई हानि ब्याज सहित - ₹1,62,87,209/-

तदनुसार मामले बंद हुआ एवं आज की तारीख तक कोई मामला लंबित नहीं है।

**महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958: स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने 07.04.2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹ 7,20,500 / - के स्टाम्प शुल्क की अदायगी न करने के कारण अपने दिनांक 06/01/2015 के पत्र के जरिये ₹4,46,710/- (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया है।

हालांकि, कंपनी ने उप महानिरीक्षक के समक्ष 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के दंड से छूट के लिए मामले का प्रतिवेदन किया एवं जल्द से जल्द मामले पर निर्णय हेतु संबंधित प्राधिकारी से नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है।

आज की तारीख तक अपील बहस के लिए लंबित हैं एवं अगली सुनवाई 25-05-2022 के लिए निर्धारित है।

37. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर

2012 तथा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

38. निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन कंपनी के प्रति शेयर पर ₹7 के हिसाब से लाभांश का प्रस्ताव किय गया। कंपनी लेखा नियम 2016 में संशोधनों के जरिये कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार संशोधित लेखा मानक AS-4 के शर्तों में तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं एवं घटनाओं के लिए कंपनी द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से ₹276,50,00.00 हज़ार की राशि के प्रस्तावित लाभांश का विनियोजन नहीं किया गया है।

39. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुन: वर्गीकृत किया गया है।

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन – 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
डी आई एन - 08646006

(ए शक्तिवेल)
निदेशक
डी आई एन - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
डी आई एन - 05333909

(प्रतिभा कुशवाह)
निदेशक
डी आई एन – 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
डी आई एन - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

हमारी समतारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार :

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडी)
भागीदार - M. No. 107659
पुणे

कृते एस एन के एंड कंप
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 109176W

(अंकित डी दनवाला)
भागीदार - M. No. 119972

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई , 2022

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क)

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

			वर्तमान वर्ष (₹ '000)	पिछले वर्ष (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं			
	क)	भारत में	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार)			
	क)	ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख)	अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित)	112,16,58.90	205,38,10.02
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर			
	क)	भारत में	504,26,88.68	756,08,26.79
	ख	भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है,		कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल - भारतीय)			
		दावों की संख्या	159	261
		राशि	588,60,03.59	921,22,31.31
	छः महीनों से कम से बकाया दावे (सकल - भारतीय)			
		दावों की संख्या	229	429
		राशि	563,56,34.99	619,31,24.31
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय)		388	690
		राशि	1152,16,38.58	1540,53,55.62
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर			
		भारत में	902,00,40.54	862,32,31.91
		भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है		451,00,20.27	431,16,15.96
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण,			
	क)	खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख)	बिक्री जहाँ भुगतान देय हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं

		वर्तमान वर्ष (₹ '000)	पिछले वर्ष (₹ '000)
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें कुछ नहीं	महत्वपूर्ण लेखा नीति का बिन्दु संख्या 4.6 का संदर्भ लें कुछ नहीं
13			
	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ अथवा हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है	693,04,48.90	641,96,91.23
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है	693,04,48.90	641,96,91.23
14	कंपनी ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है		
15			
	क तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं		
	दावों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	राशि	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं		
	ग		
	1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	ख) भारत के बाहर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है		
	अर्जक (मानक) निवेश	15391,15,54.62	13736,00,31.18
	अनर्जक निवेश	105,48,58.96	110,00,00.00
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य)	15496,64,13.58	13846,00,31.18
	3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है		
	4 5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है।	अनुलग्नक 1ख के अनुसार	अनुलग्नक 1ख के अनुसार

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
		(₹ '000)	(₹ '000)	वृद्धि %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो)			
	सकल प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61	4.17
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91	4.60
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (सकल प्रीं शुद्ध प्रीमियम	81.51	81.18	0.41
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	29.39	18.44	59.41
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	14.81	9.24	60.28
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%)	11.16	7.23	54.36
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%)	27.74	27.60	0.51
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी	205,20.68	110,97.14	84.92
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण	451,00,20.27	431,16,15.96	4.60%
	बकाया दावे	6992,96,58.43	6885,33,46.28	1.56%
	प्रीमियम में कमी	308,52,00.00	316,54,00.00	-2.53%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण	7752,48,78.70	7633,03,62.24	1.56%
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91	4.60%
	अनुपात	8.59	8.85	-2.90

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख)

(₹ '000)

		2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
	परिचालन परिणाम					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61	1075,47,39.68	1247,54,25.98	1240,41,70.70
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91	792,28,95.24	870,02,07.14	838,82,48.95
3	निवेशों से आय (शुद्ध)	587,77,84.61	566,17,10.29	507,97,46.56	484,33,90.96	421,18,52.23
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ)	3,06,12.44	1,10,74.60	2,04,07.18	2,34,38.90	3,85,05.23
5	कुल आय	1492,84,37.59	1429,60,16.80	1302,30,48.98	1356,70,37.00	1263,86,06.41
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित)	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)	(58,09,97.22)
7	परिचालन व्यय	281,32,81.11	270,92,57.55	314,08,13.26	265,94,06.60	192,78,45.75
8	शुद्ध उपगत दावे	546,19,29.35	884,52,05.49	958,41,52.78	1141,16,19.58	1138,58,81.99
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)	38,86,55.95	(15,59,79.10)	41,21.21
10	परिचालन लाभ / (हानि)	684,88,07.20	159,09,71.41	86,91,07.70	(42,76,63.30)	(130,05,02.90)
	गैर परिचालन परिणाम					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय	475,98,36.22	428,99,99.01	313,10,81.51	357,15,43.20	253,46,72.77
12	कर पूर्व लाभ / (हानि)	1160,86,43.42	588,09,70.42	400,01,89.21	314,38,79.90	123,41,69.87
13	कर के लिए प्रावधान	285,70,23.57	127,79,21.46	76,17,91.80	70,00,52.77	55,49,97.61
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि)	875,16,19.85	460,30,48.96	323,83,97.41	244,38,27.13	67,91,72.26
	विविध					
15	पॉलिसीधारक खाता					
	कुल निधियाँ	8627,45,43.68	8027,76,02.10	7644,96,74.89	6923,69,85.54	6289,14,37.20
	कुल निवेश #	8523,15,27.47	7892,22,17.77	7144,83,19.52	6722,76,41.55	5458,50,54.42
	निवेश पर प्रतिफल	8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
16	शेयरधारक का खाता' *					
	कुल निधियाँ	7058,82,63.01	6056,02,96.32	5312,60,45.27	4066,29,91.51	3854,63,64.73
	कुल निवेश #	6973,48,86.11	5953,78,13.41	4965,05,27.13	3948,29,00.59	3345,53,55.94
	निवेश पर प्रतिफल	8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	3950,00,00.00	3190,00,00.00	2500,00,00.00	2000,00,00.00	1500,00,00.00
18	निवल मालियत	7840,88,49.12	6365,22,29.27	5214,91,80.31	4463,41,14.66	3737,11,20.47
19	कुल परिसंपत्तियाँ	16929,71,23.07	15303,60,21.60	13422,97,91.57	11840,49,31.53	10447,07,12.65
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल	8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
21	प्रति शेयर आय (रु)	25.59	16.01	14.09	13.41	4.98
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (रु)	198.50	199.54	208.60	223.17	270.50
23	कुल लाभांश	-	159,50,00.00	-	60,00,00.00	15,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रु)	-	5.00	-	3.00	1.00

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं । पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।

अनुसूची 11-नकद ब बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं ।

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का संलग्न 2

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	वृद्धि	4.17%	-1.23%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	निवल मालियत (समापन)	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	अनुपात (गुना)	0.14	0.17
3	निवल मालियत की वृद्धि दर		
	निवल मालियत (प्रारंभिक)	6365,22,29.27	5214,91,80.31
	निवल मालियत (समापन)	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	निवल मालियत की वृद्धि दर	23.18%	22.06%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात		
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	निवल प्रतिधारण अनुपात	81.51%	81.18%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात		
	शुद्ध कमीशन	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात	-3.48%	-3.04%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात		
	प्रबंधन व्यय	306,94,84.32	293,14,11.78
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	अनुपात	27.74%	27.60%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात		
	प्रबंधन व्यय	306,94,84.32	293,14,11.78
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात	34.03%	33.99%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे		
	शुद्ध उपगत दावे	546,19,29.35	884,52,05.49
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात	61.92%	106.92%
9	सम्मिलित अनुपात		
	शुद्ध उपगत दावे	546,19,29.35	884,52,05.49
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात (क)	61.92%	106.92%
	प्रबंधन व्यय	262,11,15.30	255,65,47.37
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात (ख)	29.06%	29.65%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख)	90.98%	136.57%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि	6992,96,58.43	6885,33,46.28
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि	451,00,20.27	431,16,15.96
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि	308,52,00.00	316,54,00.00
	कुल	7752,48,78.70	7633,03,62.24
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात (गुना)	8.59	8.85
11	बीमांकन शेष अनुपात		
	बीमांकन लाभ	93,85,34.67	(408,18,13.48)
	शुद्ध प्रीमियम	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात	10.64%	-49.34%

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

अनुसूची 17 का संलग्न 2

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
12	परिचालन लाभ अनुपात		
	बीमांकन लाभ	93,85,34.67	(408,18,13.48)
	निवेश आय	587,96,60.09	566,17,10.29
	राजस्व खाते में अन्य आय	3,06,12.44	1,10,74.60
	परिचालन लाभ	684,88,07.20	159,09,71.41
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात	77.64%	19.23%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना)		
	चल परिसंपत्तियॉं	2894,82,20.66	2914,79,68.45
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ	7752,48,78.70	7633,03,62.24
	अनुपात (गुना)	0.37	0.38
14	शुद्ध अर्जन अनुपात		
	कर पश्चात लाभ	875,16,19.85	460,30,48.96
	शुद्ध प्रीमियम	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात	97.02%	53.38%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति		
	कर पश्चात लाभ	875,16,19.85	460,30,48.96
	निवल मालियत	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	अनुपात	11.16%	7.23%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता	7178,75,33.00	5745,67,36.00
	आवश्यक शोधन क्षमता	238,91,28.90	298,40,97.90
	अनुपात(गुना)	30.05	19.25
17	अनर्जक खाता अनुपात		
	निवेश:	0.681%	0.787%
	फ़ैक्टरिंग	83.69%	93.53%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी , 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है.

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
DIN - 08646006

(ए सक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN I 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कम
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W

(अनिल चिकोड़ी)
भागीदार - M.No. 107659
पुणे

(अंकित डी. दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई , 2022

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

31-मार्च-2022 तक पॉलिसीधारकों द्वारा दावा न की गई राशि का समय वार विश्लेषण का विवरण

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क
राशि ₹ ' 000 में

क्रंसं	विवरण	कुल राशि	समय वर विवरण							
			0-6 माह	7-12 माह	13-18 माह	19-24 माह	25-30 माह	31-36 माह	37-120 माह	120 माह से अधिक
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोडकर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया ।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है	**98,31.68**	**2,35.96**	**8,69.49**	**2,33.07**	**31,40.06**	-	**43.38**	**53,09.72**	-
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं ।	**55,18.65**	**97.26**	**5,42.28**	**3.59**	**1,80.06**	**24.87**	**14,05.12**	**31,29.21**	**1,36.26**
	कुल	**1,53,50.33**	**3,33.22**	**14,11.77**	**2,36.66**	**33,20.12**	**24.87**	**14,48.50**	**84,38.93**	**1,36.26**

नोट उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।

ईसीजीसी लिमिटेड

CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2022 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख)
राशि ₹ ' 000 में

विवरण	चालू वर्ष (2021-22)		पिछले वर्ष (2020-21)	
	पॉलिसी बकाया	उपचित आय	पॉलिसी बकाया	उपचित आय
आरंभिक शेष	1,50,69.05	34,69.27	1,51,38.81	31,86.08
जोड़ें : अदावित निधि में अंतरित राशि	3,74.85	-	10,88.40	-
जोड़ें : अदावित राशि में से जारी चेक , परंतु पॉलिसी धारकों द्वारा अनाहरित (केवल तब ही शामिल किया जाये जब चेकों की अवधि समाप्त हो चुकी हो)	6,63.53	-	3,13.27	-
जोड़ें : अदावित निधि से अर्जित निवेश आय	-	6,18.88	-	4,27.04
घटाएँ : तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे	4,06.74	10.48	9,34.50	18.03
घटाए : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल)	3,50.35	90.29	5,36.93	1,25.82
अदावित निधि की राशि का अंतिम शेष	**1,53,50.33**	**39,87.39**	**1,50,69.05**	**34,69.27**

ईसीजीसी लिमिटेड
CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण)

(₹ '000)

	विवरण	2021-22	2020-21
क	**परिचालन गतिविधि से नकदी प्रवाह**		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम	1186,37,51.21	1086,95,13.07
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क	89,74,01.73	108,23,09.82
3	कमीशन एवं दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान	(16,56,82.62)	24,65,58.26
4	दावों का भुगतान	(687,20,43.27)	(1046,74,05.69)
5	कमीशन एवं ब्रोकरेज के भुगतान	(8,85,84.13)	(8,70,30.21)
6	अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान	(376,47,79.28)	(251,74,14.42)
7	जमा, अग्रिम एवं कर्मचारी ऋण	(4,46,46.09)	(5,80,41.70)
8	आयकर अदा (नेट)	(289,45,45.68)	(69,00,00.00)
9	जीएसटी का भुगतान किया	(2,71,42.49)	(3,27,22.93)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध)	(45,56,47.27)	(8,77,87.62)
	अतिरिक्त साधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह	**(155,19,17.89)**	**(174,20,21.42)**
11	**अतिरिक्त साधारण संचालन से नकदी प्रवाह**	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**(155,19,17.89)**	**(174,20,21.42)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजी कार्य सहित)	(18,76,80.27)	(21,94,79.46)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय	63,98.46	9,10.43
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री की शुद्ध राशि	(946,03,87.40)	(582,92,08.19)
4	किराया / ब्याज / लाभांश प्राप्त हुआ	948,01,73.70	861,14,52.41
5	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश	-	-
6	निवेश से संबंधित खर्च	(22,16.42)	(72,71.07)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	**(16,37,11.93)**	**255,64,04.12**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
1	शेयर पूँजी जारी करने की कार्यवाही	760,00,00.00	390,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान	(159,50,00.00)	-
3	लाभांश वितरण कर	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	**600,50,00.00**	**390,00,00.00**
घ	**नकद एवं नकद समकक्ष, शुद्ध पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव**	(4,19.62)	(3,52.78)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ)	**428,89,50.56**	**471,40,29.92**
च	**नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि:**		
1	-- साल की आरंभ में	**1551,46,00.97**	**1080,05,71.05**
2	-- साल के अंत में	**1980,35,51.53**	**1551,46,00.97**
	नकद एवं नकद समकक्ष में परिवर्तन	**428,89,50.56**	**471,40,29.92**

(एम सेंथिलनाथन)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
DIN - 07376766

(देवेश श्रीवास्तव)
निदेशक
DIN – 08646006

(ए सक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN – 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

(निर्दोष चोपड़ा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए बी एम् एंड एसोशिएट्स एल एल पी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 105016W/W-100015

कृते एस एन के एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 109176W

(अनिल चिकोडी)
भागीदार - M.No. 107659
पुणे

(अंकित डी. दानावाला)
भागीदार - M.No. 119972

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई , 2022

प्रबंधन रिपोर्ट

Management Report

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची ' ख' के भाग IV की आवश्यकता अनुसार प्रबंधन रिपोर्ट।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2021-22 के लिए नवीकृत किया गया है।

2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है।

3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।

5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।

6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों- "ऋणों", "निवेशों", "विविध देनदारों", "नकद" तथा "चालू परिसंपत्तियों" के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।

7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 09.03.2022 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता 103879,88,43 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹150000,00,00 हजार है।

8. हमारी कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।

9. पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधि वार विवरण **अनुलग्नक I** के अनुसार है।

10. पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि **अनुलग्नक II** के अनुसार है।

11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।

12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।

13. हम पुष्टि करते हैं कि:

क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले समव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

(एम् सेंथिलनाथान)	**(देवेश श्रीवास्तव)**
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	**निदेशक**
DIN – 07376766	DIN - 08646006

(ए सक्तिवेल)
निदेशक
DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा)
निदेशक
DIN – 09395541

(सुनील जोशी)
कार्यपालक निदेशक
DIN - 08778530

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2022

Annexure I

Ageing of Claim outstanding as on Financial Years

(₹ '000)

Period	2021-22		2020-21		2019-20		2018-19		2017-18	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	80	111,06,18.22	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20	137	433,26,82.28	152	222,40,53.78
30 Days to 6 Months	149	452,50,16.77	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87	330	1511,19,49.84	257	912,16,99.19
6 Months to 1 Year	93	239,05,30.53	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04	84	761,31,39.08	84	730,94,48.66
1 year to 5 years	63	334,26,02.09	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72	35	545,58,38.80	60	429,14,12.50
5 years & above	3	15,28,70.97	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	388	1152,16,38.58	690	1540,53,55.62	811	2567,92,11.83	596	3251,36,10.00	553	2294,66,14.13

Annexure II

Ageing of Claim settlement during Financial Years

(₹ '000)

Period	2021-22		2020-21		2019-20		2018-19		2017-18	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	51	11,89,46.04	46	8,29,16.25	41	7,05,56.70	48	8,36,74.42	79	20,10,79.22
30 Days to 6 Months	329	142,32,75.88	430	257,86,14.47	424	184,52,13.31	538	313,44,99.37	481	262,48,56.37
6 Months to 1 Year	223	258,49,51.22	177	168,36,24.40	77	154,75,50.96	88	292,01,80.79	91	847,69,72.78
1 year to 5 years	78	274,48,70.13	81	612,22,50.57	11	62,08,00.65	51	399,47,17.13	27	152,87,47.54
5 years & above	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	681	687,20,43.27	734	1046,74,05.69	553	408,41,21.62	725	1013,30,71.71	678	1283,16,55.91

*The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided.

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

Comments of C&AG

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड़ के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143 (6) (आ) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्‌वारा की गयी टिप्पणियाँ

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) 2002 एवं कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम के अनुभाग 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्‌वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अनुभाग 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 25 मई 2022 की अपनी लेखा परीक्षित रिपोर्ट में उनके द्‌वारा यह बताया गया है।

मेरे द्‌वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम 143 (6) (अ) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा किया गया। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के किसी भी दस्तावेज़ों की सहायता के बिना एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों से प्राप्त सीमित जानकारियों के आधार पर एवं कुछ चयनात्मक लेखा पुस्तकों की जांच के पश्चात की गयी है।

मेरे द्‌वारा पूर्ण अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में अथवा अधिनियम के अनुभाग 143 (6) (आ) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट में ऐसा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं आया जिस पर कोई टिप्पणी की जाए.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की और से

(पी वी हरिकृष्णा)
लेखा परीक्षा (नौवहन) के मुख्य निदेशक , मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27.07.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

Independent Auditors' Report

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी **चार्टेड अकाउंटेंट्स** **ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9,** **शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए** **डी मार्ट के सामने** **सीवूड्स, वेस्ट** **ठाणे - 400706**	**एसएनके एंड कंपनी** **चार्टेड अकाउंटेंट्स** **303, 3री मंजील,** **कोणार्क श्रम बिल्डिंग,** **156, ताडदेव,** **मुंबई - 400034**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ईसीजीसी के वित्तीय विवरणों के लेखा का परीक्षण किया है। ("कंपनी") जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्य एवं भुगतान खाता) एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण शामिल हैं

जिसमें से पैंतालीस शाखाएँ एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रक व महालेखाकर , नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मतानुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938 , यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ("आईआरडीएआई") एवं उसके अधीन बने विनियम तथा 2013 अधिनियम ("अधिनियम") द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं एवं मार्च 31, 2022 तक इससे संबन्धित नियमों को इस प्रकार बनाया गया है, कि जिस भी प्रकार से आवश्यक हो तथा कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उपलब्ध कराने में सक्षम हों।

i. तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
ii. राजस्व खातों के मामलों में उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष से;
iii. लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस वर्ष के लिए लाभ का वर्ष समाप्त हो गया
iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियों एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस वर्ष की समाप्ति के दौरान प्राप्तियों एवं भुगतानों की तारीख।

1. राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट अंकेषण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को लेखा

परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं नियम बनाए गए, बीमा अधिनियम,1938 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, एवं हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि जो लेखा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

मामले का विश्लेषण

हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगें:

क. अनुसूची 17 के नोट 3(क) के अनुसार संपत्ति से संबंधी जहां उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।

ख. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (डी) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है ।

ग. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 12 के अनुसार अनिश्चितता एवं सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय प्रभाव एवं शोधन क्षमता के प्रबंधन के आकलन एवं कोविड़-19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य स्थितियाँ, जिनका निश्चित मूल्यांकन प्रमुख रूप से उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस संबंध

में, प्रबंधन ने कोविड़-19 के वित्तीय प्रभाव को अलग से ना दर्शाते हुए नियुक्त बीमांकिक के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि किए गए दावों के संबंध में देनदारियों का प्रावधान किया गया है लेकिन कोई देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर) एवं प्रावधान किया गया है लेकिन कोई पर्याप्त देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोविड़ का प्रभाव शामिल है।

ड़. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 (बी) व 23 के अनुसार दावों के संबंध में देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर), पर्याप्त नहीं बल्कि रिपोर्ट की गई (आईबीएनईआर) एवं 31 मार्च, 2022 तक प्रीमियम कमी जो कि कंपनी के नियुक्त बीमांकिक ('नियुक्त बीमांकिक') का दायित्व है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा 31 मार्च, 2022 तक इन देनदारियों, आईबीएनआर, आईबीएनईआर एवं प्रीमियम की कमी के कारण मूल्यांकन को विधिवत प्रमाणित किया है एवं उनके विचार में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणाएं आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं मानदंडों एवं आईआरडीएआई के साथ सहमति में भारत के बीमांकिक संस्थान के अनुसार हैं। हमने निगम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर विश्वास किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबन्धित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

प्रबंधकीय दायित्व एवं वित्तीय विवरण हेतु शासन के साथ उनके प्रभार

कंपनी अधिनियम 2013 (" अधिनियम ") के धारा 134 (5) , बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास अधिनियम 1999 (आईआरडीए अधिनियम) बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 (आईआरडीएआई) वित्तीय विवरण विनियमन) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक लेखा नीति के अनुपालन में कंपनी की उचित एवं सही वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह दान करने हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी हैं। इन दायित्वों में , बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व

अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सही एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के गलत बयानों,से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवाऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो , आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का अधिकार रखता है।

कंपनी की वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया की देखरेख का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ , पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नही है कि एस ए के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा में गलत जानकारियों का पता लगाया जा सके। गलत जानकारियां प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा गलती का नतीजा हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते।

सांविधिक लेखा परीक्षकों के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा का भाग होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम :-

- वित्तीय विवरण के झूठे विवरण के जोखिम को पहचानना व मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने एवं निष्पादित करने, एवं हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करते हैं । चूक की अपेक्षा , धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली झूठी जानकारी की समय पर पहचान न कर पाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानी, एवं आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकते हैं।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर, निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण एक लाभकारी संस्था के रूप में कंपनी समाप्त हो सकती

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके।

वित्तीय विवरण में गलत बयानी , चाहे वह व्यक्तिगत रूप से की गयी हो अथवा समग्र रूप से, के कारण वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। हम, मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) अपने लेखा परीक्षा के कार्य के सीमाक्षेत्र का निर्धारण एवं अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन (ii) वित्तीय विवरणों में पाये गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो के साथ साथ, प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम एवं के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत लोगों को अपना एक बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें उल्लेख रहता है कि हमने स्वतन्त्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों जिससे हमारी स्वतन्त्रता प्रभावित हो , एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक हो , के साथ संबन्धित विषय को साझा करने हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं।

अन्य मामले

1. हमने, उन छियालीस शाखाओं (गौहाटी उपशाखा सहित) एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है जिनके विवरण 31 मार्च 2022 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में परिलक्षित रु. 2124,82,96.72 की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1086,29,25.46 के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 681,33,02.07 के प्रदत्त दावों को दर्शाते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण के रूप में छियालीस शाखाओं (गौहाटी उपशाखा सहित) एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है प्रबंधन द्वारा जिनकी रिपोर्टों को हमें प्रस्तुत किया गया था तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हैं।

अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

(क) 31 मार्च 2022 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

(ख) विनियमों के अधीन आवश्यक अनुसार हमने 25 मई 2022 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुए , आईआरडीएआई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया है।

(ग) इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों में कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने, हमारी सर्वोताम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी एवं स्पष्टिकरण प्राप्त कर लिए हैं;

ख. हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है; एवं जांच के पश्चात यह भी पाया गया है कि वे बहियाँ एवं उचित विवरण (लेखापरीक्षित एवं

प्रमाणित) छियालीस शाखाओं एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गयी हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

ग. प्रबंधन द्वारा , शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कंपनी कि छियालीस शाखा कार्यालयों एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानी तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।

ङ. हमारी राय में वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;

छ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट **" अनुलग्नक क"** का संदर्भ लें । हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशालीता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गयी है।

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य

अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में;

i. कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है। कृपया वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 21 का संदर्भ लें ;

ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नही हैं।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नही है;

iv. (क) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की निधि का किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी इकाइ (यों) में इस समझ के साथ कंपनी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अंतिम हिताधिकारी (कंपनी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, में , अग्रिम तौर पर अथवा ऋण प्रदान नहीं किया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है।

v. (ख) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी इकाइ (यों) द्वारा इस समझ के साथ फंडिंग पार्टी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में फंडिंग पार्टी (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो , अग्रिम तौर पर अथवा ऋण के रूप में अथवा निवेश के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) हमारी राय तर्कसंगत एवं उचित परिस्थितियों उपयुक्त समझी जाने वाली लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं हमारे समक्ष ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि उक्त उप शर्त (क) एवं (ख) में कोई गलत बयानी हुई हो।

v. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की गयी एवं अदायगी की गयी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर , हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम संख्या	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सू प्रौ प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम हैं। यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों के साथ- साथ खातों की अखंडता पर सू प्रौ प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई है तो, दर्शाएँ।.	i) कंपनी के पास निम्नलिखित को छोडकर सू प्रौ सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली उपलब्ध है: • पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों में पूंजी के मूल्यह्रास की गणना एवं फ़ैक्टरिंग । यद्यपि मैनुयल नियंत्रण उपलब्ध है परंतु ये पर्याप्त नहीं है एवं सिस्टम के माध्यम से पुनर्बीमा अचल परिसंपत्तियों एवं फ़ैक्टरिंग को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। • निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ

		प्रणाली में समें कन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है । यद्‌यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने में नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नही हैं एवं निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।
2.	क्या किसी वर्तमान ऋण पर कोई पुनर्गठन या कर्ज़ चुकाने के लिए कंपनी द्‌वारा ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण कंपनी द्‌वारा दिये गए ऋण/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में डाले जाने के मामलें हैं**?** यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है **?** (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है**,** तब इस	लागू नहीं कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है न ही किसी अन्य कंपनी को ऋण प्रदान किया है।

	प्रकार के निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे।	
3.	क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी/ प्राप्य का उनके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हाँ, केंद्र सरकार से शेर पूंजी के रूप में प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण/ उपयोग किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर , हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम संख्या.	निर्देश	उत्तर
1.	भौतिक/ ड़ीमैट रूप से उपलब्ध सी जी एस/ एसजीएस/ बोण्ड्स/ डिबैंचर आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शयी	सीजीएस/ एसजीएस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गएहैं एवं उनका रिकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नाही पायी गई है।

	राशी से में ल नही खाती हो का सत्यापन किया जाए तथा यदि कोई विसंगति पायी जाए तो उसे रिपोर्ट किया जाए।	सीजीएस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सीबीएसओ परिचालनों के लिए सीसीआईएल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। बॉन्डस/ डिबेंचरों को स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संरक्षक) के पास डीमेंट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों को छोड़कर किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गई है:
2.	क्या निवेशों के संबंध में हानि रोकने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या सीमाओं का पालन किया गया है? यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए।	प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मेच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है।

		तदनुसार कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/ हानि को रोकने की सीमा नहीं हैं।

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स **चार्टेड अकाउंटेंट्स** फार्म रजिस्ट्रेशन नं. 105016W/W-100015 **(अनिल चिकोडी)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 107659** स्थान : पुणे दिनांक : 25.05.2022 **यूडीआईएन:** **21107659AAAAEV2222**	**कृते एसएनके एंड कंपनी** **चार्टेड अकाउंटेंट्स** फार्म रजिस्ट्रेशन नं. 109176W **(संजय कपाड़िया)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 38292** स्थान : मुंबई दिनांक : 25.05.2022 **यूडीआईएन:** **21038292AAAACN1909**

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी **चार्टेड अकाउंटेंट्स** **ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9,** **शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए** **डी मार्ट के सामने** **सीवूड्स, वेस्ट** **ठाणे – 400706**	**एसएनके एंड कंपनी** **चार्टेड अकाउंटेंट्स** **303, 3री मंजील,** **कोणार्क श्रम बिल्डिंग,** **156, ताडदेव,** **मुंबई – 400034**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

(25 मई 2022 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले " अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट " के अधीन पैरा (ख) में संदर्भित)

प्रति ,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") मुंबई के दिनांक 31.03.2022 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की

तैयारी) के विनियमों 2002, के अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

प्रबंधन दायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी) विनियमों 2002 ("विनियम") एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्‌वारा जारी आदेश / परिपत्रों , जिसमें बही खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊपर उल्लिखित अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना , आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर बहियों एवं रिकोर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्‌वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मदों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।
4. हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है एवं हमने दिनांक 25 मई 2022 को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। हमने लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्‌वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबन्धित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी अथवा गलत प्रदर्शन नहीं

किया गया है, हमने लेखा परीक्षा की योजना बनाई एवं उसे कार्यान्वित किया। हमने हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन संव्यवहारों के लिए नहीं किया था जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित हित निहित हो।

5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश नोट के अनुकरण में हमने अपनी जांच पूरी की। दिशा निर्देशों के नोट में यह अनिवार्य होता है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतन्त्र रूप से अनुकरण करें।
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) - 1 के मानकों की लागू संगत आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया है। किसी भी फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिये लेखा परीक्षा एवं एटिहाइक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबन्धित सेवा सहभागिताओं को पूरा किया जाये।

राय

7. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टिकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा बहियों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि :-

(क) हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की एवं हमारी समीक्षा के आधार पर , प्रबंधन रिपोर्टों एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।

(ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर , हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जो

आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में न हो।

(ग) हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है एवं संबन्धित नकद शेष का सत्यापन संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा उन अलेखा परीक्षित शाखाओं के जहां की लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गयी हो) एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋणों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा /अथवा निक्षेपागार भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्टिकरणों के सबूतों को सत्यापित किया है।

(घ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों को महत्व दिया गया है।

(ङ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है।

(च) कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर ने शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबन्धित अलग अलग खाते नहीं हैं एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकोर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। बही खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे जहां पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का , पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 105016W/W-100015 **(अनिल चिकोडी)** **हिस्सेदार** **सदस्यता सं. 107659** स्थान: पुणे दिनांक: 25.05.2022 **यूडीआईएन :21107659AAAAEV2222**	**कृते एसएनके एंड कंपनी** चार्टेड अकाउंटेंट फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 109176W **(संजय कपाड़िया)** **हिस्सेदार** **सदस्यता सं. 38292** स्थान: मुंबई दिनांक: 25.05.2022 **यूडीआईएन : 21038292AAAACN1909**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक-क"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **ईसीजीसी लिमिटेड** ("कंपनी") के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारा लेखा परीक्षण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जिसमे अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("दिशानिर्देश लेख") एवं आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और इस तरह के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई तथ्यात्मक कमी तो नहीं है, एवं मूल्यांकित जोखिम क एयाधर पर डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक इस बात पर निर्भर करती हैं कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि :

(1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कि, ये उचित प्रकार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है पर उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभाविता अलग हो सकती है।

अन्य मामले

31 मार्च, 2022 तक उत्पन्न लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर) एवं उत्पन्न लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों तथा प्रीमियम की कमी के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन और सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

राय

हमारी राय में , कंपनी के पास, तथ्यात्मक रूप से, सभी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर मार्च 31, 2022 तक प्रभावी रूप से परिचालित की जा रही थी ।

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 105016W/W-100015 **(अनिल चिकोडी)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 107659** स्थान: पुणे दिनांक: 25/05/2022 **यूडीआईएन : 21107659AAAAEV2222**	**कृते एसएनके एंड कंपनी** चार्टेड अकाउंटेंट फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 109176W **(अंकित डी. दनवाला)** **भागीदार** **सदस्यता सं. 119972** स्थान: मुंबई दिनांक: 25/05/2022 **यूडीआईएन : 21038292AAAACN1909**

ई सी जी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पाईन्ट, मुंबई - 400 021
टेली: 6659 0500 / 6659 0510 • वेबसाइट: www.ecgc.in

IRDA Regn. No. 124

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे.

ECGC Limited

(A Government of India Enterprise)

Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Website: www.ecgc.in

CIN No. U74999MH1957GOI010918

You focus on exports. We cover the risks.